

CENTRAL UNIVERSITY OF HARYANA



AUDITED ANNUAL ACCOUNTS

2020-2021

CENTRAL UNIVERSITY OF HARYANA



'Achieving through Believing'

University Logo

University Logo is conceived with a globe at its centre surrounded by holy trinity of three arcs and at the bottom is a shloka taken from *NeetiShatkam* written by BhartiHari.

The arc at the bottom depicts an open book and a Veena, symbolising University's commitment to meeting the quest for acquiring knowledge, learning, enlightenment and promoting art and culture.

The arc at the right depicts processes of science, technology and adventure symbolising the University's commitment to developing scientific temper, enquiring approach and creating a culture of creativity and innovation for holistic development.

The arc at the left that depicts nature and symbolises University's commitment to promoting value based education, ethical conduct, inculcating respect for environment, ecology and living in harmony with nature.

The globe at the centre surrounded by the human chain and the pigeon flying above expresses University's belief that commitments represented by the trinity of three arcs shall lead to free spirit, global peace, prosperity and human solidarity-the real spirit of education.

The shloka "*Vidyadhanam Sarvadhanapradhanam*" at the bottom conveys that 'knowledge' is the unrivalled attainment for all.

ABOUT THE UNIVERSITY

University

The Central University of Haryana (established vide Central Universities Act 2009) is funded and regulated by University Grants Commission and Ministry of Education (MoE), Government of India. The University is located at Jant-Pali villages of district Mahendergarh in South Haryana, which is now a part of the extended National Capital Region (NCR).

Visitor of the University

His Excellency, The President of India, Shri Ram Nath Kovind

Chancellor

Prof. (Dr.) P. L. Chaturvedi (Till December 19, 2020)

Vice-Chancellor

Prof. R.C. Kuhad FAMSc, FNASc, FNAAS, FBRS

Vision

To develop enlightened citizenship of a knowledge society for peace and prosperity of individuals, nation and the world, through promotion of innovation, creative endeavors, and scholarly inquiry.

Mission

To serve as a beacon of change, through multi-disciplinary learning, for creation of knowledge community, by building a strong character and nurturing a value-based transparent work ethics, promoting creative and critical thinking for holistic development and self-sustenance for the people of India. The University seeks to achieve this objective by cultivating an environment of excellence in teaching, research and innovation in pure and applied areas of learning, with a focus on social enquiry, democratic ethos and inclusive socio-economic development, community outreach initiatives, scientific endeavors and technological advancement.

Objectives of the University

The objectives of the University are:

- To disseminate and advance knowledge by providing instructional and research facilities in such branches of learning as it may deem fit;
- To make special provisions for integrated courses in humanities, social sciences, science and technology in its educational programmes;
- To take appropriate measures for promoting innovations in teaching-learning process and interdisciplinary studies and research;
- To educate and train human resource for the development of the country;
- To establish linkages with industries for the promotion of science and technology; and
- To pay special attention to the improvement of the social and economic conditions and welfare of the people, through their intellectual, academic and cultural development.

Quality Statement

Perseverance, determination, enquiry, ethical conduct, probity, transparency, accountability and continuous self-evaluation and improvement to form the cornerstones of all endeavors for holistic and inclusive growth and development of society through excellence in academics, research and all other relevant and meaningful pursuits.

UNIVERSITY COURT

(as on 31st March, 2021)

Chairperson Prof. P.L. Chaturvedi Chancellor (Till 19th December, 2020)			
2	Prof. R.C. Kuhad Vice-Chancellor, CUH	3	Prof. D.P.S. Verma Former Professor, Department of Commerce, Delhi School of Economics, University of Delhi, Delhi.
4	Prof. Bhim Singh Dahiya Former Vice-Chancellor, Kurukshetra University, Kurukshetra, Haryana	5	Prof. Om Prakash Arora Emeritus Fellow, Department of Chemistry, Kurukshetra University, Kurukshetra
6	Prof. Satwanti Kapoor Professor (Retd.), Department of Anthropology, University of Delhi, Delhi	7	Prof. Tahir Hussain Member, National Monitoring Committee for Minority Education, MHRD, Govt of India
8	Dr. P.K. Khurana Former Principal, Shaheed Bhagat Singh College, University of Delhi, Delhi	9	Prof. Sanjiv Kumar Dean, School of Humanities and Social Sciences
10	Prof. Rajesh Kumar Malik Proctor & Dean, School of Law, CUH	11	Prof. Deepak Pant Dean, School of Basic Sciences
12	Prof. Satish Kumar Dean, School of Interdisciplinary & Applied Sciences	13	Dr. Anand Sharma Dean, School of Business & Management
14	Dr. Parmod Kumar Dean, School of Education	15	Dr. Ajay Kumar Bansal Dean, School of Engineering & Technology
16	Prof. Dinesh Kumar Gupta Professor, Department of Library and Information Science (DSW)	17	Prof. Neelam Sangwan Head, Department of Biochemistry
18	Prof. Rajbir Singh Dalal Head, Department of Political Science	19	Prof. Ravinder Pal Ahlawat Head, Department of Physical Education and Sports
20	Dr. Dinesh Kumar Head, Department of Pharmaceutical Sciences	21	Dr. Vikas Garg Head, Department of Civil Engineering
22	Dr. Gunjan Goel Head, Department of Microbiology	23	Dr. Rajesh Kumar Gupta Head Department of Mathematics
24	Dr. Suneel Kumar Head, Department of Physics and Astrophysics	25	Dr. Ranbir Singh Head, Department of Tourism and Hotel Management

26	Dr. Vishwanand Yadav Head, Department of Psychology	27	Dr. Ranjan Aneja Head Department of Economics
28	Dr. Rakesh Kumar Head, Department of Computer Science & Engineering	29	Dr. Santosh C. Halagahali Librarian
30	Prof. Sarika Sharma School of Education (Professor other than Dean)	31	Dr. Vipul Yadav Controller of Examinations
32	Sh. Manoranjan Tripathy Finance Officer	33	Dr. J.P. Bhukar Associate Professor, Department of Physical Education and Sports, Registrar (I/C)
34	Dr. Devinder Singh Professor, Department of Laws, Panjab University, Chandigarh (Visitors Nominee)	35	Prof. Tanuja Agarwala Profesor, Faculty of Mariage Studies University of Dell (Visors Nominee)
36	Smt. Minakshi Chaudhary Author and Social Worker, Shimla (Visitors)	37	Prof. Vandana Pu nia Prof (Education), Human Resource Development Center erstwhile Academic Staff College, Guru Jambheshwar University of Science & Technology, Hisar Haryana (Visitors Nominee)
38	Prof. Bhagwati Prasad Saraswat Head, Department of Commerce, Maharshi Dayanand Saraswati University, Apner, Rajasthan (Chancellor Nominee)	39	Prof (Dr.) P.K. Sharma Professor of Management, Vardhman Mahaveer Open University, Kota, Rajasthan(Chancellor Nominee)
40	Dr. Ajai Pal Sharma Department of Management Studies, CUH	41	Dr. Pardeep Singh Department of Law, CUH
42	Dr. Kavita A. Sharma President, South Asian University, New Delhi	43	Prof. J. P. Singh Joorel Director. Information and Library Network Centre, Infocity, Gandhinagar, Gujarat
44	Prof. Prem Vrat Pro-Chancellor, Professor of Eminence and Chief Mentor, The North Cap University, Gurugram	45	Prof. K.P. Singh Former Vice-Chancellor. CCS Haryana Agricultural University, Hisar, Haryana
46	Prof. O.P. Kalra Vice-Chancellor, Pt. B.D. Sharma University of Health Sciences, Rohtak, Haryana	47	Advocate Pawan Duggal Advocate, Bar Association, Rohini, Delhi

EXECUTIVE COUNCIL

(as on 31st March, 2021)

Chairperson Prof. R.C. Kuhad Vice-Chancellor			
2	Prof. Sanjiv Kumar Dean, School of Humanities and Social Sciences	3	Prof. Rajesh Kumar Malik Proctor & Dean, School of Law, CUH
4	Prof. Deepak Pant Dean, School of Basic Sciences	5	Prof. D.P.S. Verma Former Professor, Department of Commerce, Delhi School of Economics, University of Delhi, Delhi.
6	Prof. Bhim Singh Dahiya Former Vice-Chancellor, Kurukshetra University, Kurukshetra, Haryana	7	Prof. Om Prakash Arora Emeritus Fellow, Department of Chemistry, Kurukshetra University, Kurukshetra
8	Dr. P.K. Khurana Former Principal, Shaheed Bhagat Singh College, University of Delhi, Delhi	9	Prof. Satwanti Kapoor Professor (Retd.), Department of Anthropology, University of Delhi, Delhi
10	Prof. Tahir Hussain Member, National Monitoring Committee for Minority Education, MHRD, Govt of India	11	Dr. J.P. Bhukar Registrar (I/C), Secretary, ex-officio

ACADEMIC COUNCIL

(as on 31st March, 2021)

Chairperson Prof. R.C. Kuhad Vice-Chancellor			
2	Dr. (Prof.) Param Jeet Singh Professor (Retd), Department of Law, Punjabi University, Patiala	3	Prof. Deepak Gaur Professor, School of Biotechnology. Jawaharlal Nehru University
4	Dr. (Mrs.) Shimla Former Registrar. YMCA University of Science and Technology, Faridabad	5	Dr. Ashwani Mahajan Associate Professor, Department of Economics, PGDAV College, University of Delhi
6	Prof. P.C. Pattnaik Head, Department of Modern Indian Languages and Literary Studies, University of Delhi, Delhi	7	Prof. Raj Kumar Vice-Chancellor, Panjab University, Chandigarh-160014
8	Prof. Sathans Professor, Department of Electrical Engineering, NIT, Kairukshetra -136119	9	Prof. Ram Singh Professor, Department of Economics, Delhi School of Economics, University of Delhi. Delhi
10	Mr. Manas Chandra Fuloria Co-founder & CEO, Nagarro Software Ltd., Gurugram	11	Prof. Markanday Ahuja Vice-Chancellor, Gurugram University, Gurugram
12	Prof. Sanjiv Kumar Dean, School of Humanities & Social Sciences, CUH	13	Prof. Rajesh Kumar Malik Dean, School of Law, CUH
14	Prof. Deepak Pant Dean, School of Basic Sciences	15	Prof. Satish Kumar Dean, School of Interdisciplinary & Applied Sciences
16	Dr. Anand Sharma Dean School of Business & Management	17	Dr. Parmod Kumar Dean, School of Education
18	Dr. Ajay Kumar Bansal Dean, School of Engineering & Technology	19	Prof. Neelam Sangwan Head, Department of Biochemistry
20	Prof. Rajbir Singh Dalal Head, Department of Political Science	21	Prof. Ravinder Pal Ahlawat Head, Department of Physical Education and Sports
22	Prof. Dinesh Kumar Gupta Head, Department of Library and Information Science	23	Dr. Dinesh Kumar Head, Department of Pharmaceutical Sciences
24	Dr. Vikas Garg Head, Department of Civil Engineering	25	Dr. Gunjan Goel Head, Department of Microbiology

26	Dr. Rajesh Kumar Gupta Head, Department of Mathematics	27	Dr. Suneel Kumar Head, Department of Physics and Astrophysics
28	Dr. Ranbir Singh Head, Department of Tourism and Hotel Management	29	Dr. Vishwanand Yadav Head, Department of Psychology
30	Dr. Ranjan Aneja Head, Department of Economics	31	Dr. Rakesh Kumar Head, Department of Computer Science & Engineering
32	Prof. Sarika Sharma Professor, School of Education	33	Dr. Vinod Kumar Associate Professor, Department of Chemistry
34	Dr. Bijender Singh Associate Professor, Department of Biotechnology	35	Dr. Ajai Pal Sharma Assistant Professor, Department of Management Studies
36	Dr. Anju Beniwal Assistant Professor, Department of Law	37	Dr. Santosh C. Hulagabali Librarian
38	Ms. Yempall Priyanka (Roll No-31230199) Research Scholar (Ph.D.) Department of Civil Engineering (Student Representative)	39	Ms. Mubashira K P (Roll No-190484) PG Student (MA) Department of Sociology (Student Representative)
40	Dr. P.K. Khurana Principal (Retd.), Shaheed Bhagat Singh College, University of Delhi	41	Prof. Suresh Kumar Professor, Department of African Studies, Faculty of Social Sciences, University of Delhi, Delhi-110007
42	Dr. Savitri Kadloor Professor, Dept. of Political Science, Millia Islamia, New Delhi, Jamia	43	Dr. J.P. Bhukar Registrar I/C, Secretary, ex-officio

FINANCE COMMITTEE

(as on 31st March, 2021)

Chairperson Prof. R.C. Kuhad Vice-Chancellor			
2	Joint Secretary and Finance Advisor MHRD, or Hon'ble President of India nominee from finance Bureau of MHRD not below the rank of Deputy Secretary	3	Joint Secretary (CU & L) of MHRD, or Hon'ble President of India nominee not below the rank of Joint Secretary to the Govt. of India
4	Joint Secretary (CU), UGC or any other Joint Secretary level office nominated by the Chairman, UGC Sh. J. K. Tripathi	5	Prof. Tahir Hussain Member, National Monitoring Committee for Minority Education, MHRD, Govt. of India
6	Prof. Rajesh Kumar Malik HOD, Dept. of Law Central University of Haryana	7	Dr. Vikas Gupta Senior Director National Testing Agency (NTA) Govt. of India. Noida (UP).
8	Sh. Rajeev Sharma IAS (Retd.) Panchkula, Haryana		

**Central University of Haryana
Balance Sheet as at 31 March, 2021**

Particulars	Schedule No.	As at 31 March, 2021	As at 31 March, 2020
		Rupees	Rupees
A SOURCES OF FUNDS			
1 Funds			
(a) Corpus Fund/ Capital Fund	1	462,10,84,038	183,99,21,902
(b) Designated/Earmarked/Endowment Funds	2	-	-
(c) Depreciation Reserve Fund			
		462,10,84,038	183,99,21,902
2 Current Liabilities & Provisions			
(a) Trade/Accounts payables	3	1,12,73,835	1,20,19,466
(b) Other current liabilities	3	87,34,14,010	305,84,26,729
(c) Short-term provisions	3	5,14,24,001	5,14,24,001
		93,61,11,846	312,18,70,197
TOTAL		555,71,95,885	496,17,92,099
B APPLICATION OF FUNDS			
1 Fixed assets			
(a) Tangible assets	4	117,65,73,398	114,71,65,693
(b) Intangible assets	4	1,80,68,203	38,232
(c) Capital work in progress	4	296,50,21,281	2,683,421,281
		415,96,62,882	383,06,25,206
2 Investments from Earmarked/Endowment Funds			
(a) Long Term	5	-	-
(b) Short Term		-	-
		-	-
3 Investments - Others	6	-	-
4 Current Assets			
(a) Inventories	7	-	-
(b) Trade/Accounts receivables	7	-	-
(c) Cash and cash equivalents	7	100,40,13,759	90,69,71,616
		100,40,13,759	90,69,71,616
5 Loans, Advances & Deposits			
(d) Short-term loans and advances	8	39,35,19,244	22,41,95,277
(e) Other current assets	7	-	-
		39,35,19,244	22,41,95,277
TOTAL		555,71,95,885	496,17,92,099
The accompanying notes 1-24 form integral part of these financial statements.			
Significant Accounting Policies	23		
Contingent Liabilities & Notes to Accounts	24		


Finance Officer 21/4/2022
Central University of Haryana
 Finance Officer
 Central University of Haryana
 Janti-Pali, Mahendragarh (Hry.)
 Pin-122101


Registrar 21/4/22
Central University of Haryana
 Registrar
 Central University of Haryana
 Janti-Pali, Mahendragarh (Hry.)
 Pin-122101

Central University of Haryana
Income & Expenditure Account for the year ended 31 March, 2021

Particulars	Schedule No.	For the year ended	For the year ended
		31 March, 2021	31 March, 2020
		Rupees	Rupees
CONTINUING OPERATIONS			
<u>INCOME</u>			
1 Academic Receipts	9	6,72,60,485	7,39,81,677
2 Grants & Donations	10	497,197,189	38,33,52,038
3 Income from investments	11	2,79,85,869	4,75,06,047
4 Interest Earned	12	39,46,656	23,19,865
5 Other Incomes	13	50,30,362	1,79,83,437
6 Prior Period Income	14	-	13,824,293
A Total Income (1+2+3+4+5+6)		60,14,20,561	53,89,67,357
<u>EXPENDITURE</u>			
7 Staff Payments & Benefits	15	34,25,59,163	23,87,04,295
8 Academic Expenses	16	4,41,79,113	3,72,05,302
9 Administrative and General Expenses	17	10,31,75,311	10,15,04,904
10 Transportation Expenses	18	18,47,027	4,57,263
11 Repairs & Maintenance	19	49,59,867	54,76,232
12 Finance Costs	20	4,76,708	4,042
13 Depreciation	4		
14 Other Expenses	21	-	449,440
15 Prior Period Expenses	22	-	-
B Total expenses (7+8+9+10+11+12+13+14+15)		49,71,97,189	38,38,01,478
Balance being excess of Income over Expenditure (A-B)		10,42,23,372	15,51,65,879
C Transfer to/from Designated fund			
Building Fund		-	-
Others (Depreciation)	4	8,82,18,966	5,98,49,066
		8,82,18,966	5,98,49,066
D Balance Being Surplus (Deficit) Carried to Capital Fund (C-D)		1,60,04,406	9,53,16,813
The accompanying notes 1-24 form intergral part of the financial statements			
Significant Accounting Policies	23		
Contingent Liabilities & Notes to Accounts	24		

Vijay Kumar
Finance Officer
Central University of Haryana

Finance Officer
Central University of Haryana
Jant-Pali, Mahendragarh (Hry.)
Pin-122001

Registrar
Registrar
Central University of Haryana

21.4.21
Registrar
Central University of Haryana
Jant-Pali, Mahendragarh (Hry.)
Pin-122001

Central University of Haryana
Schedules Forming Part of Balance Sheet

Schedule-1 Corpus/Capital Fund

Particulars	As at 31 March, 2021	As at 31 March, 2020
	Rupees	Rupees
Balance as at the beginning of the year	183,99,21,902	173,14,11,447
Add: Contribution towards Corpus/Capital Fund	-	-
Add: Grants from UGC, Government of India and State Government to the Extent utilized for capital expenditure (Current Year only)	13,56,56,642	6,44,93,641
Add: Asset Purchased out of Earmarked Funds	-	-
Add: Asset Purchased out of Sponsored Projects, where ownership vests in the institution	-	-
Add: Assets Donated/Gifts Received	-	-
ADD/Less : Prior Period Adjustment (Expenses)*	2,629,501,089	-51,300,000
Add: Excess of Income over Expenditure transferred from the Income and Expenditure Account	1,60,04,406	9,53,16,813
Balance at the year end	462,10,84,038	183,99,21,902

* Prior Period adjustments on account of previous year amounts, are done on the basis on Audit report by CAG for the FY 2019-20. Refer Note 13

Vishy Kaur

Smilhan

Central University of Haryana
Schedules Forming Part of Balance Sheet

Schedule-2 Designated/Earmarked/Endowment Funds

Particulars	FUND WISE BREAK UP				As on 31 March, 2021 Rupees	As on 31 March, 2020 Rupees
	AAA*	BBB	CCC	Endowment		
a) Opening balance of the funds	-	-	-	-	-	-
b) Additions to the Funds:	-	-	-	-	-	-
c) Income from investments made of the funds	-	-	-	-	-	-
d) Accrued interest on investments/Advances	-	-	-	-	-	-
e) Interest on Saving Bank A/c	-	-	-	-	-	-
f) Other additions - Prior Period Expenses (Excess Depreciation Written back)	-	-	-	-	-	-
g) Depreciation Value Add back	-	-	-	-	-	-
TOTAL (A)	-	-	-	-	-	-

B)

Utilisation/Expenditure towards objective of funds

- i. Capital Expenditure
- ii. Revenue Expenditure
- iii Others- Adjustment as per CAG Audit

TOTAL (B)

CLOSING BALANCE AS AT THE YEAR-END (A-B)

Represented by

- Cash And Bank Balances
- Investments
- Interest Accrued But Not Due
- TOTAL**

* JRF Fund

Wishy Kaur

Sudhakar

**Central University of Haryana
Schedules Forming Part of Balance Sheet**

Schedule-2A Endowment Funds

Specimen format of Sub Schedule to support the figures in the column "Endowment Funds" in the Schedule "Earmarked / Endowment Funds", forming part of the Balance Sheet

S.N o (1)	Name of the Endowment (2)	Opening Balance		Additions during the year		Total		Expenditure on object during the year (9)	Closing Balance		Total {10+11}
		Endowment nt (3)	Accumulated Interest (4)	Endowment (5)	Interest (6)	Endowment t (7)-(3+5)	Accumulated Interest (8) (4+5)		Endowment t (10)	Accumulate d Interest	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Vishv Kanya
Sulhwar

Central University of Haryana
Schedules Forming Part of Balance Sheet

Schedule 3 – Current Liabilities & Provisions

Particulars	As on 31 March, 2021	As on 31 March, 2020
	Rupees	Rupees
A. Current Liabilities		
Deposits from staff		-
Deposits from students :		
Security	-	513,221
Caution Money-Current Student	7,178,021	3,574,521
Caution Money-Ex Student	1,742,151	1,278,930
Sundry Creditors:		
For Goods & Services	11,273,835	12,019,466
Others (Stale Cheques Account)	-	-
Deposit-Others (including EMD, Security Deposit)	2,614,961	2,676,161
Statutory Liabilities (GPF,TDS,WC TAX, CPF,GIS,NPS):		
Overdue	-	-
Others	4,151,059	4,042,367
Other current Liabilities		
Salaries Payable	21,440,184	12,978,551
Receipt against ongoing sponsored projects	32,878,275	32,878,275
Receipt against fellowships & scholarships	45,386	45,386
Unutilised Grants*	280,797,423	2,972,972,767
Unutilised Grants- Additional	27,453,560	27,453,560
Grants in advance	-	-
Book Overdraft	-	-
Other funds(HEFA)	495,100,000	-
Other Liabilities	12,990	12,990
TOTAL (A)	884,687,845	3,070,446,196
B. Provisions		
For Taxation	-	-
Gratuity	-	-
Superannuation/Pension	-	-
Accumulated Leave Encashment	12,974,561	12,974,561
Other Provisions#	23,449,440	23,449,440
Seventh Pay Commission Arrear	15,000,000	15,000,000
TOTAL (B)	51,424,001	51,424,001
TOTAL (A+B)	936,111,846	3,121,870,197

Refer Note 5 under Schedule 24

Unutilised grants comprised of following balances:		
Unspent Balance of Grants	10,604,321	44,679,665
Capital Advances	220,671,821	2,881,093,102
Provision for interest refund of UGC grant created for prior period**	-	47,200,000
Additional Grant'	27,453,560	27,453,560
Total	258,729,702	3,000,426,327

* Unutilised Grants include adjustments on account of previous year amounts, which are done on the basis on Audit report by CAG for the FY 2019-20. Refer Note 13

** The provisioned amount has been refunded to UGC during the year.

Vishy Kumar

Shelton W.

Central University of Haryana
Schedules Forming Part of Balance Sheet

Schedule 3(A) - Sponsored Projects

Sl No	Name Of The Project	Opening Balances as on		Receipts/Recoveries During The Year	Total	Expenditure During The Year	Closing Balances as on 31	
		01 April, 2020	March, 2021				Credit	Debit
1	AZAJ ANSARI PROJECT	300,000		-	3,00,000	-	3,00,000	
2	CHANCHAL SHARMA	(203,892)		-	-203,892	-	-203,892	
3	GRANT IN AID 15224 (PUJA YADAV)	800,000		-	8,00,000	-	8,00,000	
4	GRANT IN AID 19725	800,000		-	8,00,000	-	8,00,000	
5	GRANT IN AID-8852 (YRC)	7,500		-	7,500	-	7,500	
6	GRANT IN AID (MHRD) GIAN	2,176,000		-	21,76,000	-	21,76,000	
7	GRANTS IN AID GENERAL	1,324,000		-	13,24,000	-	13,24,000	
8	GRANTS IN AID THERMO (14508)	850,000		-	8,50,000	-	8,50,000	
9	ICSSR ARVIND SINGH TEJAWAT	360,000		-	3,60,000	-	3,60,000	
10	ICSSR KAVITA	10,000		-	10,000	-	10,000	
11	JYOTI YADAV/ICSSR	(14,174)		-	-14,174	-	-14,174	
12	MISC RECEIPT SBI	13,928,130		-	1,39,28,130	-	1,39,28,130	
13	MISC RECEIPT (TRANSFERRED TO LAB)	9,845,310		-	98,45,310	-	98,45,310	
14	MONIKA PHD CHEMISTRY	(15,014)		-	-15,014	-	-15,014	
15	MS KARUNA YADAV/ICSSR	(10,520)		-	-10,520	-	-10,520	
16	NASEEB SINGH/ICSSR FELLOW	3,500		-	3,500	-	3,500	
17	NATIONAL COUNCIL OF RURAL INSTITUTES CHAHAL	(35,003)		-	-35,003	-	-35,003	
18	PMMY- AJEET KUMAR SAHOO	120,000		-	1,20,000	-	1,20,000	
19	PRIYANKA YADAV/ICSSR	(25,000)		-	-25,000	-	-25,000	
20	PROJECT DR. SANJAY KUMAR BIOCHEMISTRY	899,000		-	8,99,000	-	8,99,000	
21	PROJECT UNKNOWN	(120,000)		-	-1,20,000	-	-1,20,000	
22	RECURRING GRANT NON NET FELLOWSHIP	(843,000)		-	-8,43,000	-	-8,43,000	
23	SCIENCE & ENGINEERING	600,000		-	6,00,000	-	6,00,000	
24	SCIENCE & ENGINEERING RESEARCH- YOUNG	150,000		-	1,50,000	-	1,50,000	
25	SCIENCE & ENGINEERING YOUNG GRANT	500,000		-	5,00,000	-	5,00,000	
26	SECY EC HR STATE COUNCIL-SHALINI VERMA	(198,562)		-	-1,98,562	-	-1,98,562	
27	SWAMI DAYANAND SARASWATI CHAIR	1,670,000		-	16,70,000	-	16,70,000	
	TOTAL	32,878,275			32,878,275		32,878,275	

Sudhakar

Vijay Kumar

Central University of Haryana
Schedules Forming Part of Balance Sheet

Schedule 3(B) – Sponsored Fellowships And Scholarships

S.No	Name Of The Fellowship	Opening Balances as on 01 April, 2020	Receipts/Recoveries During The Year	Total	Expenditure During The Year	Closing Balances as on 31 March, 2021
1	EQUINSHI JRF	16,767.00	0	16,767.00	0	16,767.00
2	ICSSR PURNIMA	1,000.00	0	1,000.00	0	1,000.00
3	JRF (PHD. CHEMISTRY) ANIL KUMAR	(7,500.00)	0	(7,500.00)	0	(7,500.00)
4	JRF PHD CHEMISTRY DEEPAK YADAV	(7,377.00)	0	(7,377.00)	0	(7,377.00)
5	MANISHA SHARMA JRF	20,000.00	0	20,000.00	0	20,000.00
6	RAHUL FELLOW 21289	(4.00)	0	(4.00)	0	(4.00)
7	RAMALINGAM FELLOWSHIP VIKAS YADAV (GRANT)	22,500.00	0	22,500.00	0	22,500.00
	TOTAL	45,386.00	0.00	45,386.00	0.00	45,386.00

Sudhakar

Vishy Kumar

Central University of Haryana
Schedules Forming Part of Balance Sheet

Schedule 3(C) - Unutilized Grants From the UGC, Government of India and State Governments

Particulars	As on 31 March, 2021	As on 31 March, 2020
	Rupees	Rupees
A. GRANTS : GOVERNMENT OF INDIA		
Balance B/F	-	-
Add: Receipts during the year	-	-
TOTAL (A)		
Less: Refunds	-	-
Less: Utilized for Revenue Expenditure	-	-
Less: Utilized for Capital Expenditure	-	-
TOTAL (B)		
Unutilized Carried Forward (A-B)		
B. UGC GRANTS		
Balance B/F	4,46,79,665	33,93,54,090
Add : Current year provision for refund of interest to UGC	-	-
Add: Receipts during the year	59,87,78,487	41,85,86,000
TOTAL (C)	64,34,58,152	75,79,40,090
Less: Refund of interest to UGC	-	-
Less: Utilized for Revenue Expenditure	49,71,97,189	32,70,01,876
Less: Utilized for Capital Expenditure	13,56,56,642	21,41,52,401
TOTAL (D)	63,28,53,831	54,11,54,277
Unutilized Carried Forward (C-D)	1,06,04,321	21,67,85,813
C. UGC GRANTS		
Balance B/F	-	-
Add: Receipts during the year	-	-
TOTAL (E)		
Less: Refunds	-	-
Less: Utilized for Revenue Expenditure	-	-
Less: Utilized for Capital Expenditure	-	-
TOTAL (F)	-	-
Unutilized Carried Forward (E-F)	-	-
D. GRANTS FROM STATE GOVERNMENT		
Balance B/F	-	-
Add: Receipts during the year	-	-
TOTAL (G)		
Less: Refunds	-	-
Less: Utilized for Revenue Expenditure	-	-
Less: Utilized for Capital Expenditure	-	-
TOTAL (H)		
Unutilized Carried Forward (G-H)	-	-
GRAND TOTAL (A+B+C+D)	1,06,04,321	21,67,85,813

Wishy K...

Shubh...

**Central University of Haryana
Schedules Forming Part of Balance Sheet**

Schedule 5 : Investments From Earmarked/Endowment

FUNDS

Particulars	As on 31 March, 2021	As on 31 March, 2020
	Rupees	Rupees
1. In central Government Securities	-	-
2. In State Government Securities	-	-
3. Other approved Securities	-	-
4. Shares	-	-
5. Debentures and Bonds	-	-
6. Term Deposits Receipts with Scheduled Banks	-	-
7. Others (Accrued Interest on FD)	-	-
TOTAL	-	-

Vishwanath Singh

**Central University of Haryana
Schedules Forming Part of Balance Sheet**

5 (A) Investments From Earmarked/Endowment Funds (Fund Wise)

Sl. No.	Funds	As on 31 March, 2021	As on 31 March, 2020
		Rupees	Rupees
1		-	-
2		-	-
3		-	-
4		-	-
5		-	-
	Total	-	-

Vishwanath Singh

Central University of Haryana
Schedules Forming Part of Balance Sheet

Schedule-6 : Investments -Others

Particulars	As at 31 March, 2021	As at 31 March, 2020
	Rupees	Rupees
1. In central Government Securities	-	-
2. In State Government Securities	-	-
3. Other approved Securities	-	-
4. Shares	-	-
5. Debentures and Bonds	-	-
6. Others (to be specified)	-	-
TOTAL	-	-

Vishu Kumar

Singh

Central University of Haryana
Schedules Forming Part of Balance Sheet

Schedule- 7 : Current Assets

Particulars	As on 31 March, 2021	As on 31 March, 2020
	Rupees	Rupees
1. Stock:		
a) Stores and spares	-	-
b) Loose Tools	-	-
c) Publications	-	-
d) Laboratory Chemicals, Consumables and glass ware	-	-
e) Building Material	-	-
f) Electrical Material	-	-
g) Stationary	-	-
h) Water Supply Material	-	-
2. Sundry Debtors:	-	-
a) Debts Outstanding for a period exceeding six	-	-
b) Others-Security Deposit	-	-
3. Cash and Bank Balances	-	-
a) With Scheduled Bank:		
Imprest	-	-
In term deposit Accounts	70,96,96,314	77,10,93,223
In Savings Accounts	20,31,17,445	13,58,78,393
b) With non-scheduled Banks:		
- In Current Accounts	-	-
- In term deposit Accounts	-	-
- In Savings Accounts	-	-
4. Post-Office Savings Accounts	-	-
5. HEFA Balance (Escrow)*	9,12,00,000	
TOTAL	100,40,13,759	90,69,71,616

* HEFA balance includes adjustment on account of previous year amounts, done on the basis on Audit report by CAG for the FY 2019-20. Refer Note 13

Vishwanath

Sudhakar

Central University of Haryana
Schedules Forming Part of Balance Sheet

Schedule-8 : Loans, Advances & Deposits

Particulars	As on 31 March, 2021	As on 31 March, 2020
	Rupees	Rupees
1. Advances to employees : (Non-Interest Bearing)		
a) Salary	-	-
b) Festival	-	-
c) Medical Advance	-	-
d) Other (to be Specify)	-	-
2. Long Term Advances to employees (Interest bearing)		
a) Vehicle Loan	-	-
b) Home Loan	-	-
c) Others (to be specify)	-	-
3. Advances and other amounts recoverable in cash or in kind or for value to be received:*	-	-
On Capital Account	38,61,71,821	22,06,71,821
To suppliers	-	-
Others	11,01,354	29,77,657
4. Prepaid Expenses	-	-
Insurance	9,205	9,205
Other Expenses	-	-
5. Deposits	-	-
Telephone	-	-
Lease Rent	-	-
Electricity	-	-
AICTE, if applicable	-	-
Others (CUCET)	5,05,194	5,05,194
6. Income Accrued:	-	-
a) On Investments from Earmarked/Endowment Funds	-	-
On Investments-Others	31,400	31,400
c) On Loan and Advances	-	-
d) Others (includes income due unrealized Rs.....)	-	-
7. Other - Current Assets Recievable from UGC/Sponsored Projects	-	-
a) Debit balances in Sponsored Projects	-	-
b) Debit balances in Fellowship & Scholarship	-	-
c) Grants Recoverable	57,00,000	-
d) Other Receivable	270	-
8. Claims Receivable	-	-
TOTAL	39,35,19,244	22,41,95,277

Advances & other amounts recoverable include adjustment on account of previous year amounts, done on the basis on Audit report by CAG for the FY 2019-20. Refer Note 13

Vishal Kumar Singh

Central University of Haryana
Schedules Forming Part of Income & Expenditure Account

Schedule 9 - Academic Receipts

The Income shall be classified and disclosed as follows:

Particulars	For the year ended 31 March, 2021	For the year ended 31 March, 2020
	Rupees	Rupees
FEE FROM STUDENTS		
Academic		
Tuition Fee	4,93,44,299	4,90,64,299
Admission Fee	1,24,55,173	1,23,13,948
Enrolment Fee	235,240	2,24,800
Library Admission Fee	356,380	3,36,700
Laboratory Fee	565,637	5,48,900
Registration Fee	445,607	4,22,168
TOTAL (A)	6,34,02,336	6,29,10,815
Examinations		
Annual Examination Fee	519,850	4,99,470
TOTAL (B)	5,19,850	4,99,470
Other Fees		
Identity Card Fee	33,030	28,944
Fine/Miscellaneous Fee	-	1,23,538
Medical Fee	102,421	97,400
Hostel Fee	2,01,328	57,080
Other Activities	29,12,380	98,59,320
TOTAL (C)	32,49,159	1,01,66,282
Sale of Publications		
TOTAL (D)	-	-
Other Academic Receipts		
Registration Fee for Workshops, programmes	89,140	4,05,110
TOTAL (E)	89,140	4,05,110
GRAND TOTAL (A+B+C+D+E)	6,72,60,485	7,39,81,677

Vishal Kumar : Shilpa

Schedules Forming Part of Income & Expenditure Account

Schedule 10 – Grants / Subsidies (Irrevocable Grants Received)

Particulars	Plan		Total Plan	Non Plan	For the year ended 31 March, 2021	For the year ended 31 March, 2020			
	Govt of India	Specific Schemes					Rupees	Rupees	
		Plan							UGC
ance B/F		4,46,79,665		-	4,46,79,665	19,49,74,049			
s: Additional Unspent Separated						28,73,777			
l: Current year provision for Interest Refund to UGC		59,87,78,487		-	59,87,78,487	39,12,05,753			
l: Receipts during the year		64,34,58,152		-	64,34,58,152	58,90,53,579			
al						28,73,777			
s: Refunds to UGC									
ance		64,34,58,152		-	64,34,58,152	58,61,79,802			
s: Utilised for Capital Expenditure*		13,56,56,642		-	13,56,56,642	15,81,48,098			
ance		50,78,01,510		-	50,78,01,510	42,80,31,704			
s: Utilised for Revenue Expenditure**		49,71,97,189		-	49,71,97,189	38,33,52,038			
ance C/F		1,06,04,321		-	1,06,04,321	4,46,79,665			

Utilised for Capital Expenditure worked out as follows:

al Capitalization of Assets	41,72,56,642
s : FA created out of earlier advances	
s : CWIP created out of earlier Advances	281,600,000
s: Assets Donated	-
l: Advance Given(in current year)	-
s: Advance adjusted(in current year)	-
al Capital Expenditure	13,56,56,642

Utilised for Revenue Expenditure worked out as follows:

ff Payments & Benefits	34,25,59,163
ademic Expenses	4,41,79,113
ministrative and General Expenses	10,31,75,311
nsportation Expenses	18,47,027
airs & Maintenance	49,59,867
preciation	-
ance Costs	4,76,708
ter Expenses	-
al Revenue Expenditure as per IE	49,71,97,189
s : Provision for Gratuity & LE made in the current year (a	
1 cash expense)	-
s : Provision for Doubtful Advances (a non cash exp.)	0
al Revenue Expenditure	49,71,97,189

Vishy karmy
Sulabh

Central University of Haryana
Schedules Forming Part of Income & Expenditure Account

Schedule 11- Income From Investments
(Income on Investment from Earmarked/Endowment Funds Transferred to Funds)

Particulars	Earmarked/Endowment Funds		Other Investments	
	For the year ended 31 March, 2021	For the year ended 31 March, 2020	For the year ended 31 March, 2021	For the year ended 31 March, 2020
	Rupees	Rupees	Current Year	Previous Year
Investment from Earmarked/Endowment Fund				
Interest				
a) On Govt. Securities	-	-	-	-
b) Other Bonds/Debentures	-	-	-	-
Interest on Term Deposits				
a) Designated Fund	-	-	27,985,869	4,75,06,047
b) Capital Fund	-	-	-	-
c) General Fund	-	-	-	-
Income Accrued but not due on Term Deposits/Interest Bearing advances to employees	-	-	-	-
Interest on Saving Bank Accounts	-	-	-	-
Other - Interest on Advance	-	-	-	-
TOTAL	-	-	2,79,85,869	4,75,06,047
Transferred To Earmarked/Endowment Funds				

Vishwanath
Sethi

Central University of Haryana
Schedules Forming Part of Income & Expenditure Account

Schedule 12- Interest Earned

Particulars	For the year ended 31 March, 2021	For the year ended 31 March, 2020
	Rupees	Rupees
1. On Saving Accounts with scheduled banks Interest on Saving Bank Accounts	39,46,656	23,19,865
2. On Loans	-	-
a. Employees/Staff	-	-
b. Others	-	-
3. On Debtors and other Recievables	-	-
TOTAL	39,46,656	23,19,865

Vishy Kumar


Amal

**Central University of Haryana
Schedules Forming Part of Income & Expenditure Account**

Schedule 13 - Other Income

Items of material amounts included in Miscellaneous Income should be separately disclosed.

Particulars	For the year ended 31 March, 2021	For the year ended 31 March, 2020
	Rupees	Rupees
A. Income from Land & Building		
Hostel Room Rent	-	8,560
License Fee	-	-
Hire Charges of Auditorium/Play ground/Convention etc.	-	-
Electricity Charges Recovered	17,39,916	10,88,340
Water Charges Recovered	-	-
Rent-Other	8,56,276	25,12,480
TOTAL (A)	25,96,192	36,09,380
Sale of Institute's Publications	-	63,040
TOTAL (B)	-	63,040
C. Income from holding events		
Gross Receipts from annual function/sports carnival	-	-
Less: Direct expenditure incurred on the annual function/ sports carnival	-	-
Gross Receipts from fees	-	-
Less: Direct Expenditure incurred on the fees	-	-
Gross receipts for educational Tours	-	-
Less: Direct expenditure incurred on the tours	-	-
Others (to be specified and separately disclosed)	-	-
TOTAL (C)	-	-
D. Others		
Income from Consultancy		
RTI Fees	690	0
Provisions Written Off	-	5,164,161
Sale of application form (recruitment)	-	45,10,026
Misc. receipts (Sale of tender form, waste paper etc.)	24,33,480	36,80,351
Profit on Sale/disposal of Assets:		
a) Owned Assets	-	-
b) Assets acquired out of grants, or received free of cost	-	-
Grants/Donations from Institutions, Welfare Bodies and International Organizations	-	-
Others (Consultancy etc.)		9,56,480
TOTAL(D)	24,34,170	1,43,11,018
Grand Total (A+B+C+D)	50,30,362	1,79,83,437

Vijay Kumar 

Central University of Haryana
Schedules Forming Part of Income & Expenditure Account

Schedule 14 – Prior Period Income

Particulars	For the year ended 31 March, 2021	For the year ended 31 March, 2020
	Rupees	Rupees
Academic Receipts	-	-
Income From Investments	-	-
Interest Eearned	-	-
Gratuity Provision Reversed	-	13,824,293
Total	-	13,824,293

* Refer Note 13 under Schedule 24

Vishy Kumar

Sharma

Central University of Haryana
Schedules Forming Part of Income & Expenditure Account

Schedule 15 – Staff Payments & Benefits

These shall be classified separately for teaching and non-teaching staff; adhoc staff. Arrears of DA, Salary arrear due to increment shall be shown separately.

These shall be disclosed as follows:

Particulars	For the year ended 31 March, 2021	For the year ended 31 March, 2020
Salaries and Wages-Teaching	22,07,14,045	16,30,67,124
Salaries and Wages-Non Teaching	3,04,82,027	3,67,50,639
Salaries and Wages-Adhoc	0	3,44,231
Total Salary	25,11,96,072	20,01,61,994
Allowances and Bonus	1,84,69,546	87,03,280
Contribution to NPS	2,83,42,872	18,805,508
Contribution to Other Fund (Pension Fund)	6,98,946	-
Staff Welfare Expenses	0	142,247
Retirement and Terminal Benefits*	8,09,477	1,28,182
LTC Facility	50,43,780	4,81,060
Medical Facility	14,99,545	11,38,646
Children Education Allowance	25,52,686	3,242,245
Honorarium	31,20,577	57,33,933
Others(DA)	3,08,25,662	167,200
TOTAL	34,25,59,163	23,87,04,295

* Refer Note 5 (Schedule 24)

Vishu Kumar
Sudhakar

Central University of Haryana
Schedules Forming Part of Income & Expenditure Account

Schedule 16 – Academic Expenses

These shall be classified and disclosed as follows:

Particulars	For the year ended 31 March, 2021	For the year ended 31 March, 2020
Laboratory Expenses	-	5,33,956
Field Work/Participation	-	-
Seminar/Workshop	391,904	12,08,404
Payment to visiting faculty	-	80,75,809
Examination	8,063,436	24,99,940
Student Welfare Expenses	1,512,490	8,61,200
Admission Expenses	1,450,250	-
Convocation Expenses	3,829,785	17,39,492
Publications	51,422	-
Stipend/means-cum-merit scholarship	11,400	47,500
Subscription Expenses	-	-
Non Net Fellowship/Scholarship	6,894,383	50,72,696
Others -	-	-
T.A./D.A Meeting for Academic Program	514,721	72,46,463
Additional Grant	-	1,61,812
- Insurance Charges	-	-
Red Cross	-	-
Departmental Expenses	21,357,852	96,55,690
Alumini Meet	30,910	-
NSS	70,560	1,02,340
TOTAL	4,41,79,113	3,72,05,302

Vishy Kanyo
Sulley

Central University of Haryana
Schedules Forming Part of Income & Expenditure Account

Schedule 17 – Administrative And General Expenses

These shall be classified and disclosed as follows:

S.No	Particulars	For the year ended 31 March, 2021	For the year ended 31 March, 2020
A	Infrastructure		
	Electricity and Power	2,11,84,773	2,30,16,673
	Water Charges	0	-
	Insurance Exp.	4,69,345	-
	Rent, Rates and Taxes	0	-
B	Communication		
	Postage & Stationery	23,245	26,121
	Printing and Stationery	41,85,159	43,30,151
	Telephone & Internet Charges	17,35,623	1,24,128
C	Others		
	Travelling and Conveyance Expenses	2,08,204	18,57,433
	Hospitality	16,30,905	30,80,810
	Auditors Remuneration	0	-
	Professional Charges	9,00,909	10,70,694
	Advertisement and Publicity	13,95,062	18,17,506
	Magazine and Journals	0	-
	Others-		
	Others-Security Services	2,49,85,868	4,38,42,750
	Meeting Expenses	2,704	-
	Others-Newspaper & Periodicals	40,947	2,46,745
	Mess Expenses	0	-
	Others-Miscellaneous Expenses	1,22,87,625	95,62,699
	HEFA	3,11,22,322	92,70,254
	Others-Contingencies	3,64,972	3,01,793
	Others-Sport Expenses	3,61,353	83,370
	Recruitment Expenses	14,617	-
	Interest Refunded to UGC	22,61,678	2,873,777
	TOTAL	10,31,75,311	10,15,04,904

Central University of Haryana
Schedules Forming Part of Income & Expenditure Account

Schedule 18 – Transportation Expenses

In respect of vehicles owned by the educational institution including rentals paid and other expenses, if any, of vehicles not owned by the educational institution

Particulars	For the year ended 31 March, 2021	For the year ended 31 March, 2020
1. Vehicles (owned by educational institution)	-	-
Running Expenses	-	-
Repairs & Maintenance (Including Fuel charge)	13,70,853	4,24,073
Insurance Expenses	-	33,190
2. Vehicles taken on rent/lease	0	-
Rent/lease Expenses	476,174	-
3. Vehicle (Taxi) hiring expenses	0	-
TOTAL	18,47,027	4,57,263

Schedule 19 – Repairs & Maintenance

Repairs & Maintenance cost shall be classified and disclosed as follows:

Particulars	For the year ended 31 March, 2021	For the year ended 31 March, 2020
Building	-	10,85,029
Furniture	-	8,800
Plant & Machinery-(R&M)	16,02,419	20,48,726
Office Equipments(R&M)	470,025	5,510
Cleaning Material & Services	7,72,346	6,44,434
Maintenance of Lawn	-	-
Others (R&M)	21,15,077	16,83,733
TOTAL	49,59,867	54,76,232

Vijay Kumar
Sul-AM

Central University of Haryana
Schedules Forming Part of Income & Expenditure Account

Schedule 20 – Finance Cost

Finance cost shall be classified and disclosed as follows:

Particulars	For the year ended 31 March, 2021	For the year ended 31 March, 2020
Bank Charges	476,708	4,042
Other (specify)	-	-
TOTAL	476,708	4,042

Schedule 21 – Other Expenses

Other expenses shall be classified as write offs, provisions, miscellaneous, loss on sale of investments and fixed assets etc. and disclosed as accordingly.

Particulars	For the year ended 31 March, 2021	For the year ended 31 March, 2020
Provision for Doubtful Advances*	-	449,440
Irrecoverable Balances Written-off	-	-
Grants/Subsidies to other institutions/organizations	-	-
Others (Prior Period)	-	-
TOTAL	-	449,440

Vikas Kumar
Sub-Dr

Central University of Haryana
Schedules Forming Part of Income & Expenditure Account

Schedule 22 – Prior Period Expenses

Particulars	For the year ended 31 March, 2021	For the year ended 31 March, 2020
	Rupees	Rupees
1. Establishment Expenses	-	-
2. Academic Expenses	-	-
3. Administrative Expenses	-	-
4. Transportation Expenses	-	-
5. Provision for Intt refund on UGC Grant	-	-
6. Rectification of Interest on Auto Sweep FD 6945	-	-
Total	-	-

Vijay Kumar

Shubh

Central University of Haryana

NOTES TO THE FINANCIALS STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2021

Schedule - 23(Significant Accounting Policies)

1 **Basis of Preparation**

The accounts are prepared under the Historical Cost Convention unless otherwise stated and generally on the Accrual

2 **Revenue Recognition**

- 2.1 Fees from Students (except Tuition Fees), Sale of Admission Forms, Royalty and Interest on Savings Bank account are
- 2.2 Income from Land, Buildings and Other Property and Interest on Investments are accounted on accrual basis.
- 2.3 Interest on interest bearing advances to staff for House Building, Purchase of Vehicles and Computers is accounted on

3 **Fixed Assets & Depreciation**

- 3.1 Fixed assets are stated at cost of acquisition including inward freight, duties and taxes and incidental and direct
- 3.2 Gifted and Donated assets are valued at the declared value where available; if not available, the value is estimated based
- 3.3 Books received as gifts, are valued at selling prices printed on the books. Where they are not printed, the value is based
- 3.4 Fixed assets are valued at cost less accumulated depreciation. Depreciation on fixed assets is provided on Straight line

Tangible Assets

Land	0%
Site Development	0%
Buildings	2%
Roads & Bridges	2%
Tube wells & Water Supply	2%
Sewerage & Drainage	2%
Electrical Installation and equipment	5%
Plant & Machinery	5%
Scientific & Laboratory Equipment	8%
Office Equipment	7.5%
Audio Visual Equipment	7.5%
Computers & Peripherals	20%
Furniture, Fixtures & Fittings	7.5%
Vehicles	10%
Lib. Books & Scientific Journals	10%

Intangible Assets

E-Journals	40%
Computer Software	40%
Patents and Copyrights	9 years

- 3.5 Depreciation is provided for the whole year on additions during the year.
- 3.6 Assets created out of Earmarked Funds and funds of Sponsored Projects, where the ownership of such assets vests in
- 3.7 Assets, the individual value of each of which is Rs. 2000 or less (except Library Books) are treated as Small Value

4 **Intangible Assets**

- 4.1 Electronic Journals (E-Journals) are separated from Library Books in view of the limited benefit that could be derived from the
- 4.2 Expenditure on acquisition of software has been separated from computers and peripherals, as apart from being intangible

5 **Stock**

Expenditure on purchase of chemicals, glassware, publications and other stores is accounted as revenue

6 **Retirement Benefits**

Retirement benefits i.e., Pension are provided on the basis of actuarial valuation.

7 **Investments**

- 7.1 Long term investments are carried at their cost or face value whichever is lower. However any permanent diminution in
- 7.2 Short Term investments are carried at their cost or market value (if quoted) whichever is lower.

8 **Earmarked & Endowment Funds**

The following long terms funds are earmarked for specific purposes. Each of the funds has a separate bank account. Those

- 8.1 CORPUS FUND was established in (year). Matching contribution from Universit; Grants Commission, Recognition
- 8.2 A.D Fund
- 8.3 House Building Advances Fund
- 8.4 JRF/SRF Fund
- 8.5 Conveyance Fund (including Computer advances)
- 8.6 Rajiv Gandhi National Fellowship Fund
- 8.7 Endowment Funds

9 **Government & UGC Grants**

- 9.1 Government Grants and UGC grants are accounted on realization basis. However, where a sanction for release of

Vishal Kumar *Shubh*

Central University of Haryana

NOTES TO THE FINANCIALS STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2021

Schedule - 23(Significant Accounting Policies)

- 9.2 To the extent utilized towards capital expenditure, (on accrual basis) government grants and grants from UGC are
- 9.3 Government and UGC grants for meeting Revenue Expenditure (on accrual basis) are treated, to the extent utilized, as
- 9.4 Unutilized grants (including advances paid out of such grants) are carried forward and exhibited as a liability in the

10 Investment of Earmarked Funds & interest income accrued on such investments

To the extent not immediately required for expenditure, the amounts available against such funds are invested in approved

11 Sponsored Projects

- 11 In respect of ongoing Sponsored Projects, the amounts received from sponsors are credited to the head "Current
- 11 In addition to the Earmarked Fund for the Junior Research Fellowships funded by the University Grants Commission,
- 11 The Institution itself also awards Fellowships and Scholarships, which are accounted as Academic expenses.

12 Income Tax

The income of the Institution is exempt from Income Tax under Section 10(23c) of the Income Tax Act. No provision for

13 Provisions, Contingent Liabilities

The University estimates the provisions that have present obligations as a result of past events and it is probable that outflow of

Vijay Kumar



Central University of Haryana
 NOTES TO THE FINANCIALS STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2021

Schedule - 24 (Contingent Liabilities & Notes to Accounts)

1 Contingent Liabilities

- 1.1* Claims against the University/disputed liabilities not acknowledged as debt amount to Rs. 15.53 crores by NBCC. NBCC had served legal notice vide letter no. 2018-19/NBCC-CUH/01 Dt. 15/10/2018 whose reply was accordingly given and the pendencies in the contract were pointed out.
 * On the basis of CAG Report for the year 2018-19. See A.2.3.5 in the report for reference.

2 Capital Commitments

The Value of contracts remaining to be executed on Capital Account amounted to Rs. 38,61,71,821/- as on 31.03.2021, for purchase of property, plant and equipment. (Previous year Rs. 22,06,71,821/-)

3 Fixed Assets

- 3.1 Additions in the year to Fixed Assets in Schedule 4 include Assets purchased/installed in the current year have been set up by credit to Corpus Fund amounting Rs. 13,56,56,642/-. Tangible Assets are stated at cost (net of Input Tax Credit or CENVAT (till 30th June, 2017 the period prior to GST implementation date) wherever applicable) less accumulated depreciation and impairment losses, if any. Cost is inclusive of freight, duties, levies and any directly attributable cost of bringing the assets to their working condition for the intended use. Borrowing costs relating to acquisition of fixed assets, if material, are also included in cost to the extent they relate to the period till such assets are ready to be put to use.
- 3.2 Fixed assets as set out in Schedule 4 do not include assets purchased out of funds of sponsored projects, held and used by the Institution, as project contracts include stipulations that all such assets purchased out of projects funds will remain the property of the sponsors.
- 3.3 Reclassification of Fixed Assets has been done wherever deemed necessary.

4 Corpus Fund

The amount of Grants from UGC, Government of India and State Government to the Extent utilized for capital expenditure is added to the Corpus Fund. The same amounts to Rs. 13,56,56,642/- and might not agree with the figure in Fixed Asset schedule (See Sch 4) since the later includes Loans & Advances (On capital account) amounting Rs. 28,16,00,000/- reclassified as Capital Work in Progress in the current year but do not pertain to current Prior period adjustments amounting Rs. 261,66,00,000/- are done solely on the basis on Audit report issued by the CAG for the FY 2019-20.

5 Provisions

- 5.1 As per the notification no. 19-1/2017-IFD dated 12.04.2017 Ministry of Human Resource Development directed that the matter of extension of Gratuity and Death Gratuity to the employees of autonomous organisations covered under NPS under the MHRD is under consideration in MHRD in consultation with Department of Expenditure, Ministry of Finance, therefore the benefits of Retirement Gratuity and Death Gratuity to the employees of autonomous organisations covered under NPS has been withdrawn till a final decision is taken in the matter with the approval of Department of Expenditure, Ministry of Finance. In the view of the same provision for Gratuity has not been made in the current year.
- 5.2 Leave Encashment : The University estimates the provisions that have present obligations as a result of past events and it is probable that outflow of resources will be required to settle the obligations. These provisions are reviewed at the end of each reporting date and are adjusted to reflect the current best estimates. The provision for leave encashment maintains its opening balance as the balance for the year ended March 31, 2021. The current year development has not been effected by the management on its own assessment and evaluations.

6 Deposit Liabilities

The amount outstanding as Earnest Money Deposit & Security Deposits is Rs. 26,14,961/- during the year.

7 Expenditure in foreign Currency*

Books	NIL
Others	Rs. 4,62,529/-

* Compiled on the basis of Form 15CA/CB filed by the University.

8 Current Assets, Loans, Advances & Deposits

In the opinion of the Management, the current assets, Loans, Advances and Deposits have a value on realization in the ordinary course, equal at least to the aggregate amount shown in the Balance Sheet.

- 8.1 Cash and Bank Balances are presented on the basis of data provided and presented by the management during the course of compilation of accounts for the year. Further, the balances are subject to Reconciliation statements prepared by the management and relevant balance confirmations by the third Bank accounts not considered in earlier period were brought into the financials during the current period requiring a corresponding prior period adjustment amounting Rs. 1,29,01,089 in both Corpus and Cash & Cash Equivalents balances at the year end.

9 Previous year's figures have been regrouped/reclassified wherever necessary.

10 Figures in the Final accounts have been rounded off to the nearest rupee.

11 Schedules 1 to 24 are annexed to and form an integral part of the Balance Sheet at March 31, 2021 and the Income & Expenditure account for the year ended on that date

12

- 12.1 The financial statements of the University (viz., Balance Sheet and Income and Expenditure Account) have been prepared on the basis of Significant Accounting Policies (See Schedule 23).
- 12.2 Normally, Central Educational Institutions cannot raise loans, particularly by pledging their Assets, hence the heads Secured Loans & unsecured Loans do not therefore find a place in the Balance Sheet.
- 12.3 The accounting treatment and presentation in the Balance Sheet and the Income and Expenditure Account, of transactions and events is governed by their substance and not merely by the legal form.
- 12.4 In determining the accounting treatment and manner of disclosure of an item in the Balance Sheet and/or the Income and Expenditure Account, due consideration shall be given to the concept of materiality.

Vishy Kaur
 Sushant

Central University of Haryana

NOTES TO THE FINANCIALS STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2021

Schedule - 24 (Contingent Liabilities & Notes to Accounts)

- 12.5 The corresponding amounts for the immediately preceding year for all items shown in the Balance Sheet and the Income and Expenditure Account have been given in the Balance Sheet or Income and Expenditure Account as the case may be.
- 12.6 Revenue has not been recognized unless:
- (a) The related performance has been achieved;
 - (b) No significant uncertainty exists regarding the runoff of the consideration; and
 - (c) It is not unreasonable to expect realization and ultimate collection.

13* Prior Period Items

- 13.1 Solely on the grounds of C&AG Report for the FY 2019-20, following prior period adjustments have been made and presented in the financials for the year 2020-21

Increase of Rs. 261.66 crores on account of Corpus Funds (See A.1.1, B & C in the report for reference)

Decrease of Rs. (211.58) crores on account of Current Liabilities and Provisions (See A.1.1, A.1.2(i), A.1.2(iii), A.1.2(iv), C in the report for reference.)

Increase of Rs. 28.16 crores on account of Fixed Assets (See A.1.2(i) & C in the report for reference)

Increase of Rs. 4.8 crores on account of Current Assets (See A.1.1(iii) in the report for reference)

Increase of Rs. 17.12 crores on account of Loan, Advances & Deposits (See A.1.2(i), A.1.2(iv) & B in the report for reference.)

*** On the basis of CAG Audit Report for the years 2019-20**

- 13.2 Bank accounts not considered in earlier period were brought into the financials during the current period requiring a corresponding prior period adjustment amounting Rs. 1,29,01,089 in both Corpus and Cash & Cash Equivalents balances at the year end. Presented financial statements have been compiled solely on the basis of the data provided by the management during the course of compilation engagement and is subject to confirmations if any.
- 14 COVID-19 pandemic has caused serious disruptions on the global economic environment and there is a huge uncertainty

VishyKang

Shilpa



Special Post
भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग
कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय), चण्डीगढ़
Indian Audit & Accounts Department
Office of The Director General of Audit (Central),
Chandigarh



सं/No: डी.जी.ए.(सी)के व्यय/SAR- 2020-21/CUHM/2022-23/ 1679

दि/Dated: 10.10.2022

सेवा मे,

सचिव,
उच्चतर शिक्षा विभाग,
शिक्षा मंत्रालय,
भारत सरकार,
नई दिल्ली - 110001

विषय: Central University of Haryana, Mahendergarh के वर्ष 2020-21 के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

महोदय,

कृप्या Central University of Haryana, Mahendergarh के वर्ष 2020-21 के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (Separate Audit Report) संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु सलंग्न पाएं। संसद में प्रस्तुत होने तक प्रतिवेदन को गोपनीय रखा जाए।

संसद में प्रस्तुत करने के उपरांत प्रतिवेदन की पांच प्रतियाँ इस कार्यालय को भी भेज दी जाएं।

कृप्या इस पत्र की पावती भेजें।

भवदीय,

संलग्न: उपरोक्त अनुसार

- हस्ता/-

महानिदेशक

उपरोक्त की प्रतिलिपी वर्ष 2020-21 की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु The Vice Chancellor, Central University of Haryana, Village- Jant Pali, Mahendragarh, Haryana- 123029 को प्रेषित की जाती है।

भवदीया,
प्रतिष्ठा
निदेशक (केन्द्रीय व्यय)

Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of the Central University of Haryana, Mahendergarh for the year ended 31 March 2021

We have audited the Balance Sheet of the Central University of Haryana, Mahendergarh as at 31 March 2021, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account for the year ended on that date under Section 19 (2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 31 (1) of the Central Universities Act, 2009. These financial statements are the responsibility of the University's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports/ CAG's Audit Reports, separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:

- i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
- ii) The Balance Sheet and Income and Expenditure Account dealt with by this Report have been drawn up in the format prescribed by the Ministry of Human Resource Development, Government of India vide order No. 29-4/2012-FD dated 17 April 2015. However, the Receipt and Payment Account was not prepared as commented at Sl.no. C.10 below of this report.

iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the Central University of Haryana, Mahendergarh in so far as it appears from our examination of such books except as commented at Sl.no. C.2, C.4, C.5 and D.2 of this report.

iv) We further report that:-

A. Balance Sheet

A.1 Sources of Funds

Current liabilities & Provisions (Schedule 3)

Current Liabilities

Other Current Liabilities

A.1.1 Unutilised Grants: ₹ 28.08 crore

As per the prescribed format of accounts, Schedule 3C/ Schedule 10 are prescribed for accounting transactions of Government grants only and showing correct balances in respect of Government grants in the annual accounts.

The University had shown balance of unutilised grants amounting to ₹ 28.08 crore. Unutilised grants were worked to be ₹ 31.65 crore. Thus, the University has short booked the balance of unutilised grants by ₹ 3.57 crore. It had resulted in understatement of Unutilised Grants by ₹ 3.57 crore, overstatement of Receipts against ongoing sponsored projects by ₹ 2.65 crore, understatement of Current Liabilities by ₹ 2.11 crore (₹ 0.80 crore + ₹ 1.31 crore) and overstatement of Corpus Fund/ Capital Fund by ₹ 3.03 crore.

A.1.2 Receipts against ongoing sponsored projects: ₹ 328.78 lakh

Above included debit balances amounting to ₹ 14.66 lakh. These debit amounts should have been shown under Loans, Advances & Deposits instead of making netting of liabilities. This had resulted in understatement of Current liabilities as well as Loans, Advances & Deposits by ₹ 14.66 lakh.

A.1.3 Other Funds (HEFA): ₹ 49.51 crore

There was a difference of ₹ 11.13 crore (60.64-49.51) in accounting HEFA loan liability in the annual accounts. The difference was due to non-accounting of HEFA Loan transactions for the year 2020-21 in the annual accounts. Following transactions for the year 2020-21 were not accounted for in the annual accounts:-

(i) HEFA loan disbursal to University during 2020-21 not accounted for ₹ 25.35 crore:

➤ Advances of ₹ 69.13 crore were released to CPWD by availing HEFA loan up to 31.03.2021. However, against the loan availed of ₹ 69.13 crore, the University in its annual accounts had booked HEFA loan liability amounting to ₹ 43.78 crore, only. Thus, loan liability for ₹ 25.35 crore, loans for which were availed during the year 2020-21, was not booked in the annual accounts.

Against amount released of ₹ 69.13 crore, CPWD had incurred expenditure amounting to ₹ 46.87 crore up to 31.03.2021. Therefore, on the corresponding assets side amounts of ₹ 46.87 crore and ₹ 22.26 crore were to be transferred to Capital Work in Progress and Advances, respectively. However, the University had booked amounts of ₹ 27.22 crore and ₹ 16.55 crore as Capital Work in Progress and Advances, respectively. Further, Capital Work in Progress was excess transferred to the extent of ₹ 0.01 crore (0.94-0.93) while posting interest to CWIP. Thus, assets were also short booked to the extent of ₹ 25.35 crore.

This had resulted in understatement of HEFA Loan liability by ₹ 25.35 crore, understatement of Advances by ₹ 5.71 crore (69.13 Total Advances -46.87 to be transferred to CWIP- 16.55 Already shown as Advances) and understatement of Capital Work in Progress by ₹ 19.64 crore (46.87 to be transferred to CWIP -27.22 Already transferred to CWIP-0.01).

➤ Further, in compliance to the prescribed format, Capital Work in Progress amounting to ₹ 46.87 crore should also had been transferred to Capital Fund by transferring corresponding amount to Assets Recovery Account (to the extent of repayments of loan is pending for such assets created out of HEFA Loan) as assets have been capitalised from HEFA Loan but payments to HEFA is to be made in installments after receipts of HEFA grants from Government). This had resulted in understatement of Capital Fund as well as Assets Recovery Account by ₹ 46.87 crore.

(ii) Non-accounting of two instalments paid in respect of HEFA Loan Principal amounting to ₹ 4.80 crore each were not deducted from Loan Liability

Two instalments in respect of HEFA Loan Principal amounting to ₹ 4.80 crore each were paid during the year 2020-21 which were not included in the books of

accounts. Non-accounting of above transactions in the annual accounts had resulted in overstatement of HEFA Loan Liability as well as Assets Recovery Account by ₹ 9.60 crore.

(iii) As per bank statement of Escrow Account, the HEFA Loan liability of ₹ 4.80 crore has been discharged. However, these transactions were not incorporated in the annual accounts. This had resulted in overstatement of HEFA Loan liability as well as Current Assets (HEFA Balance-Escrow) by ₹ 4.80 crore.

(iv) **Short-accountal of Interest payable of ₹ 0.18 crore**

Interest of HEFA Loan amounting to ₹ 1.11 crore was due on 31.03.2021 which was paid in April 2021. As per the annual accounts, an amount of ₹ 0.93 crore (1.28-0.35) was already booked as Interest payable on HEFA Loan. However, the balance amount of Interest payable was not booked in annual accounts. This had resulted understatement of Interest Payable on HEFA Loan as well as Capital Work in Progress by ₹ 0.18 crore.

A.1.4 Above included an amount of ₹ 57.00 lakh shown as 'Grant Sanctioned but not recorded'. Further, in the annual accounts, corresponding amount had been shown as 'Grant Recoverable' under Loans, Advances & Deposits. However, as per records furnished, this grant of ₹ 57.00 lakh was received and utilized by the University during the year 2020-21. This had resulted in overstatement of Current Liabilities as well as Loans, Advances & Deposits by ₹ 57.00 lakh.

A.1.5 Statutory Liabilities

Vide comment at Sl.no. A.1.2 (ii) of Separate Audit Report for the year 2019-20, it was pointed out that above amount has been booked by netting of plus balances of ₹ 1.15 crore with minus balances under various heads, which represent debit balances and should have been classified as receivable on the Assets side. This had resulted in understatement of Current liabilities as well as Loans, Advances & Deposits by ₹ 1.15 crore.

However, compliance was not made by the University.

A.2 Application of funds

A.2.1 Fixed Assets (Schedule4)

Tangible assets Rs. 1176.57 lakh

A.2.1.1 Computer/peripherals: ₹365.32 lakh

Above included Scientific & Laboratory Equipments (depreciation rate being 8 percent per annum) purchased during the year 2020-21 amounting to ₹ 1.16 crore which were incorrectly classified under the head Computer/peripherals (depreciation rate being 20 percent per annum). This had resulted in overstatement of Computers/ Peripherals by ₹ 0.93 crore, understatement of Scientific & Laboratory Equipments by ₹ 1.06 crore overstatement of depreciation by ₹ 0.13 crore.

A.2.1.2 Intangible Assets: Computer Software: ₹ 149.71 lakh

On working of depreciation on computer software, it was found that it was overcharged to the extent of ₹ 8.71 lakh (including ₹ 7.63 lakh for the year 2020-21. This had resulted in understatement Fixed Assets as well as Corpus/ Capital Fund by ₹ 8.71 lakh. Besides, overstatement of Expenditure of current year by ₹ 7.63 lakh.

A.2.1.3 Capital Work in progress

(i) On the HEFA Loan availed by the University, total interest amount of ₹ 5.04 crore was accrued to be paid by the University for the period up to 31.03.2021.

However, the University had not incorporated these transactions in its annual accounts. This had resulted in understatement of Corpus Fund/ Capital Fund as well as Capital Work in Progress by ₹ 5.04 crore.

(ii) Above includes ₹ 96.00 lakh on account of work of Wi-Fi installation in the University completed by National Informatics Centre Services Incorporated (NICS) in June 2017. Against the amount of ₹ 322.18 lakh paid to NICS, an amount of ₹ 232.93 lakh have been refunded by NICS in August 2019. Amount of ₹ 89.25 lakh (322.18 – 232.93) is outstanding in the books of accounts against this work completed (₹ 96 lakh in CWIP and credit balance of ₹ 6.75 lakh in Advances). The amount of ₹ 6.75 lakh was earned as interest on advances by NICS is refundable to Consolidated Fund of India. Non-adjustment of outstanding amounts had resulted in overstatement of Capital Work in Progress by ₹ 89.25 lakh, understatement of Fixed Assets by ₹ 17.85 lakh (after charging depreciation at

the rate of 20 percent per annum for the years 2017-18 to 2020-21) and overstatement of Corpus/ Capital Fund by ₹ 71.40 lakh. Besides, understatement of depreciation for the year 2020-21 by ₹ 17.85 lakh. Further, understatement of advances as well as Current Liabilities by ₹ 6.75 lakh.

A.2.2 Current Assets (Schedule 7)

A.2.2.1 Cash and Bank Balances in Term Deposit Accounts: ₹ 70.97 crore

An amount of ₹ 0.95 crore was paid towards repayment of interest on HEFA Loan during the year 2020-21. However, the University had booked the same as Fixed Deposit Receipts invested out of Corpus/ Capital Fund, instead of expenditure. This had resulted in overstatement of Current Assets as well as Corpus Fund/ Capital Fund by ₹ 0.95 crore.

A.2.2.2 HEFA Balance (Escrow): ₹ 9.12 crore

Above included an amount of ₹ 4.32 crore which was received as grant from Government for repayment of interest on HEFA Loan availed by the University. As per the bank statement of Escrow Accounts (which is maintained by the University for transactions pertaining to HEFA Loan), the liability of ₹ 4.32 crore had already been discharged by utilizing the grant received from Government. The University had also accounted for the grant received of ₹ 4.32 crore as Income. Non-accounting of transactions related to discharging of payment of interest liability had resulted in overstatement of HEFA Balance (Escrow) as well as Corpus/ Capital Fund by ₹ 4.32 crore.

B. Income & Expenditure Account

Income

Income from Investments (Schedule 11): ₹ 279.86 lakh/ Interest Earned (Schedule 12): ₹ 39.47 lakh

B.1 Above included interest earned on Government grant funds amounting to ₹ 2.22 crore. This interest has been accounted as University's income, instead of liability towards Consolidated Fund of India. This had resulted in overstatement of Income and understatement of Liabilities by ₹ 2.22 crore.

B.2 Above included income earned on project funds amounting to ₹ 25.43 lakh (₹ 14.45 lakh included in Schedule 11 and ₹ 10.98 lakh included in Schedule 12) which should have been included in Project balances, instead of University

Income. This had resulted in overstatement of Income and understatement of Project balance by ₹ 25.43 lakh.

C. General

C.1 Net impact of Audit comments on the Annual Accounts

Net impact of Audit comments on the annual accounts of the University for the year ending 31 March 2021 is as under:

- i. Assets understated by ₹58.08 crore.
- ii. Liabilities understated by ₹17.37 crore.
- iii. Corpus/Capital Fund understated by ₹ 40.71 crore. Besides, the Surplus is overstated by ₹ 0.23 crore

C.2 Cash and Bank Balances in Saving Accounts: ₹ 20.31 crore

(i) Above bank balances of ₹ 20.31 crore included bank balance on account of TSA-RBI account, amounting to ₹ 11.27 crore. As per the assignment limit statement of Reserve Bank of India, there was nil balance in the account as on 31.03.2021 as funds in the account were lapsed by RBI on the close of financial year on 31.03.2021. Therefore, there was a difference of ₹ 11.27 crore between the University figures and bank figures. However, the University had not prepared the bank reconciliation statement. Hence, reasons for the difference could not be verified. Therefore, showing of bank balance amounting to ₹ 11.27 crore in TSA-RBI account was not found in order¹.

(ii) Bank balances of HEFA Balance (Escrow) account was shown for ₹ 9.12 crore. As per bank statement of the account, the bank balance in the above account as on 31.03.2021 was only ₹ 4,940. The University had not prepared the bank reconciliation statement of the HEFA Balance (Escrow) Account, therefore, reasons for the difference could not be verified and showing of Bank balances of HEFA Balance (Escrow) account amounting to ₹ 9.12 crore was not found in order.

¹An instance of booking excess receipt of grants in RBI Bank Account amounting to ₹ 10.90 crore was noticed. However, as the University had not prepared bank reconciliation statement, reasons for the total difference of ₹ 11.27 crore could not be verified.

C.3 An amount of ₹2.75 crore was shown as additional grants in Schedule 3. This amount of ₹ 2.75 crore was received against sponsored projects, therefore the same should had been included under balances of Receipts against Sponsored Projects in the Schedule 3A.

C.4 Vide comment at Sl.no. B of Separate Audit Report for the year 2019-20, it was pointed out that documents in support of addition of ₹ 2.92 crore made to Fixed Assets-Road & Bridges in the year 2019-20 were not furnished. Therefore, capitalization made during 2019-20 could not be verified so far.

Despite being pointed out in previous year SAR, these documents have not been furnished in the current audit.

C.5 Non-production of information/ documents

Following information/ records have not been furnished to audit:

(i) Physical and financial progress reports in respect of following amounts booked in Advances and Capital Work in Progress were not furnished to audit:-

Sl.no.	Shown in Advances	Amount
1.	Advance to CPWD Guest House Construction	₹ 9,81,12,000/-
2.	Advance to CPWD Administrative Block	₹ 85,34,000/-
3.	Advance to PWD/CPWD Campus development- 2 nd Phase	₹ 11,64,28,511/-
4.	Rites Ltd.	₹ 8,98,880/-

Sl.no.	Shown in Capital Work in Progress	Amount
1.	CPWD for Buildings	₹ 60,65,65,839/-
2.	CPWD for Furniture	₹ 4,70,00,000/-
3.	CPWD for Canal Water	₹ 6,94,63,762/-
4.	CPWD for Guest House	₹ 96,75,000/-
5.	CPWD for Campus Development	₹ 25,52,00,00/-

(ii) Advance register pertaining to Capital Advances ₹ 38.62 crore not shown to Audit.

(iii) Grants received during the year included receipts on account of educational loan ₹ 80.44 lakh. Complete details of these receipts alongwith the expenditure incurred/ to be incurred against these grants alongwith relevant supporting documents were not furnished, therefore, these could not be verified.

In view of points (i) to (iii) above, Capital Advances (Schedule 8), CWIP and Fixed Assets could not be verified in Audit.

C.6 Assets created out of Earmarked Funds and funds of Sponsored Projects were disclosed specifically, neither in Fixed Assets Schedule, nor by way of a note in the Notes to Accounts.

Further, full facts of the Accounting Policy adopted at Sl. No. 3.6 (Schedule 23) were not disclosed as it only states “Assets created out of Earmarked Funds and funds of Sponsored Projects, where the ownership of such assets vests in from the funds of Sponsored projects where ownership of such assets vests in.....” but the policy was not disclosed.

Thus, accounting policy declared at Sl.no. 3.6 (Schedule 23) was also found deficient and incomplete.

C.7 Annexure 7A prescribed in the MHRD format of account showing the details of saving bank accounts and term deposit with banks was not appended with the Schedule 7.

C.8 Accounting Policy at Sl. No. 5 as mentioned in the prescribed format states that the value of closing stock held on 31st March is set up as inventory by reducing the corresponding revenue expenditure on the basis of information obtained from departments. However, the University while preparing the accounts has not obtained the information as regards the inventory held by various departments and shown the inventory as nil as on 31.3.2021, instead of showing the value of un-consumed stock in the annual accounts. Thus, compliance of the prescribed format was not made by the University.

C.9 Balance of “Provision against accumulated leave encashment” was same as shown in the previous year. Thus, University have not made any such provision on account of leave encashment during 2020-21, nor reviewed this provision. Statutory compliance as regards the actuarial valuation of obligation on account of leave encashment as prescribed in the MHRD Format of Accounts was not made.

C.10 As per the prescribed format of accounts, Receipts & Payments Account is to be prepared and annexed with the annual accounts. However, the University had not prepared the same.

C.11 Vide comment at Sl.no. D.6 of the Management Letter to the Separate Audit Report for the year 2019-20, it was pointed out that, mandatory disclosures in respect of (a) number of students and teachers (b) collection on account of building fund, sports activities, co-curricular activities, development charges and medical expenses & expenditure against each such head of collection (c)

compliance with statutory dues like EPF & ESI and (d) salary structure of teachers were not made in annual accounts.

However, no action has been taken by the University to make compliance of the above observation.

D. Grant-in-aid

D.1 The position of grant-in-aid of the University as on 31.03.2021 was as under:-

Particulars	Amount in ₹ crore					
	OH-31	OH-35	OH-36	HEFA	Interest on grant funds	Total
Opening balance	2.77	38.71	0	4.32	0	45.80
Add: Grant Received during the year	13.09	2.75	22.12	7.90	0	45.86
Interest on grants pertaining to previous year, yet to be refunded	0	0	0	0	3.76	3.76
Total Funds Available	15.86	41.46	22.12	12.22	3.76	95.42
Less: Utilisation during the year	15.86	13.57	22.12	12.22	0	63.77
Closing balance	0	27.89	0	0	3.76	31.65

D.2 Grant of ₹ 2.75 crore under the Capital Head (35) was also received by the University on 26.03.2021. The above grant was received in TSA system of Reserve Bank of India. The funds in the TSA account were lapsed by RBI on 31.03.2021. However, details of utilisation/ lapse of above grant could not be verified in the absence of specific records maintained.

E. Management letter

Deficiencies which have not been included in the Audit Report have been brought to the notice of the University’s management through a management letter issued separately for remedial/ corrective action.


v) Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income and Expenditure Account and Receipts and Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

vi) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Audit Report give a true and fair view in

conformity with accounting principles generally accepted in India:

- a. In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of the Central University of Haryana, Mahendergarh as at 31 March 2021; and
- b. In so far as it relates to Income & Expenditure Account, of the deficit for the year ended on that date.

For and on behalf of the C & AG of India



Director General of Audit (Central), Chandigarh

Place: Chandigarh

Date: 10/10/2022

Annexure to Audit Report

1. Adequacy of Internal Audit System

Internal Audit System was not in existence.

2. Adequacy of Internal Control System

Internal Control System was found inadequate to the following extent:-

- a) Non-existence of Internal Audit System;
- b) Accounting manual was not prepared;
- c) Register of Contracts and Expenditure Control Register were not maintained;
- d) Two meetings of Finance Committee of the University were held during the year 2020-21 as against three meetings as prescribed in the Governing Act/Regulations.
- e) Fixed Deposit Register was not maintained;
- f) As per the prescribed format of accounts, Receipts & Payments Account is to be prepared and annexed with the annual accounts. However, the University has not prepared the same;
- g) Although, Registers of Fixed Assets were maintained in the various departments, but no centralized register maintained to match with the fixed assets schedule of the Accounts. Further, Fixed Assets Register produced to audit did not contain any entry as regards the land. In absence of the details of the land acquired and shown in the accounts, the same could not be verified in audit;
- h) Advances amounting ₹ 25.52 lakh though were lying unadjusted on 31.3.2021 in the loans & advances register, were not included in the annual accounts under the "Loans, Advances & Deposits". Thus, there is mismatch between the register maintained and accounting records. Reasons for mismatch are to be reconciled by the University and necessary accounting entry be made in the annual accounts.
- i) In the Bank Reconciliation Statements, debit and credit transactions amounting to ₹ 5.96 crore and ₹ 4.51 crore, respectively, older than 3 months were noticed. Efforts are needed to be made to identify these transactions older than three months appearing in the bank reconciliation statements.

3. System of Physical Verification of Fixed Assets

Details in respect of conducting of physical verification of the fixed assets were not furnished. Action taken on the verification report for the year 2019-20 was also not furnished.

4. System of Physical Verification of Inventories

Physical verification of the inventory was conducted.

5. Regularity in Payment of Statutory Dues.

No irregularity was noticed in respect of payment of statutory dues.


Director

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय



परिक्षित वार्षिक लेखा

2020-2021

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय



उपलब्धियां... आत्मविश्वास के साथ

विश्वविद्यालय का प्रतीक चिन्ह

तीन वृत्तखंडों की त्रिवेणी से बना है जिसके बीच में एक ग्लोब है। इसके नीचे भर्तृहरि द्वारा रचित नीतिशतकम् से लिया गया एक श्लोक उद्भूत है।

नीचे वाले वृत्तखंड में एक खुली हुई पुस्तक है जो ज्ञान विद्वत्ता और विवेक की प्राप्ति की ललक का प्रतीक है, एक वीणा अंकित है जो इस बात का प्रतीक है कि विश्वविद्यालय कला एवं संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

दायीं ओर के वृत्तखंड में विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं साहस के प्रतीक अंकित है जिससे प्रदर्शित होता है कि विश्वविद्यालय वैज्ञानिक एवं अन्वेषी दृष्टिकोण विकसित करने सृजन एवं नवोन्मेष की संस्कृति का सूत्रपात करने के लिए कृतसंकल्प है।

बायीं ओर के वृत्तखंड में प्रकृति का चित्रण है जिससे प्रतिपादित होता है कि विश्वविद्यालय जीवन मूल्यों से ओत-प्रोत शिक्षा, सदाचारयुक्त जीवन प्रकृति एवं पर्यावरण के प्रति आदर एवं सौहार्द की भावना विकसित करेगा।

प्रतीक चिह्न के केंद्र में मानव श्रृंखला से घिरा हुआ ग्लोब और उसके ऊपर उड़ता हुआ कबूतर अभिव्यक्त करता है कि तीनों वृत्तखंडों की त्रिवेणी द्वारा जो प्रतिबद्धताएं व्यक्त की गई हैं उनके द्वारा विश्व में स्वतंत्रता शांति समृद्धि और एकता का विकास होगा जो शिक्षा का मूल उद्देश्य भी है।

नीचे उद्धृत श्लोक 'विद्याधनं सर्वधनप्रधानम्' का अर्थ है कि 'शिक्षा' रूपी धन ही सर्वोत्तम धन है जिसे न कोई चुरा सकता है न ही बांट सकता है।

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के बारे में

विश्वविद्यालय

केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के तहत स्थापित हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा राज्य का एकमात्र विश्वविद्यालय है, जिसका नियंत्रण एवं वित्त-पोषण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाता है। यह विश्वविद्यालय महेन्द्रगढ़ जिले के जांट-पाली गाँव में स्थित है, जो अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा है।

विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष

भारत के महामहिम राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद

कुलाधिपति

प्रो. पी.एल. चतुर्वेदी (19 दिसंबर, 2020 तक)

कुलपति

प्रो. आर.सी कुहाड़

एफएनएएससी, एफएनएएस, एफएएमएससी, एफबीआरएस

लक्ष्य

नवप्रवर्तन, रचनात्मक प्रयासों तथा विद्वतापूर्ण अन्वेषणों को प्रोत्साहित करके सबों को ज्ञानी-समाज का प्रबुद्ध नागरिक बनाना ताकि व्यक्ति, राष्ट्र और सम्पूर्ण विश्व शांति एवं समृद्धि को प्राप्त कर सके।

ध्येय

विश्वविद्यालय का ध्येय है भारत का समग्र विकास एवं पूर्ण आत्मनिर्भरता। इसमें विश्वविद्यालय की मुख्य भूमिका होगी, रचनात्मक एवं आलोचनात्मक विचारों को प्रोत्साहन देना, बहु-विषयी शिक्षण, उज्वल-चरित्र निर्माण एवं नैतिक मूल्यों से ओत-प्रोत पारदर्शी कार्य-प्रणाली विकसित करना, ज्ञानी-समाज के निर्माण का पथ-प्रशस्त करना। शिक्षण, अनुसंधान एवं नवप्रवर्तन को और अधिक सटीक एवं प्रायोगिक बनाना। सामाजिक अनुसंधान, लोकतांत्रिक प्रवृत्ति, समावेशी सामाजिक-आर्थिक विकास, समुदायिक विस्तार अभियान, वैज्ञानिक प्रयास एवं तकनीकी प्रगति।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

- विद्याओं के प्रसार एवं उन्नति के लिए आवश्यकतानुसार शिक्षण एवं अनुसंधान की सुविधाएं प्रदान करना।
- मानविकी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के पाठ्यक्रमों में समेकित पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए विशेष प्रावधान करना।
- अध्ययन-अध्यापन, अंतर्विषयी अध्ययन तथा अनुसंधान में नवाचारों को प्रोत्साहित करने हेतु उचित व्यवस्था करना।
- देश के विकास के लिए मानव संसाधन को शिक्षित एवं प्रशिक्षित करना।
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की उन्नति के लिए उद्योगों से संबंध स्थापित करना
- लोगों के सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में सुधार, लोक-कल्याण, बौद्धिक, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक उत्थान हेतु विशेष प्रयास।

गुणवत्ता का संकल्प

सर्वोत्कृष्ट शिक्षा, सही दिशा में अनुसंधान और अन्य शैक्षिक पहलुओं को श्रेष्ठ बनाकर निरंतर प्रगति के द्वारा समाज का सर्वांगीण विकास। गम्भीरता, दृढ़ संकल्प, अन्वेषण, सदाचार, ईमानदारी, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, सतत आत्म-मूल्यांकन एवं आत्मसुधार के द्वारा स्वस्थ-समाज की नींव डालना।

विश्वविद्यालय कोर्ट
(31 मार्च, 2021 के अनुसार)

1	अध्यक्ष प्रो. (डॉ.) पी. एल. चतुर्वेदी कुलाधिपति (19 दिसम्बर, 2020 तक)	
2	प्रो. आर. सी. कुहाड़ कुलपति हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़	3 प्रो. डी. पी. एस. वर्मा पूर्व आचार्य, वाणिज्य विभाग दिल्ली स्कूल ऑफ इकनोमिक्स दिल्ली
4	प्रो. भीम सिंह दहिया पूर्व कुलपति, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र हरियाणा	5 प्रो. ओमप्रकाश अरोड़ा एमिरिट्स फेलो वाणिज्य विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र
6	प्रो. सतवंती कपूर आचार्य (से.नि.), मानवविज्ञान विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	7 प्रो. ताहिर हुसैन सदस्य, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार
8	डॉ. पी. के. खुराना प्राचार्य, शहीद भगत सिंह महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय	9 प्रो. संजीव कुमार अधिष्ठाता, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान पीठ, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेंद्रगढ़
10	प्रो. राजेश कुमार मलिक कुलानुशासक एवं अधिष्ठाता, विधि पीठ हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेंद्रगढ़	11 प्रो. दीपक पंत अधिष्ठाता, मौलिक विज्ञान पीठ हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेंद्रगढ़
12	प्रो. सतीश कुमार अधिष्ठाता, अंतर-विषयी एवं अनुप्रयुक्त जीवन विज्ञान पीठ, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेंद्रगढ़	13 डॉ. आनन्द शर्मा अधिष्ठाता, व्यावसाय एवं प्रबंधन अध्ययन पीठ हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेंद्रगढ़
14	डॉ. प्रमोद कुमार अधिष्ठाता, शिक्षा पीठ हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेंद्रगढ़	15 डॉ. अजय कुमार बंसल अधिष्ठाता, अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी पीठ हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेंद्रगढ़
16	प्रो. दिनेश कुमार गुप्ता पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग (छात्र कल्याण अधिष्ठाता) हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेंद्रगढ़	17 प्रो. नीलम सांगवान विभागाध्यक्ष, जैवरसायन विभाग हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेंद्रगढ़
18	प्रो. राजबीर सिंह दलाल विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेंद्रगढ़	19 प्रो. रविन्द्र पाल अहलावत विभागाध्यक्ष, शारीरिक शिक्षा एवं खेल विभाग हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेंद्रगढ़
20	डॉ. दिनेश कुमार विभागाध्यक्ष, औषध विज्ञान विभाग हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेंद्रगढ़	21 डॉ. विकास गर्ग विभागाध्यक्ष, सिविल अभियांत्रिकी विभाग हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेंद्रगढ़
22	डॉ. गुंजन गोयल विभागाध्यक्ष, सूक्ष्मजीवविज्ञान विभाग हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेंद्रगढ़	23 डॉ. राजेश कुमार गुप्ता विभागाध्यक्ष, गणित विभाग हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेंद्रगढ़

24	डॉ. सुनील कुमार विभागाध्यक्ष, भौतिकी एवं खगोल भौतिकी विभाग हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़	25	डॉ. रणबीर सिंह विभागाध्यक्ष, पर्यटन एवं होटल प्रबंधन विभाग हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़
26	डॉ. विश्वानंद यादव विभागाध्यक्ष, मनोविज्ञान विभाग हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़	27	डॉ. रंजन अनेजा विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़
28	डॉ. राकेश कुमार विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर विज्ञान एवं अभियांत्रिकी विभाग, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़	29	डॉ. संतोष सी. हुलागबली पुस्तकालयाध्यक्ष हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़
30	प्रो. सारिका शर्मा आचार्य, शिक्षा पीठ हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़	31	डॉ. विपुल यादव परीक्षा नियंत्रक हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़
32	श्री मनोरंजन त्रिपाठी वित्त अधिकारी हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़	33	डॉ. जे.पी. भूकर सह-आचार्य, शारीरिक शिक्षा एवं खेल विभाग कुलसचिव (प्रभारी)
34	डॉ. देवेन्द्र सिंह कुलाध्यक्ष द्वारा नामित आचार्य, विधि विभाग पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़	35	प्रो. तनुजा अग्रवाला कुलाध्यक्ष द्वारा नामित संकाय सदस्य, प्रबंधन अध्ययन दिल्ली विश्वविद्यालय
36	श्रीमती मीनाक्षी चौधरी कुलाध्यक्ष द्वारा नामित लेखक एवं सामाजिक कार्यकर्ता शिमला	37	प्रो. वंदना पूनिया कुलाध्यक्ष द्वारा नामित आचार्य (शिक्षा), मानव संसाधन विकास केंद्र पूर्ववर्ती शैक्षणिक स्टाफ कॉलेज, गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार, हरियाणा
38	प्रो. भगवती प्रसाद सारस्वत कुलाधिपति द्वारा नामित प्रमुख, वाणिज्य विभाग, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर, राजस्थान	39	प्रो. (डॉ.) पी. के. शर्मा कुलाधिपति द्वारा नामित आचार्य प्रबंधन, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा, राजस्थान
40	डॉ. अजय पाल शर्मा प्रबंधन अध्ययन विभाग, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़	41	डॉ. प्रदीप सिंह विधि विभाग हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़
42	डॉ. कविता ए. शर्मा अध्यक्ष, साउथ एशियन विश्वविद्यालय नई दिल्ली	43	प्रो. जे. पी. जूरेल निदेशक, सूचना एवं पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र, इंफोसिटी, गाँधी नगर, गुजरात
44	प्रो. प्रेम व्रत समकुलाधिपति, प्रोफेसर ऑफ एमिनेन्स एंड चीफ मेंटर, द नार्थकेप यूनिवर्सिटी गुरूग्राम	45	प्रो. के. पी. सिंह पूर्व कुलपति, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार, हरियाणा
46	प्रो. ओ. पी. कालरा कुलपति, पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक, हरियाणा	47	एडवोकेट पवन दुग्गल एडवोकेट, बार एसोसिएशन, रोहिणी, दिल्ली

कार्यकारी परिषद्
(31 मार्च, 2021 के अनुसार)

1	अध्यक्ष प्रो. आर. सी. कुहाड़ कुलपति, हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय		
2	प्रो. संजीव कुमार अधिष्ठाता, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान पीठ हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़	3	प्रो. राजेश कुमार मलिक कुलानुशासक एवं अधिष्ठाता, विधि पीठ हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़
4	प्रो. दीपक पंत अधिष्ठाता, रसायन विज्ञान पीठ हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़	5	प्रो. डी. पी. एस. वर्मा पूर्व आचार्य, वाणिज्य विभाग, दिल्ली दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
6	प्रो. भीम सिंह दहिया पूर्व कुलपति कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र	7	प्रो. ओमप्रकाश अरोड़ा एमरिट्स फेलो रसायन विभाग कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र
8	डॉ. पी.के. खुराना प्राचार्य, शहीद भगत सिंह महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय	9	प्रो. सतवंती कपूर आचार्य (से.नि.), मानवविज्ञान विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
10	प्रो. ताहिर हुसैन सदस्य, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार	11	डॉ. जे.पी. भूकर कुलसचिव (प्रभारी), सचिव पदेन हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय

शैक्षणिक परिषद्
(31 मार्च 2021 के अनुसार)

1	अध्यक्ष प्रो. आर. सी. कुहाड़ कुलपति, हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय	
2	डॉ. (प्रो.) परमजीत सिंह आचार्य (सेवानिवृत्त), विधि विभाग, पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला	3 प्रो. दीपक गौड़ आचार्य, जैवप्रौद्योगिकी पीठ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
4	डॉ. (श्रीमती) शिमला पूर्व कुलसचिव वाईएमसीए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फरीदाबाद	5 डॉ. अश्वनी महाजन सह-आचार्य अर्थशास्त्र विभाग पीजीडीएवी कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय
6	प्रो. पी.सी. पटनायक विभागाध्यक्ष, आधुनिक भारतीय भाषाएं एवं साहित्यिक अध्ययन विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	7 प्रो. राज कुमार कुलपति पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़
8	प्रो. सथान्स आचार्य इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग एनआईटी, कुरुक्षेत्र	9 प्रो. राम सिंह आचार्य, अर्थशास्त्र विभाग दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
10	श्री मानस चंद्र फुलोरिया सह-संस्थापक और सीईओ नागरो सॉफ्टवेयर लिमिटेड, गुरुग्राम	11 प्रो. मार्कडेय आहूजा कुलपति गुरुग्राम विश्वविद्यालय, गुरुग्राम
12	प्रो. संजीव कुमार अधिष्ठाता, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान पीठ हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, महेंद्रगढ़	13 प्रो. राजेश कुमार मलिक अधिष्ठाता, विधि पीठ हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, महेंद्रगढ़
14	प्रो. दीपक पंत अधिष्ठाता, मौलिक विज्ञान पीठ हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, महेंद्रगढ़	15 प्रो. सतीश कुमार अधिष्ठाता अंतर-विषयी एवं अनुप्रयुक्त जीवन विज्ञान पीठ हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, महेंद्रगढ़
16	डॉ. आनन्द शर्मा अधिष्ठाता, व्यवसाय एवं प्रबंधन पीठ हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, महेंद्रगढ़	17 डॉ. प्रमोद कुमार अधिष्ठाता, शिक्षा पीठ हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, महेंद्रगढ़
18	डॉ. अजय कुमार बंसल अधिष्ठाता, अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी पीठ हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, महेंद्रगढ़	19 प्रो. नीलम सांगवान विभागाध्यक्ष, जैवरसायन विभाग हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, महेंद्रगढ़
20	प्रो. राजबीर सिंह दलाल विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, महेंद्रगढ़	21 प्रो. रविन्द्र पाल अहलावत विभागाध्यक्ष, शारीरिक शिक्षा एवं खेल विभाग हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, महेंद्रगढ़
22	प्रो. दिनेश कुमार गुप्ता	23 प्रो. दिनेश कुमार विभागाध्यक्ष, औषध विज्ञान विभाग

	विभागाध्यक्ष, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़		हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़
24	डॉ. विकास गर्ग विभागाध्यक्ष, सिविल अभियांत्रिकी विभाग हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़	25	डॉ. गुंजन गोयल विभागाध्यक्ष, सूक्ष्मजीवविज्ञान विभाग हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़
26	डॉ. राजेश कुमार गुप्ता विभागाध्यक्ष, गणित विभाग हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़	27	डॉ. सुनील कुमार विभागाध्यक्ष, भौतिकी एवं खगोल भौतिकी विभाग हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़
28	डॉ. रणबीर सिंह विभागाध्यक्ष, पर्यटन एवं होटल प्रबंधन विभाग हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़	29	डॉ. विश्वानंद यादव विभागाध्यक्ष, मनोविज्ञान विभाग हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़
30	डॉ. रंजन अनेजा, सह-आचार्य अर्थशास्त्र विभाग हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़	31	डॉ. राकेश कुमार विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर विज्ञान एवं अभियांत्रिकी विभाग, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़
32	प्रो. सारिका शर्मा, आचार्य शिक्षा पीठ हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़	33	डॉ. विनोद कुमार सह-आचार्य, रसायनविज्ञान विभाग हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़
34	डॉ. बिजेन्द्र सिंह सह-आचार्य, जैवप्रौद्योगिकी विभाग हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़	35	डॉ. अजयपाल शर्मा सहायक आचार्य, प्रबंधन अध्ययन विभाग हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़
36	डॉ. अंजु बेनीवाल सहायक आचार्य, विधि विभाग हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़	37	डॉ. संतोष सी. हुलागबली पुस्तकालयाध्यक्ष हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़
38	सुश्री यमपाली प्रियंका (अनुक्रमांक 31230199) पीएच.डी. शोधार्थी सिविल इंजीनियरिंग विभाग (विद्यार्थी प्रतिनिधि)	39	सुश्री मुबाशिरा के.पी. (अनुक्रमांक 190484) स्नातकोत्तर विद्यार्थी (एम.ए.) समाजशास्त्र विभाग (विद्यार्थी प्रतिनिधि)
40	डॉ. पी.के. खुराना प्राचार्य (से.नि.) शहीद भगत सिंह महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय	41	प्रो. सुरेश कुमार आचार्य, अफ्रीकन अध्ययन विभा सामाजिक विज्ञान संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
42	डॉ. सावित्री कदलूर आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली	43	डॉ. जे.पी. भूकर कुलसचिव (प्रभारी), सचिव, पदेन

वित्त समिति

(31 मार्च 2021 के अनुसार)

1	<p>अध्यक्ष प्रो. आरसी. कुहाड़ कुलपति, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय</p>		
2	<p>संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अथवा भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के वित्त ब्यूरो से नामित व्यक्ति जो उप सचिव के पद से नीचे न हो</p>	3	<p>संयुक्त सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (सीयू एंड एल), अथवा भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा भारत सरकार से नामित व्यक्ति जो संयुक्त सचिव के पद से नीचे न हो</p>
4	<p>संयुक्त सचिव (सीयू), यूजीसी, या यूजीसी के अध्यक्ष द्वारा संयुक्त सचिव स्तर का नामांकित कोई अन्य अधिकारी श्री जेके. त्रिपाठी</p>	5	<p>प्रो. ताहिर हुसैन सदस्य, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार</p>
6	<p>प्रो. राजेश कुमार मलिक विभागाध्यक्ष, विधि विभाग हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेंद्रगढ़</p>	7	<p>डॉ. विकास गुप्ता राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) भारत सरकार, नोएडा (उ.प्र.)</p>
8	<p>श्री राजीव शर्मा, आईएस (से.नि.) पंचकुला, हरियाणा</p>		

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय

31 मार्च, 2021 को तुलन-पत्र

विवरण		अनुसूची संख्या	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
			रुपए	रुपए
क.	निधियों का स्रोत			
1.	निधियाँ			
	(क) समग्र निधियाँ/पूँजीगत निधि	1	462,10,84,038	183,99,21,902
	(ख) डेजिनेटेड/उद्दिष्ट/अक्षय निधियाँ	2
	(ग) मूल्यहास आरक्षित निधि			
			462,10,84,038	183,99,21,902
2.	चालू देयताएं एवं प्रावधान			
	(क) व्यापार/खाता देय	3	1,12,73,835	1,20,19,466
	(ख) अन्य चालू देयताएं	3	87,34,14,010	305,84,26,729
	(ग) अल्पकालिक प्रावधान	3	5,14,24,001	5,14,24,001
			93,61,11,846	312,18,70,197
	कुल		555,71,95,855	496,17,92,099
ख.	निधियों का अनुप्रयोग			
1.	स्थायी परिसंपत्तियां			
	(क) मूर्त परिसंपत्ति			
	(ख) अमूर्त परिसंपत्ति	4	117,65,73,398	114,71,65,693
	(ग) पूँजीगत कार्य प्रगति पर (कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस)	4	1,80,68,203	38,232
		4	296,50,21,281	2,683,421,281
			415,96,62,882	383,06,25,206
2.	उद्दिष्ट/अक्षय निधियों से निवेश			
	(क) दीर्घकालिक	5	-	-
	(ख) अल्पकालिक		-	-
3.	निवेश- अन्य	6	-	-
4.	चालू परिसंपत्तियां			
	(क) माल सूची (इंवेंटरीज)	7	-	-
	(ख) व्यापार/खाता प्राप्य	7	-	-
	(ग) नकद एवं नकदी के समतुल्य	7	100,40,13,759	-
				90,69,71,616
			100,40,13,759	90,69,71,616
5.	ऋण, अग्रिम एवं जमा			
	(घ) अल्पकालिक ऋण और अग्रिम	8	39,35,19,244	22,41,95,277
	(ड.) अन्य चालू परिसंपत्तियां	7	-	-
			39,35,19,244	22,41,95,277
	कुल		555,71,95,855	496,17,92,099
	संलग्न नोट 1-24 इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग है।			
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	23		
	आकस्मिक देयताएं और खातों हेतु टिप्पणियां (नोट्स टू अकाउंट)	24		

वित्त अधिकारी
हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय

कुलसचिव
हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय
31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु आय और व्यय लेखा

विवरण		अनुसूची संख्या	31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही हेतु	31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही हेतु
			रुपए	रुपए
	सतत प्रचालन			
	आय			
	9	6,72,60,485	7,39,81,677	
1	शैक्षणिक प्राप्ति	10	497,197,189	38,33,52,038
2	अनुदान एवं दान (डोनेशन)	11	2,79,85,869	4,75,06,047
3	निवेश से आय	12	39,46,656	23,19,865
4	अर्जित ब्याज	13	50,30,362	1,79,83,437
5	अन्य आय	14	-	13,824,293
6	पूर्व अवधि आय			
क.	कुल आय(1+2+3+4+5+6)		60,14,20,561	53,89,67,357
	आय			
7	कर्मचारी-भुगतान एवं लाभ	15	34,25,59,163	23,87,04,295
8	शैक्षणिक खर्चे	16	4,41,79,113	3,72,05,302
9	प्रशासनिक और सामान्य खर्चे	17	10,31,75,311	10,15,04,904
10	परिवहन खर्चे	18	18,47,027	4,57,263
11	मरम्मत एवं रखरखाव	19	49,59,867	54,76,232
12	वित्तीय लागत	20	4,76,708	4,042
13	मूल्यहास	4		
14	अन्य खर्चे	21	-	449,440
15	पूर्व अवधि खर्चे	22	-	-
ख.	कुल आय(7+8+9+10+11+12+13+14+15)		49,71,97,189	38,38,01,478
	व्यय(क-ख) से अधिक आय का बैलेंस होना		10,42,23,372	15,51,65,879
ग.	नामित(डेजिनेटेड) निधि को/से अंतरण			
	भवन निधि			
	अन्य(मूल्यहास)		-	-
		4	8,82,18,966	598,49,066
घ.	अधिशेष(घाटा) होने के नाते बैलेंस को पूंजीगत निधि (ग-घ) में ले जाया गया		8,82,18,966	598,49,066
	संलग्न नोट 1-24 इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग है।		1,60,04,406	9,53,16,813
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	23		
	आकस्मिक देयताएं और खातों हेतु टिप्पणियां (नोट्स टू अकाउंट)	24		

वित्त अधिकारी
हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय

कुलसचिव
हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय
तुलन-पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

विवरण	31 मार्च, 2021 को रुपए	31 मार्च, 2020 को रुपए
वर्ष की शुरूआत में बैलेंस	183,99,21,902	173,14,11,447
जोड़े: समग्र(कॉर्पर्स)/पूंजीगत निधि के लिए अंशदान	-	-
जोड़े: पूंजीगत व्यय(केवल चालू वर्ष) हेतु एक सीमा तक उपयोग किए जाने के लिए यू.जी.सी, भारत सरकार और राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान	13,56,56,642	6,44,93,641
जोड़े: उद्दिष्ट निधियों से क्रय की गई परिसंपत्तियां	-	-
जोड़े: प्रायोजित परियोजनाओं में से क्रय की गई परिसंपत्तियां, जहां स्वामित्व संस्था में निहित है	2,629,501,089	-51,300,000
जोड़े: दान/उपहारस्वरूप प्राप्त परिसंपत्तियां जोड़े/घटाएं: पूर्व अवधि समायोजन(खर्चे)*	-	-
जोड़े: आय और व्यय लेखा से अंतरित व्यय से अधिक आय	1,60,04,406	9,53,16,813
वर्ष की समाप्ति पर बैलेंस	462,10,84,038	183,99,21,902

*वित्त वर्ष 2019-20 के लिए सी.ए.जी द्वारा लेखापरीक्षा रिपोर्ट के आधार पर पिछले वर्ष की धनराशियों के आधार पर पूर्व अवधि समायोजन किया जाता है। नोट 13 देखें।

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय तुलन-पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

विवरण	निधि वार ब्योरा				31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
	एएए*	बीबी बी	सीसीसी	अक्षय निधि	रुपए	रुपए
क) निधियों का आरंभिक(ओपनिंग) बैलेंस	-	-	-	-	-	-
ख) निधियों में वृद्धि	-	-	-	-	-	-
ग) निधियों के निवेश से आय	-	-	-	-	-	-
घ) निवेश/अग्रिम पर प्रोद्भूत ब्याज	-	-	-	-	-	-
ड.) बचत बैंक खाता पर ब्याज	-	-	-	-	-	-
च) अन्य परिवर्धन(एडीशन्स) : पूर्व अवधि खर्चे(अतिरिक्त मूल्यहास वापस लिखा गया)	-	-	-	-	-	-
छ) मूल्यहाय मूल्य वापस जोड़ें	-	-	-	-	-	-
कुल(क)	-	-	-	-	-	-

ख)

निधियों की वस्तुपरकता के लिए उपयोगिता/व्यय						
i. पूंजीगत व्यय						
ii. राजस्व व्यय						
iii. अन्य- सी.ए.जी लेखापरीक्षा के अनुसार समायोजन	-	-	-	-	-	-
कुल(ख)	-	-	-	-	-	-

वर्ष की समाप्ति पर अंत(क्लोजिंग) शेष (क-ख)

	-	-	-	-	-	-
--	---	---	---	---	---	---

प्रस्तुतकर्ता

नकद एवं बैंक बैलेंस	-	-	-	-	-	-
निवेश	-	-	-	-	-	-
प्रोद्भूत ब्याज लेकिन देय नहीं	-	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-	-

*जे.आर.एफ निधि

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय तुलन-पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची-2ए अक्षय निधियां

तुलन-पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूची "उद्दिष्ट/अक्षय निधि" में कॉलम 'अक्षय निधि' में आंकड़ों का समर्थन करने के लिए उप अनुसूची का नमूना प्रारूप।

क्र.सं (1)	अक्षयनिधि का नाम(2)	आरंभिक बैलेंस		वर्ष के दौरान परिवर्धन(एडीशन)		कुल		वर्ष के दौरान वस्तु पर व्यय	अंत(क्लोजिंग) बैलेंस		कुल
		अक्षयनिधि (3)	संचित ब्याज(4)	अक्षयनिधि (5)	ब्याज(6)	अक्षयनिधि (7)-(3+5)	संचित ब्याज (8) (4+5)		(9)	अक्षयनिधि (10)	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय तुलन-पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची-3 चालू देयताएं एवं प्रावधान

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
	रुपए	रुपए
क. चालू देयताएं		
कर्मचारियों द्वारा जमा	-	-
विद्यार्थियों द्वारा जमा	-	513,221
सुरक्षा	7,178,021	3,574,521
जमा धनराशि – वर्तमान विद्यार्थी	1,742,151	1,278,930
जमा धनराशि – पूर्व विद्यार्थी	11,273,835	12,019,466
विविध लेनदार	-	-
वस्तु एवं सेवा हेतु		
अन्य(पुराने चेक खाता)	2,614,961	2,676,161
जमा-अन्य(ई.एम.डी, प्रतिभूति जमा सहित)	-	-
	4,151,059	4,042,367
सांविधिक देयताएं(जी.पी.एफ, टी.डी.एस, डब्ल्यू.सी कर, सी.पी.एम, जी.आई.एस, एन.पी.एस) :		
अतिदेय	21,440,184	12,978,551
अन्य	32,878,275	32,878,275
	45,386	45,386
अन्य चालू देयताएं	280,797,423	2,972,972,767
देय वेतन	27,453,560	27,453,560
चल रही प्रायोजित परियोजनाओं के प्रति प्राप्ति	-	-
फेलोशिप एवं छात्रवृत्तियों के प्रति प्राप्ति	-	-
अप्रयुक्त अनुदान	495,100,000	-
अप्रयुक्त अनुदान-परिवर्धन(एडीशन)	12,990	12,990
अग्रिम अनुदान		
बुक ओवरड्राफ्ट		
अन्य निधियां(हेफा)		
अन्य देयताएं		
कुल(क)	884,687,845	3,070,446,196
ख. प्रावधान		
कर हेतु	-	-
उपदान	-	-
अधिवर्षिता/पेन्शन	-	-
संचित छुट्टीनकदीकरण	12,974,561	12,974,561
अन्य प्रावधान#	23,449,440	23,449,440
सातवां वेतन आयोग बकाया(एरियर्स)	15,000,000	15,000,000
कुल(क)	51,424,001	51,424,001
कुल(क+ख)	936,111,846	3,121,870,197

#अनुसूची 24 के तहत नोट 5 देखें

अप्रयुक्त अनुदानों में निम्नलिखित शेष(बैलेंस) शामिल हैं :		
अनुदान का अप्रयुक्त बैलेंस	10,604,321	44,679,665
अग्रिम पूंजीगत	220,671,821	2,881,093,102
पूर्व अवधि के लिए सृजित यू.जी.सी अनुदान के ब्याज वापसी के लिए प्रावधान**	-	47,200,000
अतिरिक्त अनुदान	27,453,560	27,453,560
कुल	258,729,702	3,000,426,327

*अप्रयुक्त अनुदानों में पिछले वर्ष की धनराशियों का समायोजन शामिल है, जो कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए सी.ए.जी द्वारा लेखापरीक्षा रिपोर्ट के आधार पर किया जाता है। नोट 13 देखें।

** वर्ष के दौरान प्रावधानित धनराशि यू.जी.सी को वापस कर दी गई है।

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय तुलन-पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 3(ए)- प्रायोजित परियोजनाएं

क्र. सं.	परियोजनाओं का नाम	01 अप्रैल, 2020 को आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्ति/ वसूलियां	कुल	वर्ष के दौरान व्यय	31 मार्च, 2021 को अंत शेष(क्लोजिंग बैलेंस)	
						क्रेडिट	डेबिट
1	अजाज अंसारी प्रोजेक्ट	300,000	-	3,00,000	-	3,00,000	
2	चंचल शर्मा	(203,892)	-	-203,892	-	-203,892	
3	सहायता अनुदान 15224(पूजा यादव)	800,000	-	8,00,000	-	8,00,000	
4	सहायता अनुदान 19725	800,000	-	8,00,000	-	8,00,000	
5	सहायता अनुदान-8952(वाईआरसी)	7,500	-	7,500	-	7,500	
6	सहायता अनुदान(एमआरडी) ज्ञान	2,176,000	-	21,76,000	-	21,76,000	
7	सहायता अनुदान सामान्य	1,324,000	-	13,24,000	-	13,24,000	
8	सहायता अनुदान धर्मो(14508)	850,000	-	8,50,000	-	8,50,000	
9	आईसीएसएसआर अरविंद सिंह तेजावत	360,000	-	3,60,000	-	3,60,000	
10	आईसीएसएसआर कविता	10,000	-	10,000	-	10,000	
11	ज्योति यादव आईसीएसएसआर	(14,174)	-	-14,174	-	-14,174	
12	विविध प्राप्ति एसबीआई	13,928,130	-	1,39,28,130	-	1,39,28,130	
13	विविध प्राप्ति(एलआईएबी को अंतरित)	9,845,310	-	98,45,310	-	98,45,310	
14	मोनिका पीएच.डी रसायन	(15,014)	-	-15,014	-	-15,014	
15	सुश्री करुणा यादव आईसीएसएसआर	(10,520)	-	-10,520	-	-10,520	
16	नसीब सिंह आईसीएसएसआर फेलो	3,500	-	3,500	-	3,500	
17	नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल इंस्टीट्यूट चहल	(35,003)	-	-35,003	-	-35,003	
18	पीएमएमवाई. अजीत कुमार साहू	120,000	-	1,20,000	-	1,20,000	
19	प्रियंका यादव आईसीएसएसआर	(25,000)	-	-25,000	-	-25,000	
20	प्रोजेक्ट डॉ. संजय कुमार बायोकेमिस्ट्री	899,000	-	8,99,000	-	8,99,000	
21	प्रोजेक्ट अननोन	(120,000)	-	-120,000	-	-120,000	
22	आवर्ती अनुदान नॉन नेट फेलोशिप	(843,000)	-	-843,000	-	-843,000	
23	विज्ञान एवं इंजीनियरिंग	600,000	-	6,00,000	-	6,00,000	
24	विज्ञान एवं इंजीनियरिंग रिसर्च-यंग	150,000	-	1,50,000	-	1,50,000	
25	विज्ञान एवं इंजीनियरिंग यंग अनुदान	500,000	-	5,00,000	-	5,00,000	
26	एसईसीवाई ईसी एचआर स्टेट काउंसिल-शालिनी बर्मा	(198,562)	-	-198,562	-	-198,562	
27	स्वामी दयानंद सरस्वती चैयर	1,670,000	-	1,670,000	-	1,670,000	
	कुल	32,878,275		32,878,275		32,878,275	

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय तुलन-पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 3(बी)- प्रायोजित फेलोशिप एवं छात्रवृत्तियां

क्र. सं.	फेलोशिप का नाम	31 मार्च, 2020 को आरंभिक बैलेंस		वर्ष के दौरान प्राप्तियां/ वसूलियां	कुल	वर्ष के दौरान व्यय	31 मार्च, 2021 को अंत(क्लोजिंग) बैलेंस	
1	इक्युनिशि जे.आर.एफ	16,767.00		0	16,767.00	0	16,767.00	
2	आईसीएसएसआर पूर्णिमा	1,000.00		0	1,000.00	0	1,000.00	
3	जे.आर.एफ(पीएच.डी रसायन विज्ञान) अनिल कुमार	(7,500.00)		0	(7,500.00)	0	(7,500.00)	
4	जे.आर.एफ पीएच.डी रसायन विज्ञान दीपक कुमार	(7,377.00)		0	(7,377.00)	0	(7,377.00)	
5	मनीष शर्मा जे.आर.एफ	20,000.00		0	20,000.00	0	20,000.00	
6	राहुल फेलोशिप 21289	(4.00)		0	(4.00)	0	(4.00)	
7	रामलिंगम फेलोशिप विकास यादव(अनुदान)	22,500.00		0	22,500.00	0	22,500.00	
	कुल	45,386.00	0.00	0.00	45,386.00	0.00	45,386.00	

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय
तुलन-पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 3(सी)- यू.जी.सी, भारत सरकार और राज्य सरकार से प्राप्त अप्रयुक्त अनुदान

विवरण	31 मार्च, 2021 को रुपए	31 मार्च, 2020 को रुपए
क. अनुदान : भारत सरकार		
अग्रानीत बैलेंस	-	-
जोड़ें : वर्ष के दौरान प्राप्तियां	-	-
कुल(क)		
घटाएं : प्रतिदेय	-	-
घटाएं : राजस्व व्यय हेतु प्रयुक्त	-	-
घटाएं : पूंजीगत व्यय हेतु प्रयुक्त	-	-
कुल(ख)		
प्रयुक्त अग्रानीत (क-ख)		
ख. यू.जी.सी अनुदान		
अग्रानीत बैलेंस		
जोड़ें : यू.जी.सी को ब्याज की वापसी के लिए चालू वर्ष - प्रावधान	4,46,79,665	
जोड़ें : वर्ष के दौरान प्राप्तियां	59,87,78,487	33,93,54,090
कुल(ग)	64,34,58,152	75,79,40,090
	-	
	49,71,97,189	32,70,01,876
	13,56,56,642	21,41,52,401
कुल(घ)	63,28,53,831	54,11,54,277
अप्रयुक्त अग्रानीत (ग-घ)	1,06,04,321	21,67,85,813
ग. यू.जी.सी अनुदान		
अग्रानीत बैलेंस	-	-
जोड़ें : वर्ष के दौरान प्राप्तियां	-	-
कुल(ड.)		
घटाएं : प्रतिदेय	-	-

घटाएं : राजस्व व्यय हेतु प्रयुक्त	-	-
घटाएं : पूंजीगत व्यय हेतु प्रयुक्त	-	-
कुल(च)		
	-	-
अप्रयुक्त अग्रेनीत (ड.-च)	-	-
ग. राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान	-	-
अग्रानीत बैलेंस	-	-
जोड़ें : वर्ष के दौरान प्राप्तियां	-	-
कुल(छ)	-	-
घटाएं : प्रतिदेय	-	-
घटाएं : राजस्व व्यय हेतु प्रयुक्त	-	-
घटाएं : पूंजीगत व्यय हेतु प्रयुक्त	-	-
कुल(ज)		
	-	-
अप्रयुक्त अग्रेनीत (च-छ)		
महा योग (क+ख+ग+घ)	1,06,04,321	21,67,85,813

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय
तुलन-पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची-04 : 31 मार्च, 2021 को स्थायी परिसंपत्तियां - स्ट्रेट लाइन मैथेड

विवरण	सकल ब्लॉक		संचित मूल्यहास		निवल ब्लॉक	
	1 अप्रैल, 2020 को लागत/मूल्यन	वर्ष के दौरान परिवर्धन	1 अप्रैल, 2020 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन पर	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
परिसंपत्ति शीर्ष						
मूल्य हास की दर %						
परिशोधित मूल्य हास दर %						
परिसंपत्तियां भूमि	12,31,73,129	0	0	0	12,31,73,129	12,31,73,129
का पूर्ण स्वामित्व(फ्रीहोल्ड)	12,31,30,629	-	-	-	12,31,30,629	12,31,30,629
ख) पट्टे पर (लीजहोल्ड)	42,500	-	-	-	42,500	42,500
भवन	85,86,28,327	35,46,000	5,11,96,741	1,72,43,487	79,37,34,099	80,74,31,586
क) पूर्ण स्वामित्व(फ्रीहोल्ड)	-	-	-	-	-	0

वाहन						21,34,833	16,53,398	2,13,483	-	1,866,881	2,67,952	4,81,435
एम्बुलेंस						2,84,782	1,13,912	28,478	-	142,390	1,42,392	1,70,870
फर्नीचर एवं जुड़नार	7.5%	7.5%				6,53,80,018	2,30,20,544	49,03,501	0	2,79,24,045	3,74,55,973	4,01,36,122
फर्नीचर एवं जुड़नार						5,39,91,018	2,13,12,194	40,49,326		25,361,520	2,86,29,498	3,04,55,472
यू.पी.एस						1,13,89,000	17,08,350	8,54,175		2,562,525	88,26,475	96,80,650
श्रव्य दृश्य उपकरण	7.5%	7.5%				7,07,866	3,19,233	53,090	0	3,72,323	3,35,543	3,88,633
श्रव्य दृश्य उपकरण						7,07,866	3,19,233	53,090		372,323	3,35,543	3,88,633
कार्यालय उपकरण	7.5%	7.5%				6,55,83,347	1,66,66,027	49,18,751	-	2,15,84,778	4,39,98,569	3,95,74,959
वातानुकूलक(एयर कंडीशनर)						21,10,502	9,04,367	1,58,288		1,062,654	10,47,848	12,06,135
डी-फ्रीजर						23,756	11,879	1,782		13,661	10,095	11,877
व्हाइट बोर्ड						3,31,085	1,66,655	24,831		191,486	1,39,599	1,64,430
एलईडी टी.वी						6,39,900	2,46,675	47,993		294,668	3,45,233	3,93,225
कार्यालय उपकरण अन्य कार्यालय						4,36,46,971	1,08,27,516	39,74,200		14,801,716	3,81,87,616	3,28,19,455
						50,06,450	9,342,361	3,75,484			14,51,522	

वर्तमान वर्ष का कुल (ग)			22,40,657	3,15,43,723	-	3,37,84,380	22,02,425	1,35,13,752	-	1,57,16,177	1,80,68,203	38,232
कुल (क+ख+ग)			406,06,59,640	41,72,56,642	0	447,79,16,282	23,00,34,434	8,82,18,966	-	31,82,53,400	415,96,62,882	383,06,25,206

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय
तुलन-पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 5 : उद्दिष्ट/अक्षयनिधि से निवेश

निधियां

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
	रुपए	रुपए
1. केंद्रीय सरकार प्रतिभूति में	-	-
2. राज्य सरकार प्रतिभूति में	-	-
3. अन्य अनुमोदित प्रतिभूति	-	-
4. शेयर्स	-	-
5. डिबेंचर और बॉन्ड्स	-	-
6. अनुसूचित बैंकों में सावधि जमा प्राप्तियां	-	-
7. अन्य(एफडीआई पर प्रोद्भूत ब्याज)	-	-
कुल	-	-

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय
तुलन-पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 5(ए) : उद्दिष्ट/अक्षय निधि(निधि वार) से निवेश

क्र. सं.	निधियां	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020को
		रुपए	रुपए
1		-	-
2		-	-
3		-	-
4		-	-
5		-	-
	कुल	-	-

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय
तुलन-पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 6 : निवेश – अन्य

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
	रुपए	रुपए
1. केंद्रीय सरकार प्रतिभूति में	-	-
2. राज्य सरकार प्रतिभूति में	-	-
3. अन्य अनुमोदित प्रतिभूति	-	-
4. शेयर्स	-	-
5. डिबेंचर और बॉन्ड्स	-	-
6. अन्य(निर्दिष्ट किया जाए)	-	-
कुल	-	-

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय तुलन-पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची-7 : वर्तमान परिसंपत्तियां

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को
	रुपए	रुपए
1. स्टॉक :	-	-
क) भंडार एवं स्पेयर्स	-	-
ख) लूज टूल्स	-	-
ग) प्रकाशन	-	-
घ) प्रयोगशाला रसायन, उपभोज्य वस्तुएं एवं कांच के बने पदार्थ	-	-
ड.) भवन सामग्री	-	-
च) विद्युत सामग्री	-	-
छ) लेखन सामग्री	-	-
ज) जल आपूर्ति सामग्री	-	-
2. विविध देनदार	-	-
क) छह महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया ऋण	-	-
ख) अन्य - प्रतिभूति जमा	-	-
3. नकद और बैंक बैलेंस	-	-
क) अनुसूचित बैंक में :	-	-
अग्रदाय	-	-
सावधि जमा खाते में	70,96,96,314	77,10,93,223
बचत खाते में	20,31,17,445	13,58,78,393
ख) गैर-अनुसूचित बैंकों में :	-	-
- चालू खातों में	-	-
- सावधि जमा खातों में	-	-
- बचत खातों में	-	-
4. डाकघर बचत खातों	-	-
5. हेफा(एचईएफए) बैलेंस(ईएससीआरओडब्ल्यू)*	9,12,00,000	-
कुल	100,40,13,759	90,69,71,616

* हेफा(एचईएफए) बैलेंस में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए सी.ए.जी द्वारा लेखापरीक्षा रिपोर्ट के आधार पर किए गए पिछले वर्ष के खातों का समायोजन शामिल है। नोट 13 देखें।

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय तुलन-पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची-7 : ऋण, अग्रिम एवं जमा

विवरण	31 मार्च, 2021 को रुपए	31 मार्च, 2020 को रुपए
1. कर्मचारी को अग्रिम : (ब्याज मुक्त)		
क) वेतन	-	-
ख) त्योहार	-	-
ग) चिकित्सा अग्रिम	-	-
घ) अन्य(निर्दिष्ट किया जाए)	-	-
2. कर्मचारियों को दीर्घकालिक अग्रिम(ब्याज सहित)		
क) वाहन ऋण	-	-
ख) गृह ऋण	-	-
ग) अन्य(निर्दिष्ट किया जाए)	-	-
3. नकद अथवा वस्तु के रूप में अथवा प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए वसूली योग्य अग्रिम और अन्य धनराशियाँ :*		
पूँजीगत खाता पर	38,61,71,821	22,06,71,821
आपूर्तिकर्ता के लिए	-	-
अन्य	11,01,354	29,77,657
4. प्रीपेड खर्च		
बीमा	9,205	9,205
अन्य खर्चे	-	-
5. जमा		
टेलीफोन	-	-
पट्टा किराया	-	-
विद्युत	-	-
ए.आई.सी.टी.ई. यदि लागू हो	-	-
अन्य(सी.यू.सी.ई.टी)	5,05,194	5,05,194
6. प्रोद्भूत आय :		
क) उद्दिष्ट/अक्षय निधियों से निवेश पर निवेश-अन्य पर	31,400	31,400
ग) ऋण और अग्रिम पर	-	-
घ) अन्य (अप्राप्त देय आय रु.....शामिल है)	-	-
7. अन्य - यू.जी.सी./प्रायोजित परियोजनाओं से प्राप्य वर्तमान परिसंपत्तियां		
क) प्रायोजित परियोजनाओं में जमा बैलेंस	-	-
ख) फेलोशिप एवं छात्रवृत्ति में जमा बैलेंस	57,00,000	-
ग) प्राप्य अनुदान	270	-
घ) प्राप्य अन्य	-	-
8. प्राप्य दावे		
कुल	39,35,19,244	22,41,95,277

अग्रिम और वसूली योग्य अन्य धनराशियों में वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए सी.ए.जी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के आधार पर पिछले वर्ष की धनराशियों का समायोजन शामिल है। नोट 13 देखें।

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय

आय और व्यय लेखा का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची-9 : शैक्षणिक प्राप्तियां
आय को निम्नानुसार वर्गीकृत और दर्शाया जाएगा :

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
	रुपए	रुपए
विद्यार्थियों से शुल्क(फीस)		
शैक्षणिक		
ट्यूशन शुल्क	4,93,44,299	4,90,64,299
शैक्षणिक शुल्क	1,24,55,173	1,23,13,948
नामांकन शुल्क	235,240	2,24,800
प्रयोगशाला शुल्क	356,380	3,36,700
पंजीकृत शुल्क	565,637	5,48,900
	445,607	4,22,168
कुल(क)	6,34,02,336	6,29,10,815
परीक्षा		
वार्षिक परीक्षा शुल्क	5,19,850	4,99,470
कुल(ख)	5,19,850	4,99,470
अन्य शुल्क		
पहचान पत्र शुल्क	33,030	28,944
जुर्माना/विविध शुल्क	-	1,23,538
चिकित्सा शुल्क	102,421	97,400
छावास शुल्क	2,01,328	57,080
अन्य गतिविधियां	29,12,380	98,59,320
कुल(ग)	32,49,159	1,01,66,282
प्रकाशनों की बिक्री		
कुल(घ)	-	-
अन्य शैक्षणिक प्राप्तियां		
कार्यशाला, प्रोग्राम हेतु पंजीकृत शुल्क	89,140	4,05,110
कुल(ड.)	89,140	4,05,110
महा योग(क+ख+ग+घ)	6,72,60,485	7,39,81,677

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय आय और व्यय लेखा का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची-10 : अनुदान/सब्सिडीज(प्राप्त अप्रतिसंहरणीय अनुदान)

विवरण	योजनागत		कुल योजनागत	गैर-योजनागत	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2020
	भारत सरकार	यू.जी.सी			को समाप्त वर्ष हेतु	को समाप्त वर्ष हेतु
		योजनागत	विशिष्ट योजना	यू.जी.सी	रुपए	रुपए
बैलेंस अग्रानीत		4,46,79,665		-	4,46,79,665	19,49,74,069
घटाएं : अतिरिक्त अव्ययित पृथक जोड़े : यू.जी.सी को ब्याज वापसी हेतु चालू वर्ष में प्रावधान		59,87,78,487				28,73,777
जोड़े: वर्ष के दौरान प्राप्तियां			59,87,78,487		59,87,78,487	39,12,05,753
घटाएं: यू.जी.सी को प्रतिदेय		64,34,58,152		-	64,34,58,152	58,90,53,579
बैलेंस : पूंजीगत व्यय हेतु उपयोग किया गया*		64,34,58,152		-	64,34,58,152	58,61,79,802
		13,56,56,642			13,56,56,642	15,81,48,098
बैलेंस घटाएं : राजस्व व्यय हेतु उपयोग किया गया**		50,78,01,510		-	50,78,01,510	42,80,31,704
		49,71,97,189			49,71,97,189	38,33,52,038
बैलेंस अग्रानीत		1,06,04,321		-	1,06,04,321	4,46,79,665

*पूंजीगत व्यय के लिए उपयोग किया गया निम्नानुसार तैयार किया गया :

परिसंपत्तियों का कुल पूंजीकरण	41,72,56,642
घटाएं: एफ.ए पहले के अग्रिमों से बनाया गया	
घटाएं: सी.डब्ल्यू.आई.पी पहले अग्रिमों से बनाया गया	281,600,000
घटाएं: दान की गई परिसंपत्ति	-
घटाएं: अग्रिम दिए(वर्तमान वर्ष में)	-
घटाएं: समायोजित अग्रिम(वर्तमान वर्ष में)	-
	13,56,56,642

**राजस्व व्यय के लिए उपयोग किया गया निम्नानुसार तैयार किया गया :

कर्मचारी-भुगतान एवं लाभ	34,25,59,163
शैक्षणिक खर्चे	4,41,79,113
प्रशासनिक और सामान्य खर्चे	10,31,75,311
परिवहन खर्चे	18,47,027
मरम्मत एवं रखरखाव	49,59,867
मूल्यहास	-
वित्तीय लागत	4,76,708
अन्य खर्चे	-
आई.ई के अनुसार पूंजीगत राजस्व व्यय	49,71,97,189
घटाएं: चालू वर्ष में उपदान एवं एल.आई हेतु प्रावधान (नकद खर्चे)	-
घटाएं: संदेहस्पद अग्रिमों हेतु प्रावधान(गैर-नकद खर्चे)	0
पूंजीगत राजस्व व्यय	49,71,97,189

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय आय और व्यय लेखा का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची-11 : निवेश से आय
निधियों से अंतरित उद्दिष्ट/अक्षयनिधि निधियों से निवेश पर आय

विवरण	उद्दिष्ट/अक्षय निधियां		अन्य निवेश	
	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
	रुपए	रुपए	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
उद्दिष्ट/अक्षय निधियों से निवेश				
ब्याज				
क) सरकारी प्रतिभूति पर	-	-	-	-
ख) अन्य बॉन्ड्स/डिबेंचर	-	-	-	-
सावधि जमा पर ब्याज				
क) डेजिनेटेड निधि	-	-		
ख) पूंजीगत निधि	-	-	27,985,869	4,75,06,047
ग) सामान्य निधि	-	-	-	-
प्रोद्भूत आय लेकिन सावधि जमा/ब्याज पर अदेय	-	-	-	-
अग्रिम धारक कर्मचारी				
बचत बैंक खाता पर ब्याज				
अन्य-अग्रिम पर ब्याज	-	-	-	-
	-	-	-	-
कुल	-	-	27,985,869	4,75,06,047
उद्दिष्ट/अक्षय निधि में अंतरित				

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय
आय और व्यय लेखा का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची-12 : अर्जित ब्याज

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
	रुपए	रुपए
1. अनुसूचित बैंकों में बचत खातों पर बचत खातों पर ब्याज	- 39,46,656	- 23,19,865
2. ऋण पर	-	-
क) कर्मचारियों/स्टाफ	-	-
ख) अन्य	-	-
3. देनदारों और अन्य प्राप्तियों पर	-	-
कुल	39,46,656	23,19,865

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय

आय और व्यय लेखा का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची-13 : अन्य आय

विविध आय में शामिल भौतिक मदों की मात्रा को पृथक दर्शाया जाना चाहिए।

विवरण	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2020 को समाप्त
	समाप्त वर्ष हेतु	वर्ष हेतु
	रुपए	रुपए
क. भूमि एवं भवन से आय		
छात्रावास कमरा किराया	-	8,560
लाइसेंस शुल्क	-	-
प्रेक्षागृह/खेल मैदान/ सम्मेलन इत्यादि का किराया प्रभार	-	-
वसूला गया विद्युत प्रभार	17,39,916	10,88,340
वसूला गया जल प्रभार	-	-
किराया – अन्य	8,56,276	25,12,480
कुल (क)	25,96,192	36,09,380
संस्थान के प्रकाशनों की बिक्री	-	63,040
कुल (ख)	-	63,040
ग. आयोजनों से आय		
वार्षिक समारोह/खेल उत्सव से सकल प्राप्ति	-	-
घटाए : वार्षिक समारोह/खेल उत्सव पर वहन किए गए प्रत्यक्ष व्यय	-	-
शुल्क(फीस) से प्राप्त सकल प्राप्ति	-	-
घटाए : फीस पर वहन किए गए प्रत्यक्ष व्यय	-	-
शैक्षणिक पर्यटन हेतु सकल प्राप्ति	-	-
घटाए : पर्यटन पर वहन किए गए प्रत्यक्ष व्यय	-	-
अन्य(निर्दिष्ट किए जाएं और अलग से दर्शाएं)	-	-
कुल (ग)	-	-
घ. अन्य		
परामर्श कार्य से आय		
आर.टी.आई शुल्क		
बट्टा खाता डालना संबंधी प्रावधान	690	0
आवेदन पत्र की बिक्री(भर्ती)	-	5,164,161
विविध प्राप्ति(निविदा प्रपत्र, रद्दी आदि से निविदा की बिक्री)	-	45,10,026
परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटन पर लाभ	24,33,480	36,80,351
क) स्वामित्व वाली संपत्तियां	-	-
ख) अनुदान से अर्जित की गई परिसंपत्तियां अथवा निःशुल्क प्राप्त हुई	-	-
संस्था से प्राप्त अनुदानों/डोनेशन्स, कल्याणकारी निकाय और अंतरराष्ट्रीय संगठन	-	-
अन्य(परामर्श कार्य आदि)		9,56,480
कुल (घ)	24,34,170	1,43,11,018
महा योग(क+ख+ग+घ)	50,30,362	1,79,83,437

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय आय और व्यय लेखा का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची-14 : पूर्व अवधि आय

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
	रुपए	रुपए
शैक्षणिक प्राप्तियां	-	-
निवेश से आय	-	-
अर्जित ब्याज	-	-
उपदान प्रावधान आरक्षित	-	13,824,293
कुल	-	13,824,293

*अनुसूची 24 के अधीन नोट 13 देखें।

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय आय और व्यय लेखा का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची-15 : कर्मचारी- भुगतान एवं लाभ
इन्हें शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों; तदर्थ कर्मचारी के लिए अलग-अलग वर्गीकृत किया जाएगा।
डी.ए का बकाया, वेतनवृद्धि के कारण बकाया वेतन को अलग से दिखाया जाएगा।
इन्हें निम्नानुसार दर्शाया जाएगा:

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
	रुपए	रुपए
वेतन और वेजेज-शिक्षण	22,07,14,045	16,30,67,124
वेतन और वेजेज- गैर शिक्षण	3,04,82,027	3,67,50,639
वेतन और वेजेज- तदर्थ	0	3,44,231
कुल वेतन	25,11,96,072	20,01,61,994
भत्ते और बोनस	1,84,69,546	87,03,280
एन.पी.एस हेतु अंशदान	2,83,42,872	18,805,508
अन्य निधि(पेंशन निधि) हेतु अंशदान	6,98,946	-
कर्मचारी कल्याण खर्चे	0	142,247
सेवानिवृत्त और हितलाभ*		
एल.टी.सी सुविधा	8,09,477	1,28,182
चिकित्सा सुविधा	50,43,780	4,81,060
संतान शिक्षा भत्ता	14,99,545	11,38,646
मानदेय	25,52,686	3,242,245
अन्य(डी.ए)	31,20,577	57,33,933
	3,08,25,662	167,200
कुल	34,25,59,163	23,87,04,295

* नोट 5(अनुसूची 24) को देखें।

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय आय और व्यय लेखा का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची-16 : शैक्षणिक खर्चे
इन्हें निम्नानुसार दर्शाया जाएगा:

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
	रुपए	रुपए
प्रयोगशाला खर्चे	-	5,33,956
फील्ड कार्य/सहभागिता	-	-
सेमिनार/कार्यशाला	391,904	12,08,404
विजिटिंग संकाय को भुगतान	-	80,75,809
परीक्षा	8,063,436	24,99,940
विद्यार्थी कल्याण खर्चे	1,512,490	8,61,200
दाखिला खर्चे	1,450,250	-
दीक्षांत समारोह खर्चे	3,829,785	17,39,492
प्रकाशन	51,422	-
स्टाइपेंड/मीन्स-कम-मेरिट छात्रवृत्ति	11,400	47,500
सदस्यता खर्चे	-	-
गैर नेट फेलोशिप/छात्रवृत्ति	6,894,383	50,72,696
अन्य	-	-
टी.ए/डी.ए शैक्षणिक कार्यक्रम हेतु बैठक	514,721	-
अतिरिक्त अनुदान	-	72,46,463
-बीमा प्रभार	-	1,61,812
रेड क्रॉस	-	-
विभागीय खर्चे	21,357,852	-
एल्युमिनि मीट	30,910	96,55,690
एन.एस.एस	70,560	-
		1,02,340
कुल	10,31,75,311	3,72,05,302

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय

आय और व्यय लेखा का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची-17 : प्रशासनिक और सामान्य खर्चे
इन्हें निम्नानुसार वर्गीकृत और दर्शाया जाएगा:

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त	31 मार्च, 2020 को समाप्त
		वर्ष हेतु	वर्ष हेतु
		रुपए	रुपए
क.	आधारिक संरचना		
	इलेक्ट्रिसिटी और पॉवर	2,11,84,773	2,30,16,673
	जल प्रभार	0	-
	बीमा खर्चे	4,69,345	
ख.	किराया, दर एवं कर	0	
			-
ग.	कम्युनिकेशन		
	डाक एवं स्टेशनरी	23,245	26,121
	मुद्रण एवं स्टेशनरी	41,85,159	43,30,151
	टेलीफोन एवं इंटरनेट प्रभार	17,35,623	1,24,128
	अन्य	2,08,204	
	यात्रा एवं वाहन खर्चे	16,30,905	
	आतिथि-सत्कार	0	18,57,433
	लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक	9,00,909	30,80,810
	व्यावसायिक प्रभार	13,95,062	-
	विज्ञापन और प्रचार	0	10,70,694
	पत्रिका और जर्नल		18,17,506
	अतिरिक्त अनुदान	2,49,85,868	-
	अन्य	2,704	
	अन्य- सुरक्षा सेवाएं	40,947	
	बैठकों संबंधी खर्चे	0	4,38,42,750
	अन्य- समाचार पत्र एवं पत्र-पत्रिकाएं	1,22,87,625	-
	मेस संबंधी खर्चे	3,11,22,322	2,46,745
	अन्य-विविध खर्चे	3,64,972	-
	हेफा(एच.ई.एफ.ए)	3,61,353	95,62,699
	अन्य-आकस्मिक	14,617	92,70,254
	अन्य-खेलकूद खर्चे	22,61,678	3,01,793
	भर्ती संबंधी खर्चे		83,370
	यू.जी.सी को वापस किया गया ब्याज		-
			2,873,777
	कुल	4,41,79,113	10,15,04,904

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय

आय और व्यय लेखा का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची-18 : परिवहन खर्चें

शिक्षण संस्थान के स्वामित्व वाले वाहनों के संबंध में
भुगतान किए गए किराये और अन्य खर्च, यदि कोई हो, सहित शैक्षणिक संस्थान के स्वामित्व वाले वाहन नहीं हैं।

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
1. वाहन(शैक्षणिक संस्थान के स्वामित्व वाले) रनिंग खर्चें	-	-
मरम्मत तथा रखरखाव(ईंधन प्रभार सहित)	13,70,853	-
बीमा खर्चें	-	4,24,073
2. किराये/पट्टे पर लिए गए वाहन किराये/पट्टा खर्चें	0 476,174	33,190 -
3. वाहन(टैक्सी) किराये संबंधी खर्चें	0	-
	-	-
कुल	18,47,027	4,57,263

अनुसूची-19 : मरम्मत तथा रखरखाव

मरम्मत तथा रखरखाव लागत को निम्नानुसार वर्गीकृत किया और दर्शाया जाएगा

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
भवन	-	10,85,029
फर्नीचर	-	8,800
संयंत्र एवं मशीनरी-(आर एवं एम)	16,02,419	20,48,726
कार्यालय उपकरण(आर एवं एम)	4,70,025	5,510
सफाई सामग्री एवं सेवाएं	7,72,346	6,44,434
लॉन का रखरखाव	-	-
अन्य(आर एवं एम)	21,15,077	16,83,733
कुल	49,59,867	54,76,232

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय आय और व्यय लेखा का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची-20 : वित्तीय लागत

वित्तीय लागत को निम्नानुसार वर्गीकृत किया और दर्शाया जाएगा

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
बैंक प्रभार अन्य(उल्लिखित करें)	476,708 -	4,042 -
कुल	476,708	4,042

अनुसूची-21 : अन्य खर्चे

अन्य खर्चों को बट्टा खाता, प्रावधान, विविध, निवेश की बिक्री पर नुकसान और स्थायी परिसंपत्ति इत्यादि के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और तदनुसार दर्शाया जाएगा :

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
संदेहास्पद अग्रिमों हेतु प्रावधान	-	449,440
अप्रतिसंहरणीय बैलेंस को बट्टे खाते में डाला गया	-	-
अन्य संस्थानों/संगठनों को अनुदान /सब्सिडीज अन्य(पूर्व अवधि)	-	-
कुल	-	449,440

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय आय और व्यय लेखा का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची-22 : पूर्व अवधि खर्चें

विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष हेतु	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु
1. स्थापना खर्चें	-	-
2. शैक्षणिक खर्चें	-	-
3. प्रशासनिक खर्चें	-	-
4. परिवहन खर्चें	-	-
5. यू.जी.सी अनुदान पर ब्याज वापसी हेतु प्रावधान	-	-
6. आटो स्वीप एफडी 6945 पर ब्याज का परिशोधन	-	-
कुल	-	-

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

अनुसूची- 23 (महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां)

1. तैयारी का आधार

खातों को ऐतिहासिक लागत परिपाटी के तहत जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो और आमतौर पर लेखांकन की प्रोद्घवन पद्धति के अनुसार तैयार किया जाता है।

2. राजस्व मान्यता

- 2.1 विद्यार्थियों से शुल्क (ट्यूशन शुल्क को छोड़कर), प्रवेश फॉर्म की बिक्री, रॉयल्टी और बचत बैंक खाते पर ब्याज नकद आधार पर लिया जाता है। प्रत्येक सेमेस्टर के लिए अलग से एकत्र की गई ट्यूशन फीस का हिसाब प्रोद्घवन के आधार पर किया जाता है।
- 2.2 भूमि, भवन और अन्य संपत्ति से आय और निवेश पर ब्याज का हिसाब प्रोद्घवन के आधार पर किया जाता है।
- 2.3 गृह निर्माण, वाहनों और कंप्यूटरों की खरीद के लिए कर्मचारियों को ब्याज वाले अग्रिमों पर ब्याज प्रत्येक वर्ष प्रोद्घवन के आधार पर लिया जाता है, हालांकि ब्याज की वास्तविक वसूली मूलधन के पूर्ण भुगतान के बाद शुरू होती है।

3. स्थायी परिसंपत्तियां एवं मूल्यहास

- 3.1 स्थायी परिसंपत्तियों को अधिग्रहण की लागत पर बताया गया है जिसमें आवक भाड़ा, ड्यूटीज और कर तथा अधिग्रहण, संस्थापना और कमीशन से संबंधित आकस्मिक और प्रत्यक्ष खर्च शामिल हैं।
- 3.2 उपहार में दी गई और दान की गई परिसंपत्ति का मूल्यांकन घोषित मूल्य पर किया जाता है, जहां उपलब्ध हो; यदि उपलब्ध नहीं है, तो परिसंपत्ति की भौतिक स्थिति के संदर्भ में समायोजित वर्तमान बाजार मूल्य के आधार पर मूल्य का अनुमान लगाया जाता है। वे पूंजीगत निधि में क्रेडिट द्वारा स्थापित किए जाते हैं और संस्थान की स्थायी परिसंपत्तियों के साथ विलय कर दिए जाते हैं। मूल्यहास संबंधित परिसंपत्तियों पर लागू दरों पर लगाया जाता है।
- 3.3 उपहार के रूप में प्राप्त पुस्तकों का मूल्यांकन पुस्तकों पर छपे विक्रय मूल्य पर किया जाता है। जहां वे मुद्रित नहीं होते हैं, वहां मूल्य आकलन पर आधारित होता है।
- 3.4 स्थायी परिसंपत्तियों का मूल्यांकन लागत कम संचित मूल्यहास पर किया जाता है। स्थायी परिसंपत्तियों पर मूल्यहास निम्नलिखित दरों पर सीधी रेखा पद्धति पर प्रदान किया जाता है।

मूर्त संपत्ति

भूमि	0%
साइट का विकास	0%
भवनों	2%
सड़कें और पुल	2%
नलकूप और जल आपूर्ति	2%
सीवरेज और ड्रेनेज	2%
विद्युत संस्थापना और उपकरण	5%
संयंत्र और मशीनरी	5%
वैज्ञानिक और प्रयोगशाला उपकरण	8%
कार्यालय उपकरण	7.5%
श्रव्य दृश्य उपकरण	7.5%
कंप्यूटर और सहायक उपकरण(पेरिफेरल्स)	20%

फर्नीचर, जुड़नार(फिक्सचर) और फिटिंग	7.5%
वाहनों	10%
पुस्तकालय संबंधी पुस्तकें और वैज्ञानिक पत्रिकाएं	10%

अमूर्त संपत्ति

ई-जरनल्स	40%
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	40%
एकस्व(पेटेंट) और कॉपीराइट	9 वर्ष

- 3.5 वर्ष के दौरान परिवर्धन पर पूरे वर्ष के लिए मूल्यहास प्रदान किया जाता है।
- 3.6 उद्दिष्ट निधियों और प्रायोजित परियोजनाओं की निधियों से सृजित परिसंपत्तियां, जहां ऐसी परिसंपत्तियों का स्वामित्व संस्थान में निहित है, पूंजीगत निधि में क्रेडिट द्वारा स्थापित की जाती हैं और संस्था की स्थायी परिसंपत्तियों के साथ विलय कर दी जाती हैं। मूल्यहास संबंधित परिसंपत्तियों पर लागू दरों पर लगाया जाता है। प्रायोजित परियोजना निधि से सृजित परिसंपत्तियां, जहां स्वामित्व प्रायोजकों द्वारा बनाए रखा जाता है लेकिन संस्थान द्वारा धारित और उपयोग किया जाता है, खातों पर टिप्पणियों में पृथक रूप से दर्शाया जाता है।
- 3.7 परिसंपत्ति, जिनमें से प्रत्येक का व्यक्तिगत मूल्य रु. 2000 अथवा उससे कम (पुस्तकालय संबंधी पुस्तकों को छोड़कर) को लघु मूल्य की परिसंपत्ति (स्मॉल वैल्यू एसेट्स) के रूप में माना जाता है, ऐसी परिसंपत्ति के संबंध में उनके अधिग्रहण के समय 100% मूल्यहास प्रदान किया जाता है। हालांकि प्रत्यक्ष लेखांकन और नियंत्रण ऐसी परिसंपत्ति के धारकों द्वारा जारी रखा जाता है।

4. अमूर्त परिसंपत्ति

- 4.1 इलेक्ट्रॉनिक जरनल्स (ई-जरनल्स) के सीमित लाभ को ध्यान में रखते हुए पुस्तकालय संबंधी पुस्तकों से अलग किया गया है, जो प्रदान किए गए ऑन-लाइन एक्सेस से प्राप्त किये जा सकते हैं। ई-जरनल्स मूर्त रूप में नहीं हैं, लेकिन अस्थायी रूप से पूंजीकृत हैं और अकादमिक और अनुसंधान कर्मचारियों द्वारा अर्जित किए गए सतत ज्ञान के संदर्भ में व्यय की मात्रा और लाभ को देखते हुए; पुस्तकालय संबंधी पुस्तकों के संबंध में प्रदान किए गए 10% के मूल्यहास के मुकाबले ई-जरनल्स के संबंध में मूल्यहास 40% की उच्च दर पर प्रदान किया जाता है।
- 4.2 सॉफ्टवेयर के अधिग्रहण पर होने वाले खर्च को कंप्यूटर और पेरिफेरल्स से अलग कर दिया गया है, क्योंकि अमूर्त परिसंपत्ति होने के अलावा, इनके संबंध में अप्रचलन की दर बहुत अधिक है। सॉफ्टवेयर के संबंध में कंप्यूटर और पेरिफेरल्स के संबंध में प्रदान किए गए 20% के मूल्यहास के मुकाबले 40% की उच्च दर पर मूल्यहास प्रदान किया जाता है।

5. स्टॉक

रसायनों, कांच की वस्तुओं, प्रकाशनों और अन्य भंडारों की खरीद पर व्यय का राजस्व व्यय के रूप में लेखा-जोखा किया जाता है, सिवाय इसके कि 31 मार्च को रखे गए अंतिम स्टॉक के मूल्य को विभागों से प्राप्त जानकारी के आधार पर संबंधित राजस्व व्यय को कम करके इवेंटरी के रूप में स्थापित किया जाता है। उनका लागत पर मूल्यन किया गया है।

6. सेवा-निवृत्ति हितलाभ

सेवानिवृत्ति हितलाभ यानी पेन्शन बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान की जाती है। संस्थान के कर्मचारियों के पिछले नियोक्ताओं से प्राप्त पेन्शन और उपदान(ग्रेच्युटी) का पूंजीकृत मूल्य, संबंधित प्रावधान खातों में जमा किए जाते हैं, जिन्हें संस्थान में समाहित किया गया है, प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के संबंध में प्राप्त पेन्शन अंशदान भी पेन्शन खाते के प्रावधान में जमा किया जाता है। पेन्शन और छुट्टी नकदीकरण का वास्तविक भुगतान संबंधित प्रावधानों के खातों में डेबिट किया जाता है। अन्य सेवानिवृत्ति लाभ जैसे डिफॉजिट लिंकड बीमा, नई पेन्शन योजना में अंशदान, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति और सेवानिवृत्ति पर गृह नगर की यात्रा का हिसाब प्रोद्भवन के आधार (वर्ष के अंत में वास्तविक भुगतान और बकाया बिल) पर किया जाता है।

7. निवेश

- 7.1 दीर्घ अवधि के निवेश उनकी लागत अथवा अंकित मूल्य, जो भी कम हो, पर किए जाते हैं। हालाँकि, तुलन-पत्र की तिथि के अनुसार उनके मूल्य में किसी भी तरह की स्थायी कमी के लिए प्रावधान किया गया है।
- 7.2 अल्पकालिक निवेश उनकी लागत अथवा बाजार मूल्य (यदि उद्धृत किया गया हो), जो भी कम हो, पर किया जाता है।

8. उद्दिष्ट एवं अक्षय निधियां

- निम्नलिखित दीर्घ अवधि की निधियां विशिष्ट उद्देश्यों के लिए निर्धारित की गई हैं। प्रत्येक निधियों का एक अलग बैंक खाता होता है। बड़े बैलेंस धनराशि सहित जिनके पास सरकारी प्रतिभूतियों, डिबेंचर और बांड और बैंकों के साथ सावधि जमा में भी निवेश होता है। प्रोद्भूत आधार पर निवेश-I अग्रिम (गृह निर्माण हस्तांतरण(कन्वेयंस) और कंप्यूटर) से आय तथा बचत बैंक खातों पर ब्याज संबंधित निधियों में जमा किया जाता है। व्यय और अग्रिम (गृह निर्माण हस्तांतरण(कन्वेयंस) और कंप्यूटर के मामले में) को निधि में डेबिट किया जाता है। उद्दिष्ट निधि से सृजित परिसंपत्तियां जहां संस्था में स्वामित्व निहित है, पूंजीगत निधि में समान धनराशि जमा करके संस्था की परिसंपत्तियों के साथ विलय कर दी जाती है। संबंधित निधियों में बैलेंस धनराशि को अग्रेनीत किया जाता है और बैंक में शेष धनराशि, निवेश और अर्जित ब्याज द्वारा परिसंपत्ति पक्ष की ओर दर्शाया जाता है।
- 8.1 समग्र निधि (कॉर्पस फंड) (वर्ष) में स्थापित किया गया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मिलान योगदान; महाविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों से प्राप्त मान्यता एवं संबद्धता शुल्क, परामर्श शुल्क में संस्थान का हिस्सा और अनुसंधान परियोजनाओं से अंशदान को समग्र निधि (कॉर्पस फंड) में अतिरिक्त के रूप में माना जाता है।
निधि के निवेश से होने वाली आय को निधि में जोड़ा जाता है। समय-समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और संस्थान की कार्यकारी परिषद द्वारा दिशानिर्देशों के आधार पर राजस्व और पूंजीगत व्यय दोनों के लिए समग्र निधि (कॉर्पस फंड) का उपयोग किया जाता है। समग्र निधि (कॉर्पस फंड) से सृजित परिसम्पत्तियों को पूंजीगत निधि में समान धनराशि जमा करके संस्था की परिसंपत्ति में मिला दिया जाता है। समग्र निधि (कॉर्पस फंड) में शेष धनराशि जिसे अग्रेनीत किया जाता है, उसे एक अलग बैंक खाते में शेष राशि, आरबीआई बांड में निवेश तथा बैंक में सावधि जमा और निवेश पर प्रोद्भूत ब्याज द्वारा दर्शाया जाता है।
- 8.2 ए.डी. निधि
इस निधि की स्थापना 1 फरवरी, 2006 को हुई थी। इस निधि का उपयोग कुछ नवोन्मेषी कार्यक्रमों के लिए, और इसके अनुसंधान और ऐसी अन्य विकास गतिविधियों के लिए किया जाना है, जैसा कि समय-समय पर कार्यकारी परिषद द्वारा निर्धारित किया गया है।
- 8.3 गृह निर्माण अग्रिम निधि
गृह निर्माण के लिए अधिकारी और कर्मचारियों को ब्याज वाले अग्रिमों का भुगतान करने के उद्देश्य से एक परिक्रामी निधि।
- 8.4 जे.आर.एफ/एस.आर.एफ निधि
कनिष्ठ/वरिष्ठ शोध अध्येताओं को अध्येतावृत्ति का भुगतान करने के प्रयोजन से यू.जी.सी/सरकार द्वारा प्रदान की गई निधि।
- 8.5 वाहन निधि (कंप्यूटर अग्रिम सहित)
मोटर कार, दोपहिया और कंप्यूटरों की खरीद के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को ब्याज वाले अग्रिमों का भुगतान करने के उद्देश्य से एक परिक्रामी निधि।
- 8.6 राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप निधि
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालय के एस.सी/एस.टी के विद्यार्थियों को फेलोशिप के लिए प्रदान की जाने वाली निधि।
- 8.7 अक्षय निधियां
अक्षय निधियां विभिन्न व्यक्तिगत दाताओं, न्यासों (ट्रस्टों) और अन्य संगठनों से प्राप्त निधियां हैं, जो कि दाताओं के निर्दिष्टानुसार, चेयर्स की स्थापना के लिए तथा पदक और पुरस्कार के लिए है। जबकि प्रत्येक अक्षय निधि का अपना निवेश होता है, सभी अक्षय निधियों के लिए एक बचत बैंक खाता होता है, क्योंकि उनके प्रति गैर-निवेशित शेष धनराशि नगण्य होती है।
प्रत्येक अक्षय निधि के निवेश से होने वाली आय को निधि में जोड़ा जाता है। बचत बैंक पर ब्याज सभी अक्षय निधियों को वर्ष के अंत में प्रत्येक निधि में क्लोजिंग बैलेंस धनराशि के अनुपात में आबंटित किया जाता है। पदकों और पुरस्कारों पर होने वाले व्यय को संबंधित अक्षय निधि के निवेश पर अर्जित ब्याज से पूरा किया जाता है और शेष राशि को आगे अग्रेनीत किया जाता है। हालांकि,

चेयर्स के संबंध में अक्षय निधि के कॉर्पस का भी उपयोग किया जाता है। शेष धनराशि का प्रतिनिधित्व आर.बी.आई बांड और सावधि जमा में निवेश और सभी अक्षय निधियों के लिए बचत बैंक खाता में शेष धनराशि और निवेश पर प्रोद्भूत ब्याज द्वारा किया जाता है।

9. सरकार और यू.जी.सी अनुदान

9.1 सरकारी अनुदान और यू.जी.सी अनुदान का लेखा-जोखा प्राप्ति के आधार पर किया जाता है। हालांकि, जहां वित्तीय वर्ष से संबंधित अनुदान जारी करने की मंजूरी 31 मार्च से पहले प्राप्त होती है और अनुदान वास्तव में अगले वित्तीय वर्ष में प्राप्त होता है, अनुदान को प्रोद्भवन के आधार पर लेखा किया जाता है और एक समान धनराशि को अनुदानकर्ता से वसूली योग्य के रूप में दिखाया जाता है। प्रबंधन की राय में, वर्तमान परिसंपत्तियों, ऋणों, अग्रियों और जमा राशियों का सामान्य तौर पर में प्राप्ति पर मूल्य है, जो कम से कम तुलन-पत्र में दिखाई गई कुल धनराशि के बराबर है।

9.2 पूंजीगत व्यय के लिए उपयोग की गई सीमा तक, (प्रोद्भवन के आधार पर) यू.जी.सी से सरकारी अनुदान और अनुदान चालू वर्ष के लिए पूंजीगत निधि में अंतरित कर दिए जाते हैं।

9.3 राजस्व व्यय (प्रोद्भवन के आधार पर) को पूरा करने के लिए सरकार और यू.जी.सी अनुदानों को उस वर्ष की आय के रूप में माना जाता है, जिस वर्ष उन्हें प्राप्त किया जाता है।

9.4 अप्रयुक्त अनुदान (ऐसे अनुदानों में से भुगतान किए गए अग्रियों सहित) को अग्रणीत किया जाता है और तुलन-पत्र में देयता के रूप में प्रदर्शित किया जाता है।

10. उद्दिष्ट निधि का निवेश तथा ऐसे निवेशों पर प्रोद्भूत ब्याज आय

व्यय के लिए तत्काल आवश्यक सीमा तक, ऐसी निधियों के प्रति उपलब्ध धनराशि को अनुमोदित प्रतिभूतियों और बांडों में निवेश किया जाता है अथवा बैंकों में सावधि के लिए जमा किया जाता है, शेष धनराशि बचत बैंक खातों में जमा रहती है। प्राप्त ब्याज, प्रोद्भूत ब्याज तथा देय और अर्जित ब्याज, लेकिन ऐसे निवेशों पर देय नहीं है, उनको संबंधित निधियों में जोड़ा जाता है और संस्थान की आय के रूप में नहीं माना जाता है।

11. प्रायोजित परियोजनाएं

11.1 चालू प्रायोजित परियोजनाओं के संबंध में, प्रायोजकों से प्राप्त धनराशि को "वर्तमान देयताएं और प्रावधान - चालू देयताएं - अन्य देयताएं - चालू प्रायोजित परियोजनाओं के प्रति प्राप्ति" शीर्ष में जमा किया जाता है। जब कभी व्यय किया जाता है / ऐसी परियोजनाओं के लिए अग्रिम भुगतान किया जाता है, अथवा संबंधित परियोजना खाते को आबंटित ओवरहेड शुल्क के साथ डेबिट किया जाता है, तो देयता खाते में को डेबिट कर दिया जाता है।

11.2 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्त पोषित कनिष्ठ अनुसंधान छात्रवृत्ति के लिए उद्दिष्ट निधि के अलावा, विभिन्न संगठनों द्वारा फैलोशिप और छात्रवृत्तियां भी प्रायोजित की जाती हैं। इनका हिसाब प्रायोजित परियोजनाओं की तरह ही किया जाता है, सिवाय इसके कि आम तौर पर खर्च केवल फैलोशिप और छात्रवृत्ति के संवितरण पर होता है, जिसमें अध्येताओं और विद्वानों द्वारा आकस्मिक व्यय के लिए भत्ते शामिल हो सकते हैं।

11.3 संस्थान स्वयं भी फैलोशिप और छात्रवृत्ति प्रदान करता है, जिसे अकादमिक व्यय के रूप में शामिल किया जाता है।

12. आयकर

संस्थान की आय आयकर अधिनियम की धारा 10(23सी) के तहत आयकर से मुक्त है। इसलिए खातों में कर का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

13. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं

विश्वविद्यालय उन प्रावधानों का अनुमान लगाता है जिनके पास पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व हैं और यह संभव है कि दायित्वों को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी। इन प्रावधानों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि के अंत में की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमानों को दर्शाने के लिए समायोजित की जाती है। आकस्मिक देनदारियों का खुलासा करने के लिए विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण निर्णय का उपयोग करता है। आकस्मिक देनदारियों का खुलासा तब किया जाता है जब पिछली घटनाओं से उत्पन्न एक संभावित दायित्व होता है, जिसके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक अथवा एक से अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के होने अथवा न होने से होगी जो पूरी तरह से संस्था के नियंत्रण में नहीं है अथवा वर्तमान दायित्व है कि पिछली घटनाओं से उत्पन्न होता है जहां या तो यह संभावना नहीं है कि दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी अथवा धनराशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। वित्तीय विवरणों में आकस्मिक आस्तियों को न तो मान्यता दी जाती है और न ही प्रकट किया जाता है।

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ

अनुसूची- 24 (आकस्मिक देयताएं और खातों पर टिप्पणियां)

1. आकस्मिक देयताएं

- 1.1* एन.बी.सी.सी द्वारा विश्वविद्यालय के प्रति दावों/विवादित देनदारियों को रु.15.53 करोड़ रुपये की ऋण धनराशि के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। एन.बी.सी.सी ने पत्र संख्या 2018-19/एन.बी.सी.सी-सीयूएच/01, दिनांकित 15/10/2018 द्वारा कानूनी नोटिस दिया था, जिसका उत्तर तदुसार दिया गया तथा ठेके में लंबित पड़े कार्यों को इंगित किया गया।
*वर्ष 2018-19 के लिए सी.ए.जी रिपोर्ट के आधार पर। संदर्भ के लिए रिपोर्ट में ए.2.3.5 देखें।

2. पूंजी प्रतिबद्धताएं

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की खरीद के लिए दिनांक 31.03.2021 को पूंजीगत खाते पर निष्पादित किए जाने वाले अनुबंधों का मूल्य 38,61,71,821/- रुपये था। (पिछले वर्ष रु. 22,06,71,821/-)।

3. स्थायी परिसंपत्तियां

- 3.1 अनुसूची 4 में स्थायी परिसंपत्तियों में वर्ष में परिवर्धन में चालू वर्ष में खरीदी गई / संस्थापित परिसंपत्तियां शामिल हैं, जो कि 13,56,56,642/- की धनराशि की समग्र निधि(कॉर्पस फंड) में क्रेडिट द्वारा स्थापित की गई हैं। मूर्त परिसंपत्ति को लागत पर (इनपुट टैक्स क्रेडिट अथवा सेनवैट का निवल (30 जून, 2017 तक जी.एस.टी कार्यान्वयन तिथि से पहले की अवधि) जहां भी लागू हो) कम संचित मूल्यहास और क्षति नुकसान, यदि कोई हो, कहा जाता है। लागत में माल दुलाई, शुल्क, लेवी और परिसंपत्ति को उनके इच्छित उपयोग के लिए काम करने की स्थिति में लाने की कोई भी सीधे जिम्मेदार लागत शामिल है। स्थायी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित उधार लागत, यदि सामग्री को भी लागत में शामिल किया जाता है, तो वे उस अवधि से संबंधित होते हैं जब तक कि ऐसी परिसंपत्तियां उपयोग में आने के लिए तैयार नहीं होती हैं।
- 3.2 अनुसूची 4 में निर्धारित स्थायी परिसंपत्तियों में से प्रायोजित परियोजनाओं की निधि से खरीदी गई परिसंपत्ति शामिल नहीं है, जो संस्थान की है और उपयोग की जाती है, क्योंकि परियोजना अनुबंधों में यह शर्त शामिल है कि परियोजना निधि से खरीदी गई ऐसी सभी परिसंपत्ति प्रायोजकों की संपत्ति रहेगी।
- 3.3 जहां भी आवश्यक समझा गया, स्थायी परिसंपत्तियों का पुनर्वर्गीकरण किया गया है।

4. समग्र निधि(कॉर्पस फंड)

यू.जी.सी, भारत सरकार और राज्य सरकार से पूंजीगत व्यय के लिए उपयोग की जाने वाली अनुदान की धनराशि को कॉर्पस फंड में जोड़ा जाता है। यही धनराशि रु.13,56,56,642/- है और हो सकता है कि स्थायी परिसंपत्ति अनुसूची के आंकड़े से सहमत न हों (देखें अनुसूची 4) क्योंकि बाद में रु.28,16,00,000/- की धनराशि के ऋण और अग्रिम (पूंजीगत खाते पर) शामिल हैं। चालू वर्ष में पूंजीगत कार्य प्रगति पर है लेकिन चालू वर्ष के अनुदान से संबंधित नहीं है।
रु.261,66,00,000/- का पूर्व अवधि समायोजन केवल वित्त वर्ष 2019-20 के लिए सी.ए.जी द्वारा जारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के आधार पर किया जाता है।

5. प्रावधानों

- 5.1 अधिसूचना संख्या 19-1/2017-आईएफडी, दिनांकित 12.04.2017 के अनुसार मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने निदेश दिया कि एम.एच.आर.डी के तहत एन.पी.एस के तहत कवर किए गए स्वायत्त संगठनों के कर्मचारियों को उपदान(ग्रेच्युटी) और मृत्यु उपदान(डेथ ग्रेच्युटी) के विस्तार का मामला व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के परामर्श के साथ एम.एच.आर.डी में विचाराधीन है। इसलिए एन.पी.एस के अंतर्गत आने वाले स्वायत्त संगठनों के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति उपदान(ग्रेच्युटी) और मृत्यु उपदान(डेथ

प्रेच्युटी) का लाभ तब तक वापस ले लिया गया है जब तक कि इस मामले में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के अनुमोदन से अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता है। इसी के मद्देनजर चालू वर्ष में उपदान का प्रावधान नहीं किया गया है।

- 5.2 छुट्टी नकदीकरण : विश्वविद्यालय उन प्रावधानों का अनुमान लगाता है जिनके पास पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व हैं और यह संभव है कि दायित्वों को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी। इन प्रावधानों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि के अंत में की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमानों को दर्शाने के लिए समायोजित की जाती है। छुट्टी नकदीकरण का प्रावधान 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए शेष धनराशि के रूप में अपना प्रारंभिक शेष रखता है। वर्तमान वर्ष के विकास को प्रबंधन द्वारा अपने स्वयं के आकलन और मूल्यांकन पर प्रभावित नहीं किया गया है।

6. जमा देयताएं

बयाना जमा और प्रतिभूति जमा के रूप में बकाया धनराशि वर्ष के दौरान रु. 26,14,961/- है।

7. विदेशी मुद्रा में व्यय*

पुस्तकें	शून्य
अन्य	रु.4,62,529/-

*विश्वविद्यालय द्वारा भरे गए फॉर्म 15सीए/सीबी के आधार पर संकलित।

8. वर्तमान परिसंपत्ति, ऋण, अग्रिम और जमा

- 8.1 प्रबंधन की राय में, चालू परिसंपत्तियों, ऋणों, अग्रिमों और जमाराशियों का सामान्य रूप में प्राप्ति पर मूल्य कम से कम तुलन-पत्र में दर्शाई गई कुल धनराशि के बराबर है।
- 8.2 वर्ष के लिए खातों के संकलन के दौरान प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गए और प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के आधार पर नकद और बैंक शेष(बैलेंस) प्रस्तुत किए जाते हैं। इसके अलावा, शेष धनराशि प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए समाधन विवरण और तीसरे पक्ष द्वारा प्रासंगिक शेष धनराशि की पुष्टि के अधीन हैं।
- 8.3 पहले की अवधि में जिन बैंक खातों पर विचार नहीं किया गया था, उन्हें वर्तमान अवधि के दौरान वित्तीय में लाया गया था, जिसमें वर्ष के अंत में कॉर्पस तथा नकद और नकद समतुल्य शेष धनराशि दोनों में रु. 1,29,01,089 की एक समान पूर्व अवधि समायोजन की आवश्यकता थी।

9. पिछले वर्ष के आँकड़ों को जहाँ कहीं आवश्यक हुआ, पुनः समूहन/पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

10. अंतिम खातों के आँकड़ों को निकटतम रुपये में पूर्णांकित किया गया है।

11. 31 मार्च, 2021 के तुलन-पत्र के साथ अनुसूचियां 1 से 24 संलग्न हैं और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाते का एक अभिन्न हिस्सा हैं।

12.

- 12.1 विश्वविद्यालय के वित्तीय विवरण (अर्थात्, तुलन-पत्र और आय और व्यय खाता) महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों (अनुसूची-23 देखें) के आधार पर तैयार किए गए हैं।
- 12.2 आमतौर पर, केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान विशेष रूप से अपनी परिसंपत्ति गिरवी रखकर ऋण नहीं जुटा सकते हैं,, इसलिए शीर्ष सुरक्षित ऋण और असुरक्षित ऋण इसलिए तुलन-पत्र में जगह नहीं पाते हैं।
- 12.3 तुलन-पत्र तथा लेन-देन और इवेंट के आय और व्यय खाते में लेखांकन उपचार और प्रस्तुति उनके सब्सटेंस द्वारा नियंत्रित होती है, न कि केवल कानूनी रूप से।
- 12.4 तुलन-पत्र और/अथवा आय और व्यय खाते में किसी आइटम के लेखांकन उपचार और प्रकटीकरण के तरीके को निर्धारित करने में, भौतिकता की अवधारणा पर उचित विचार किया जाएगा।
- 12.5 तुलन पत्र में दर्शाई गई सभी मदों के लिए तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष के लिए संगत धनराशि और आय और व्यय खाते को तुलन पत्र अथवा आय और व्यय खाते में दिया गया है जैसा भी मामला हो।
- 12.6 राजस्व को तब तक मान्यता नहीं दी गई है जब तक:

- (क) संबंधित प्रदर्शन हासिल नहीं किया गया हो;
- (ख) प्रतिफल के रनआउट के संबंध में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद नहीं हो; और
- (ग) प्राप्ति और अंतिम संग्रह की अपेक्षा करना अनुचित नहीं है।

13*. पूर्व अवधि की मद्दे

13.1 केवल वित्त वर्ष 2019 के लिए सी एंड ए.जी रिपोर्ट के आधार पर, वर्ष 2020-21 के लिए वित्तीय में निम्नलिखित पूर्व अवधि समायोजन किए गए और प्रस्तुत किए गए हैं।

कॉर्पस निधि के कारण रु. 261.66 करोड़ की वृद्धि हुई (संदर्भ के लिए रिपोर्ट में ए.1.1, बी एवं सी देखें)

वर्तमान देयताएं और प्रावधानों के कारण रु.(211.48) करोड़ की कमी हुई (संदर्भ के लिए रिपोर्ट में ए.1.1, ए.1.2(iii), ए.1.2(iv), सी देखें।

स्थायी परिसंपत्तियों के कारण रु.28.16 करोड़ की वृद्धि हुई(संदर्भ के लिए रिपोर्ट में ए.1.2(i) और सी देखें।

वर्तमान परसंपत्ति के कारण रु. 4.8 करोड़ की वृद्धि हुई (संदर्भ के लिए रिपोर्ट में ए.1.1(iii) देखें)

ऋण, अग्रिम और जमा के कारण रु.17.12 करोड़ की वृद्धि हुई (संदर्भ के लिए रिपोर्ट में ए.1.2(i), ए.1.2(iv) और बी देखें।

***वर्ष 2019-20 के लिए सीएजी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के आधार पर।**

- 13.2 पूर्व अवधि में जिन बैंक खातों पर विचार नहीं किया गया था, उन्हें वर्तमान अवधि के दौरान वित्तीय में लाया गया था, जिसमें वर्ष के अंत में कॉर्पस और नकद और नकद समकक्ष शेष धनराशि दोनों में एक समान अवधि की समायोजन धनराशि रु.1,29,01,089 की आवश्यकता थी।
- 14. प्रस्तुत वित्तीय विवरण पूरी तरह से संकलन के दौरान प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर संकलित किए गए हैं और यदि कोई हो तो पुष्टि के अधीन है।
- 15. कोविड-19 महामारी ने वैश्विक आर्थिक वातावरण पर गंभीर व्यवधान पैदा किया है और जोकि एक बड़ी अनिश्चितता है।



Special Post
भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग
कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय), चण्डीगढ़
Indian Audit & Accounts Department
Office of The Director General of Audit (Central),
Chandigarh



सं/No: डी.जी.ए.,सी.के. व्ययSAR- 2020-21/CUHM/2022-23/ 1679

दि०/Dated: 10.10.2022

सेवा मे,

सचिव,
उच्चतर शिक्षा विभाग,
शिक्षा मंत्रालय,
भारत सरकार,
नई दिल्ली - 110001

विषय: Central University of Haryana, Mahendergarh के वर्ष 2020-21 के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

महोदय,

कृप्या Central University of Haryana, Mahendergarh के वर्ष 2020-21 के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (Separate Audit Report) संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु सलंग पाएं | संसद में प्रस्तुत होने तक प्रतिवेदन को गोपनीय रखा जाए |

संसद में प्रस्तुत करने के उपरांत प्रतिवेदन की पांच प्रतियाँ इस कार्यालय को भी भेज दी जाएं |

कृप्या इस पत्र की पावती भेजें |

भवदीय,

संलग्न: उपरोक्त अनुसार

- हस्ता -

महानिदेशक

उपरोक्त की प्रतिलिपी वर्ष 2020-21 की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु The Vice Chancellor, Central University of Haryana, Village- Jant Pali, Mahendergarh, Haryana- 123029 को प्रेषित की जाती है।

भवदीया,
प्रतिभा
निदेशक (केन्द्रीय व्यय)

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़ के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

हमने केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 31 (1) के साथ पठित नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्तव्यों, शक्तियों और सेवा की शर्तों) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के तहत हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़ की दिनांक 31 मार्च 2021 की बैलेंस शीट और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाते का लेखा परीक्षा की है। ये वित्तीय विवरण विश्वविद्यालय के प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं। हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने की है।

2. इस पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां केवल वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखांकन प्रथाओं के अनुरूप, लेखांकन मानकों और प्रकटीकरण मानदंडों आदि के संबंध में लेखांकन व्यवहार पर हैं। कानून, नियमों और विनियमों (उचितता और नियमितता) और दक्षता-सह-प्रदर्शन पहलुओं, आदि, यदि कोई हो, के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेनदेन पर लेखा परीक्षा टिप्पणियाँ निरीक्षण प्रतिवेदनों/ सीएजी की लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के माध्यम से अलग से सूचित की जाती हैं।

3. हमने भारत में व्यापक तौर पर स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है। इन मानकों के लिए आवश्यक है कि हम इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना बनाएं और निष्पादित करें कि वित्तीय विवरण भौतिक रूप से गलत विवरणों से मुक्त है या नहीं। एक लेखा परीक्षा में, परीक्षण के आधार पर, वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटीकरण का समर्थन करने वाले साक्ष्य की जांच करना शामिल है। लेखा परीक्षा में प्रयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का आंकलन करने के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की संपूर्ण प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है। हम यह विश्वास करते हैं कि हमारी लेखा परीक्षा हमारे मत के लिए एक उचित आधार प्रदान करती है।

4. हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर, हम प्रतिवेदन करते हैं कि-

i) हमने सभी सूचनाएँ एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे;

ii) इस प्रतिवेदन द्वारा निपटान किए गए बैलेंस शीट और आय और व्यय खाता को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या 29-4/2012-FD दिनांकित 17 अप्रैल 2015 के द्वारा निर्धारित किए गए प्रारूप में तैयार किया गया है। हालांकि, रसीद और भुगतान खाता तैयार नहीं किया गया था जैसा कि इस रिपोर्ट के नीचे क्रमांक सी.10 पर टिप्पणी की गई थी।

iii) हमारे मत में, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़ द्वारा उचित लेखा पुस्तकों और अन्य प्रासंगिक अभिलेखों को संभाल कर रखा गया है, जहां तक कि ऐसी पुस्तकों की हमारी जांच से प्रतीत होता है, सिवाय इस रिपोर्ट के क्रम संख्या सी.2, सी.4, सी.5 और डी.2 में दी गयी टिप्पणी के।

iv) हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि: -

ए. बैलेंस शीट

ए.1 निधियों के स्रोत

वर्तमान देनदारियां और प्रावधान (अनुसूची 3)

वर्तमान देनदारियां

अन्य वर्तमान देनदारियां

ए.1.1 अप्रयुक्त अनुदान: 28.08 करोड़ रुपये

खातों के निर्धारित प्रारूप के अनुसार, अनुसूची 3सी/अनुसूची 10 केवल सरकारी अनुदानों के लेखांकन लेनदेन और वार्षिक खातों में सरकारी अनुदानों के सही शेष राशि दिखाने के लिए निर्धारित है। विश्वविद्यालय ने अप्रयुक्त अनुदानों की राशि 28.08 करोड़ रुपये दिखाया था जबकि अप्रयुक्त अनुदानों को 31.65 करोड़ रुपये माना गया था। इस प्रकार, विश्वविद्यालय ने अप्रयुक्त अनुदानों की शेष राशि को 3.57 करोड़ रुपये से कम दर्ज किया है। इसके परिणामस्वरूप अप्रयुक्त अनुदानों को 3.57 करोड़ रुपये से कम विवरण, प्रायोजित जारी परियोजनाओं के समक्ष प्राप्तियों का 2.65 करोड़ रुपये से अधिक विवरण, वर्तमान देनदारियों को 2.11 करोड़ रुपये (रुपये 0.80 करोड़ + 1.31 करोड़ रुपये) से कम विवरण और कार्पस फंड/ पूंजीगत निधि को 3.03 करोड़ रुपये से अधिक विवरण का दिखाया गया था।

ए.1.2 प्रायोजित चालू परियोजनाओं के समक्ष प्राप्तियां: 328.78 लाख रुपये

उपरोक्त वर्णित राशि में 14.66 लाख रुपये की राशि के डेबिट शेष शामिल हैं। देनदारियों को कम करने के बजाय इन डेबिट राशियों को ऋण, अग्रिम और जमा के तहत दिखाया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान देनदारियों के साथ-साथ ऋण, अग्रिम और जमा राशि को 14.66 लाख रुपये से कम दिखाया गया था।

ए.1.3 अन्य फंड (हेफा): 49.51 करोड़ रुपये

वार्षिक खातों में हेफा ऋण देयता के लेखांकन में 11.13 करोड़ (60.64 - 49.51) रुपए का अंतर था। यह अंतर वार्षिक खातों में वर्ष 2020-21 के लिए हेफा ऋण लेनदेन के गैर-लेखांकन होने के कारण था। वर्ष 2020-21 के लिए निम्नलिखित लेन-देन को वार्षिक खातों में शामिल नहीं किया गया था:

(i) विश्वविद्यालय को 2020-21 के दौरान 25.35 करोड़ रुपये का हेफा ऋण का संवितरण का हिसाब नहीं:

- हेफा ऋण प्राप्त करते हुए सीपीडब्ल्यूडी को 31.03.2021 तक 69.13 करोड़ रुपये अग्रिम जारी किए गए। हालांकि, 69.13 करोड़ रुपये के लिए गए ऋण के समक्ष, विश्वविद्यालय ने अपने वार्षिक खातों में केवल 43.78 करोड़ रुपये की हेफा ऋण देयता दर्ज की थी। इस प्रकार, 25.35 करोड़ रुपये की ऋण देयता, जिसका ऋण वर्ष 2020-21 के दौरान लिया गया था, वार्षिक खातों में दर्ज नहीं किया गया था।

69.13 करोड़ रुपये की जारी राशि के समक्ष, सीपीडब्ल्यूडी ने 31.03.2021 तक 46.87 करोड़ रुपये की राशि का व्यय किया था। इसलिए, संबंधित संपत्ति के प्रति 46.87 करोड़ रुपये और 22.26 करोड़ रुपये की राशि क्रमशः पूंजीगत कार्य प्रगति पर और अग्रिमों में अंतरित किए जाने थे। हालांकि, विश्वविद्यालय ने 27.22 करोड़ रुपये और 16.55 करोड़ रुपये की राशि क्रमशः पूंजीगत कार्य प्रगति और अग्रिम के रूप में दर्ज की थी। इसके अलावा, पूंजीगत कार्य प्रगति में सीडब्ल्यूआईपी में ब्याज इंदराज करते समय 0.01 करोड़ (0.94 - 0.93) रुपये की सीमा से अधिक राशि अंतरित की गयी थी। इस प्रकार, सम्पत्तियों को भी 25.35 करोड़ रुपये से कम दर्ज किया गया था।

इसके परिणामस्वरूप, हेफा ऋण देयता को 25.35 करोड़ रुपये, अग्रिमों को 5.71 करोड़ रुपये से कम (कुल अग्रिम 69.13 करोड़ रुपये - सीडब्ल्यूआईपी को हस्तांतरित किए जाने के लिए 46.87 करोड़ रुपये - पहले

से ही अग्रिम के रूप में दिखाये गये 16.55 करोड़ रुपये) और पूंजीगत कार्य प्रगति को 19.64 करोड़ रुपये (सीडब्ल्यूआईपी को हस्तांतरित किए जाने के लिए 46.87 करोड़ रुपये - पहले से ही सीडब्ल्यूआईपी को अंतरित 27.22 करोड़ रुपये - 0.01) से कम दिखाया गया था।

- इसके अलावा, निर्धारित प्रारूप के अनुपालन में, पूंजीगत कार्य प्रगति की राशि 46.87 करोड़ रुपये को भी संपत्ति वसूली खाते (हेफा ऋण से बनाई गई ऐसी परिसंपत्तियों के लिए ऋण की चुकोती की सीमा तक लंबित है) में संबंधित राशि को स्थानांतरित करके पूंजी निधि में स्थानांतरित किया जाना चाहिए था क्योंकि संपत्ति को हेफा ऋण से पूंजीकृत किया गया है लेकिन, सरकार से हेफा अनुदान प्राप्त होने के बाद हेफा को किश्तों में भुगतान किया जाना है। इसके परिणामस्वरूप पूंजी निधि के साथ-साथ परिसंपत्ति वसूली खाते को 46.87 करोड़ रुपये से कम दिखाया गया था।

(ii) हेफा ऋण मूलधन के संबंध में भुगतान की गई दो किश्तों की 4.80 करोड़ रुपये की राशि का गैर-लेखांकन, जिनकी ऋण देयता से कटौती नहीं की गई

राशि वर्ष 2020-21 के दौरान हेफा ऋण मूलधन के संबंध में 4.80 करोड़ रुपये की दो किश्तों का भुगतान किया गया था, जिनको लेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया। वार्षिक खातों में उपरोक्त लेनदेन के गैर-लेखांकन के परिणामस्वरूप हेफा ऋण देयता के साथ-साथ संपत्ति वसूली खाते को 9.60 करोड़ रुपये से अधिक दिखाया गया था।

- (iii) एस्करो खाते के बैंक विवरण के अनुसार, 4.80 करोड़ रुपये की हेफा ऋण देयता का भुगतान किया जा चुका है। हालांकि, इन लेनदेनों को वार्षिक खातों में शामिल नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप हेफा ऋण देयता के साथ-साथ चालू परिसंपत्तियों (हेफा बैलेंस-एस्करो) को 4.80 करोड़ रुपये से अधिक दिखाया गया था।**

(iv) 0.18 करोड़ रुपये का देय ब्याज का संक्षिप्त लेखा

31.03.2021 को हेफा ऋण के ब्याज की राशि 1.11 करोड़ रुपये बकाया थी जिसका भुगतान अप्रैल 2021 में किया गया था। वार्षिक खातों के अनुसार, 0.93 करोड़ रुपये की राशि (1.28 - 0.35) को पहले ही हेफा ऋण पर देय ब्याज के रूप में दर्ज किया गया था। हालांकि, देय ब्याज की शेष राशि वार्षिक खातों में दर्ज नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप हेफा ऋण पर देय ब्याज के साथ-साथ पूंजीगत कार्य प्रगति 0.18 करोड़ रुपये से कम दिखाया गया था।

ए.1.4 उपरोक्त में 57.00 लाख रुपये की राशि शामिल है जिसको 'अनुदान स्वीकृत, लेकिन दर्ज नहीं' के रूप में दिखाया गया है। इसके अलावा, वार्षिक खातों में, ऋण, अग्रिम और जमा के तहत संबंधित राशि को 'वसूली योग्य अनुदान' के रूप में दिखाया गया था। हालांकि, प्रस्तुत रिकॉर्ड के अनुसार, 57.00 लाख रुपये का यह अनुदान वर्ष 2020-21 के दौरान विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त किया गया था और उपयोग में लिया गया था।

इसके परिणामस्वरूप वर्तमान देनदारियों के साथ-साथ ऋण, अग्रिम और जमा राशि को 57.00 लाख रुपये से अधिक दिखाया गया था।

ए.1.5 सांविधिक देयताएं

वर्ष 2019-20 के लिए पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के क्रमांक ए.1.2 (ii) में टिप्पणी के माध्यम से यह बताया गया था कि उपरोक्त राशि को विभिन्न शीर्षों के तहत ऋण शेष के साथ 1.15 करोड़ रुपये के जमा शेष के द्वारा दर्ज किया गया है, जो डेबिट शेष का प्रतिनिधित्व करते हैं और जिसे संपत्ति में प्राप्य के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप चालू देनदारियों के साथ-साथ ऋण, अग्रिम और जमा राशि को 1.15 करोड़ रुपये रुपये से कम दिखाया गया था। हालांकि, विश्वविद्यालय द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया गया।

ए.2 निधियों का अनुप्रयोग

ए.2.1 अचल संपत्तियां (अनुसूची 4)

मूर्त परिसंपत्ति 1176.57 लाख रुपये

ए.2.1.1 कंप्यूटर/ पेरिफेरल्स: 365.32 लाख रुपए

उपरोक्त में वर्ष 2020-21 के दौरान खरीदे गए वैज्ञानिक और प्रयोगशाला उपकरण (प्रति वर्ष 8 प्रतिशत मूल्यहास दर) शामिल हैं, जो कि 1.16 करोड़ रुपये की राशि के हैं जिन्हें शीर्ष कंप्यूटर/ पेरिफेरल्स (मूल्यहास दर 20 प्रतिशत प्रति वर्ष) के अंतर्गत गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया था। इसके परिणामस्वरूप 1.06 करोड़ रुपये के मूल्यहास का अधिक विवरण दिखाते हुए कंप्यूटर/ पेरिफेरल को 0.93 करोड़ रुपये से अधिक दिखाया गया था, वैज्ञानिक और प्रयोगशाला उपकरणों को 0.13 करोड़ रुपये से कम करके दिखाया गया है।

ए.2.1.2 अमूर्त संपत्ति: कंप्यूटर सॉफ्टवेयर: 149.71 लाख रुपये

कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर मूल्यहास की गणना करने पर यह पाया गया कि यह 8.71 लाख रुपये (वर्ष 2020-21 के लिए 7.63 लाख रुपये सहित) की सीमा तक अधिक था। इसके परिणामस्वरूप अचल संपत्तियों के साथ-साथ कॉर्पस/ पूंजीगत निधि 8.71 लाख रुपये कम हो गया था। इसके अलावा, चालू वर्ष के व्यय का 7.63 लाख रुपये से अधिक विवरण दिखाया गया।

ए.2.1.3 पूंजीगत कार्य प्रगति

(i) विश्वविद्यालय द्वारा लिए गए हेफा ऋण पर, विश्वविद्यालय द्वारा 31.03.2021 तक की अवधि के लिए अर्जित की गयी ब्याज की राशि कुल 5.04 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना था। हालांकि, विश्वविद्यालय ने इन लेनदेन को अपने वार्षिक खातों में शामिल नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप कॉर्पस फंड/ पूंजीगत निधि के साथ-साथ पूंजीगत कार्य प्रगति को 5.04 करोड़ रुपये से कम दिखाया गया था।

(ii) जून 2017 में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इनकोर्पोरेटेड (एनआईसीएसआई) द्वारा विश्वविद्यालय में वाई-फाई की स्थापन के पूरा किए गए काम की एवज में उपरोक्त में 96.00 लाख रुपये शामिल है। एनआईसीएसआई को भुगतान की राशि 322.18 लाख रुपये के विरुद्ध, एनआईसीएसआई द्वारा 232.93 लाख रुपये की राशि अगस्त 2019 में लौटायी गयी है। इस पूर्ण किये गये कार्य (सीडब्ल्यूआईपी में 96 लाख और अग्रिम में 6.75 लाख रुपये का क्रेडिट बैलेंस) के विरुद्ध 89.25 लाख रुपये (322.18 - 232.93) की राशि लेखा बहियों में बकाया है। 6.75 लाख रुपये की राशि एनआईसीएसआई द्वारा अग्रिमों

पर ब्याज के रूप में अर्जित की गयी थी जिसे भारत की समेकित निधि को वापस किया जा सकता है। बकाया राशियों के गैर-समायोजन के परिणामस्वरूप पूंजीगत कार्य प्रगति पर 89.25 लाख रुपये अधिक दिखाया गया था, 17.85 लाख रुपये की अचल संपत्तियाँ (वर्ष 2017-18 से 2020-21 के लिए 20 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से मूल्यहास लगाने करने के बाद) कम दिखायी गयी हैं और 71.40 लाख रुपये द्वारा कॉर्पस/ पूंजीगत निधि का विवरण अधिक दिखाया गया है। इसके अलावा, वर्ष 2020-21 के लिए मूल्यहास की कमी 17.85 लाख रुपये कम दिखायी गयी है। इसके अलावा, अग्रिमों के साथ-साथ वर्तमान देनदारियों को 6.75 लाख रुपये कम दिखाया गया है।

ए.2.2 चालू परिसंपत्ति (अनुसूची 7)

ए.2.2.1 सावधि जमा खातों में नकद और बैंक शेष: रुपये 70.97 करोड़

वर्ष 2020-21 के दौरान हेफा ऋण पर ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए 0.95 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया। हालांकि, विश्वविद्यालय ने इसे व्यय रूप में दर्ज करने के बजाय कॉर्पस/ पूंजीगत निधि में से निवेश की गई सावधि जमा प्राप्तियों के रूप में दर्ज किया था। इसके परिणामस्वरूप चालू परिसंपत्तियों के साथ-साथ कॉर्पस निधि/ पूंजीगत निधि को 0.95 करोड़ रुपये अधिक दिखाया गया था।

ए.2.2.2 हेफा शेष (एस्क्रो): 9.12 करोड़ रुपये

उपरोक्त में 4.32 करोड़ रुपये की राशि शामिल है जो विश्वविद्यालय द्वारा लिए गए हेफा ऋण पर ब्याज की अदायगी के लिए सरकार से अनुदान के रूप में प्राप्त हुई थी।

एस्करो खातों के बैंक विवरण के अनुसार (जिसे विश्वविद्यालय द्वारा हेफा ऋण से संबंधित लेनदेन के लिए संधारित किया रखा जाता है), सरकार से प्राप्त अनुदान का उपयोग कर 4.32 करोड़ रुपये की देयता का भुगतान पहले ही किया जा चुका है। विश्वविद्यालय ने आय के रूप में 4.32 करोड़ रुपये के अनुदान का भी हिसाब रखा था। ब्याज देयता के भुगतान के निर्वहन से संबंधित लेनदेन के गैर-लेखांकन के परिणामस्वरूप हेफा शेष (एस्करो) के साथ-साथ कॉर्पस/ पूंजीगत निधि को 4.32 करोड़ रुपये अधिक दिखाया गया था।

बी. आय और व्यय खाता

आय

निवेश से आय (अनुसूची 11): 279.86 लाख रुपये/ ब्याज

अर्जित (अनुसूची 12): 39.47 लाख रुपये

बी.1 उपरोक्त में सरकारी अनुदान राशि पर 2.22 करोड़ रुपये की राशि का अर्जित ब्याज शामिल है। इस ब्याज को भारत की संचित निधि के प्रति दायित्व के स्थान पर विश्वविद्यालय की आय के रूप में लेखा किया गया है। इसके परिणामस्वरूप आय को अधिक बताया गया और 2.22 करोड़ रुपये की देनदारियों को कम बताया गया।

बी.2 उपरोक्त में परियोजना निधि पर अर्जित आय 25.43 लाख रुपये की राशि शामिल है (अनुसूची 11 में शामिल 14.45 लाख रुपये और अनुसूची 12 में शामिल 10.98 लाख रुपये) जो विश्वविद्यालय की आय के बजाय परियोजना शेष में शामिल किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप आय को अधिक बताया गया और परियोजना शेष को 25.43 लाख रुपये कम बताया गया।

सी. सामान्य

सी.1 वार्षिक लेखों पर लेखा परीक्षा टिप्पणियों का शुद्ध प्रभाव

31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखों पर लेखा परीक्षा टिप्पणियों का शुद्ध प्रभाव निम्नानुसार है:

- i. 58.08 करोड़ रुपये की संपत्ति कम दिखायी गई।
- ii. 17.37 करोड़ रुपये की देनदारियां कम दिखायी गईं।
- iii. कॉर्पस/ पूंजीगत निधि 40.71 करोड़ रुपये कम बताया गया। इसके अलावा, अधिशेष 0.23 करोड़ रुपये से अधिक दिखाया गया है।

सी.2 बचत खातों में नकद और बैंक शेष: 20.31 करोड़ रुपये

(i) उपरोक्त बैंक शेष 20.31 करोड़ रुपये में टीएसए-आरबीआई खाते में बैंक शेष 11.27 करोड़ रुपये की राशि शामिल है।

भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्य सीमा विवरण के अनुसार, 31.03.2021 को खाते में शून्य शेष था क्योंकि आरबीआई द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर 31.03.2021 को उस खाते में धनराशि व्यपगत कर दी गई थी।

इसलिए विश्वविद्यालय के आंकड़ों और बैंक के आंकड़ों के बीच 11.27 करोड़ रुपए का अंतर था।

हालांकि, विश्वविद्यालय ने बैंक समाधान विवरण तैयार नहीं किया था, इसलिए, अंतर के कारणों की पुष्टि नहीं की जा सकी। इसलिए, टीएसए-आरबीआई खाते में 11.27 करोड़ रुपये की राशि का बैंक शेष दिखाना क्रम में नहीं था।¹

(ii) हेफा शेष (एस्करो) खाते में 9.12 करोड़ रुपये का बैंक शेष दिखाया गया था।

खाते के बैंक विवरण के अनुसार, 31.03.2021 को उपरोक्त खाते में बैंक शेष केवल 4,940 रुपये थे।

विश्वविद्यालय ने हेफा शेष (एस्करो) खाते का बैंक समाधान विवरण तैयार नहीं किया था, इसलिए अंतर के कारणों को सत्यापित नहीं किया जा सका और हेफा शेष (एस्करो) खाते में 9.12 करोड़ रुपये की राशि का बैंक शेष दिखाना क्रम में नहीं था।

सी.3 2.75 करोड़ रुपये की राशि को अनुसूची 3 में अतिरिक्त अनुदान के रूप में दर्शाया गया था।

2.75 करोड़ रुपये की यह राशि प्रायोजित परियोजनाओं के लिए प्राप्त हुए थे, इसलिए इसे अनुसूची 3क में प्रायोजित परियोजनाओं के समक्ष प्राप्तियों के शेष के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए था।

सी.4 वर्ष 2019-20 के लिए पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट के क्रमांक- बी पर टिप्पणी के माध्यम से यह बताया गया कि वर्ष 2019-20 में 2.92 करोड़ रुपये के समर्थन में अचल संपत्तियों-सड़क एवं पुलों के निर्माण के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। इसलिए, वर्ष 2019-20 के दौरान किए गए पूंजीकरण को अब तक सत्यापित नहीं किया जा सका है। पिछले वर्ष एसएआर में इंगित किये जाने के बावजूद, इन दस्तावेजों को वर्तमान लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

¹भारतीय रिज़र्व बैंक के खाते में 10.90 करोड़ रुपये के अनुदान की अतिरिक्त प्राप्ति दर्ज करने का एक प्रकरण नोटिस किया गया। हालांकि, चूंकि विश्वविद्यालय ने बैंक समाधान विवरण तैयार नहीं किया था, 11.27 करोड़ रुपये के कुल अंतर के कारण का सत्यापन नहीं हो सका।

सी.5 सूचना/ दस्तावेजों को प्रस्तुत न करना

लेखा परीक्षा को निम्नलिखित सूचना/ अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए हैं:

(i) अग्रिमों और पूंजीगत कार्य प्रगति में दर्ज की गई निम्नलिखित राशियों के संबंध में भौतिक और वित्तीय प्रगति रिपोर्ट लेखा परीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गयी थी: -

क्रम संख्या	अग्रिम में दिखाया गया	राशि
1.	सीपीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस निर्माण के लिए अग्रिम	9,81,12,000/- रुपये
2.	सीपीडब्ल्यूडी प्रशासनिक ब्लॉक को अग्रिम	85,34,000/- रुपये
3.	पीडब्ल्यूडी/सीपीडब्ल्यूडी परिसर विकास द्वितीय चरण को अग्रिम	11,64,28,511/- रुपये
4.	राइट्स लिमिटेड	8,98,880/- रुपये

क्रम संख्या	पूंजीगत कार्य प्रगति में दिखाया गया	राशि
1.	भवनों के लिए सीपीडब्ल्यूडी	60,65,65,839/- रुपये
2.	फर्नीचर के लिए सीपीडब्ल्यूडी	4,70,00,000/- रुपये
3.	नहर के पानी के लिए सीपीडब्ल्यूडी	6,94,63,762/- रुपये
4.	अतिथि गृह के लिए सीपीडब्ल्यूडी	96,75,000/- रुपये
5.	परिसर विकास के लिए सीपीडब्ल्यूडी	25,52,00,00/- रुपये

(ii) पूंजी अग्रिम 38.62 करोड़ रुपये से संबंधित अग्रिम रजिस्टर लेखा परीक्षा को नहीं दिखाया गया।

(iii) वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदानों में 80.44 लाख रुपये शैक्षिक ऋण की प्राप्ति शामिल हैं।

इन प्राप्तियों का पूरा ब्योरा, इन अनुदानों पर किए गए / होने वाले व्यय के साथ-साथ संबंधित सहायक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए थे, इसलिए इनका सत्यापन नहीं किया जा सका।

उपरोक्त बिन्दुओं (i) से (iii) तक को ध्यान में रखते हुए, पूंजीगत अग्रिम (अनुसूची 8), सीडब्ल्यूआईपी और अचल संपत्तियों को लेखा परीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका।

सी.6 निर्धारित निधियों से सृजित आस्तियों और प्रायोजित परियोजनाओं की निधियों का विशेष रूप से खुलासा किया गया था, जिसे न तो अचल संपत्ति की अनुसूची में और न ही खातों की टिप्पणियों में एक नोट के माध्यम से दिखाया गया।

इसके अलावा, क्रमांक 3.6 (अनुसूची 23) में अपनाई गई लेखा नीति के पूर्ण तथ्यों का खुलासा नहीं किया गया था क्योंकि यह केवल "निर्धारित निधियों और प्रायोजित परियोजनाओं के निधियों से बनाई गई संपत्तियां" दिखाता है, जहां ऐसी संपत्तियों का स्वामित्व प्रायोजित परियोजनाओं के धन से होता है जहां ऐसी संपत्ति का स्वामित्व निहित होता है ... " लेकिन उस नीति का खुलासा नहीं किया गया था।

इस प्रकार, क्रमांक 3.6 (अनुसूची 23) पर घोषित की गई लेखा नीति भी दोषयुक्त एवं अपूर्ण पायी गयी।

सी.7 बचत बैंक खातों और बैंकों के साथ सावधि जमा का विवरण दिखाने वाले खाते के एमएचआरडी प्रारूप में निर्धारित अनुबंध 7ए को अनुसूची 7 के साथ संलग्न नहीं किया गया था।

सी.8 क्रमांक 5 पर लेखा नीति जो कि निर्धारित प्रारूप में है बताती है कि 31 मार्च को रखे गए अंतिम स्टॉक का मूल्य विभागों से प्राप्त जानकारी के आधार पर संबंधित राजस्व व्यय को कम करके सूची के रूप में तैयार किया गया है। हालांकि, विश्वविद्यालय ने लेखा तैयार करते समय विभिन्न विभागों द्वारा रखी गई सूची के संबंध में जानकारी प्राप्त नहीं की है और दिनांक 31.03.2021 को वार्षिक खातों में अप्रयुक्त स्टॉक का मूल्य दिखाने के बजाय सूची को शून्य के रूप में दिखाया है। इस प्रकार, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप की अनुपालना नहीं की गयी थी।

सी.9 "संचित अवकाश नकदीकरण के संबंध में प्रावधान" का शेष पिछले वर्ष में दर्शाए अनुसार ही था। इस प्रकार, विश्वविद्यालय ने 2020-21 के दौरान अवकाश नकदीकरण के संबंध में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया है और न ही इस प्रावधान की कोई समीक्षा की है। एमएचआरडी के खातों के प्रारूप में निर्धारित अवकाश नकदीकरण के कारण दायित्व के बीमांकिक मूल्यांकन के संबंध में वैधानिक अनुपालन नहीं किया गया था।

सी.10 खातों के निर्धारित प्रारूप के अनुसार प्राप्त और भुगतान खाता तैयार किया जाना है और वार्षिक खातों के साथ संलग्न किया जाना है। हालांकि विश्वविद्यालय ने इसे नहीं बनाया था।

सी.11 वर्ष 2019-20 के लिए पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट के प्रबंधन पत्र के क्रम संख्या डी.6 में टिप्पणी के माध्यम से यह दिखाया गया था कि (ए) छात्रों और शिक्षकों की संख्या (बी) भवन निधि, खेल गतिविधियाँ, सह-पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियाँ, विकास शुल्क और चिकित्सा व्यय के संबंध में संग्रह और संग्रह के ऐसे प्रत्येक शीर्ष के विरुद्ध व्यय (सी) ईपीएफ और ईएसआई जैसे वैधानिक बकाया के अनुपालन और (डी) शिक्षकों की वेतन संरचना, वार्षिक खाते में नहीं दिखायी गयी थी।

हालांकि, उपरोक्त आंकलन की अनुपालना करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

डी. सहायता अनुदान

डी. 31.03.2021 को विश्वविद्यालय के सहायता अनुदान की स्थिति निम्नानुसार थी: -

विवरण	राशि करोड़ रुपये में					
	ओएच-31	ओएच-35	ओएच - 36	हेफ़ा	अनुदान राशि पर ब्याज	कुल
प्रारंभिक जमा	2.77	38.71	0	4.32	0	45.80
जोड़ा: वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	13.09	2.75	22.12	7.90	0	45.86
पिछले वर्ष से संबंधित अनुदानों पर ब्याज, लौटाया जाना है	0	0	0	0	3.76	3.76
कुल उपलब्ध निधि	15.86	41.46	22.12	12.22	3.76	95.42

विवरण	राशि करोड़ रुपये में					
	ओएच-31	ओएच-35	ओएच - 36	हेफ़ा	अनुदान राशि पर ब्याज	कुल
घटाया: वर्ष के दौरान उपयोग	15.86	13.57	22.12	12.22	0	63.77
जमा शेष	0	27.89	0	0	3.76	31.65

डी.2 दिनांक 26.03.2021 को विश्वविद्यालय को पूंजी शीर्ष (35) के अंतर्गत 2.75 करोड़ रुपये का अनुदान भी प्राप्त हुआ। उपरोक्त अनुदान भारतीय रिजर्व बैंक की टीएसए प्रणाली के अंतर्गत प्राप्त हुआ था। टीएसए खाते में धनराशि आरबीआई द्वारा 31.03.2021 को समाप्त कर दी गई थी। हालांकि, अनुरक्षित विशिष्ट अभिलेखों के अभाव में उपरोक्त अनुदान के उपयोग के विवरण / व्ययगत अनुदान का सत्यापन नहीं किया जा सका।

ई. प्रबंधन पत्र

जिन कमियों को लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें उपचारात्मक/ सुधारात्मक कार्रवाई के लिए जारी अतिरिक्त प्रबंधन पत्र के माध्यम से विश्वविद्यालय प्रबंधन के ध्यान में लाया गया है।

v) पिछले पैराग्राफ में हमारी टिप्पणियों के तहत हम यह प्रतिवेदन करते हैं कि बैलेंस शीट, आय और व्यय खाता और इस प्रतिवेदन द्वारा निपटाए गए प्राप्तियां और भुगतान खाते खातों की किताबों के साथ समर्थित हैं।

vi) हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, लेखा नीतियों और खातों पर टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण, और उपरोक्त वर्णित महत्वपूर्ण मामलों और लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुबंध में उल्लिखित अन्य मामलों के अधीन भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं:

ए. जहां तक यह 31 मार्च 2021 को हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़ के मामलों की स्थिति की बैलेंस शीट से संबंधित है; तथा

बी. जहां तक यह आय और व्यय खाते, उस तारीख को समाप्त वर्ष के घाटे से संबंधित है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए और उनकी ओर से
एसडी/-

महानिदेशक, लेखा परीक्षा (केंद्रीय), चंडीगढ़

स्थान: चंडीगढ़

दिनांक: 10.10.2022

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का अनुलग्नक

1. आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की उपयुक्तता

आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली अस्तित्व में नहीं थी।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्तता

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली निम्नलिखित सीमा तक अपर्याप्त पाई गई:-

ए) आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली का न होना;

बी) लेखा नियमावली तैयार नहीं की गई थी;

सी) अनुबंधों का रजिस्टर और व्यय नियंत्रण रजिस्टर का रखरखाव नहीं किया गया था;

डी) वर्ष 2020-21 के दौरान शासी अधिनियम/ विनियमों में निर्धारित तीन बैठकों की तुलना में विश्वविद्यालय की वित्त समिति की दो बैठकें आयोजित की गईं।

ई) सावधि जमा रजिस्टर का रखरखाव नहीं किया गया था;

एफ) खातों के निर्धारित प्रारूप के अनुसार, प्राप्तियां और भुगतान खाता तैयार किया जाना है और वार्षिक खातों के साथ संलग्न किया जाना है। हालांकि, विश्वविद्यालय ने इसे तैयार नहीं किया है,

जी) हालांकि, विभिन्न विभागों में अचल संपत्तियों के रजिस्टर बनाए गए थे, लेकिन खातों की अचल संपत्ति अनुसूची से मेल खाने के लिए कोई केंद्रीकृत रजिस्टर नहीं रखा गया था। इसके अलावा, लेखा परीक्षा को प्रस्तुत किये गये अचल संपत्ति रजिस्टर में भूमि के संबंध में कोई भी प्रविष्टि नहीं की गयी थी। भूमि के अधिग्रहण एवं लेखों में दर्शाई गई अधिग्रहीत भूमि के विवरण के अभाव में, लेखा परीक्षा में उसका सत्यापन नहीं किया जा सका;

एच) 31.3.2021 को 25.52 लाख रुपये की अग्रिम राशि यद्यपि ऋण और अग्रिम रजिस्टर में समायोजित नहीं थे, उन्हें "ऋण, अग्रिम और जमा" के तहत वार्षिक खातों में शामिल नहीं किया गया था। इस प्रकार, बनाए गए रजिस्टर और लेखा रिकॉर्ड के बीच असंतुलन है। इस असंतुलन के कारणों को विश्वविद्यालय द्वारा सुलझाया जाना है और वार्षिक खातों में आवश्यक लेखांकन प्रविष्टि की जानी है।

आई) बैंक समाधान विवरण में, 5.96 करोड़ रुपये और 4.51 करोड़ रुपये की राशि के क्रमशः डेबिट और क्रेडिट लेनदेन 3 माह से अधिक पुराने दिखाये गये हैं। बैंक समाधान विवरण में प्रदर्शित होने वाले तीन महीने से अधिक पुराने इन लेनदेनों की पहचान करने के प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

3. अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

अचल संपत्तियों के भौतिक सत्यापन करने के संबंध में विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया था। वर्ष 2019-20 की सत्यापन रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई भी प्रस्तुत नहीं की गई।

4. सूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

सूची का भौतिक सत्यापन किया गया।

5. सांविधिक देय राशि के भुगतान में नियमितता।

सांविधिक देय राशि के भुगतान के संबंध में कोई अनियमितता नहीं देखी गई।

एसडी/-
निर्देशक

हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय CENTRAL UNIVERSITY OF HARYANA



परीक्षित वार्षिक लेखा AUDITED ANNUAL ACCOUNTS 2020-21

Audit Report Publication Committee

Dr. Dinesh Kumar, Dept. of Pharmacy - Convener

Dr. Amit Kumar, Dept. of Library & Information Science

Mr. Sandeep Boora, Dept. of Printing & Packaging Technology

Mr. Rajesh Kumar Singh (Finance Branch)

